रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052022-235497
CG-DL-E-02052022-235497

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2022/वैशाख 12, 1944
No. 233]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2022/VAISAKHA 12, 1944

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

फा. सं. 4-1/2022(IC).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उप-धारा (1) की खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 11.07.2016 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय और विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग के मानकों की प्रोन्नति एवं अनुरक्षण) विनियम, 2016 का अधिक्रमण करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: -

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रवर्तन:-

1.1. इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग) विनियम, 2022 (इसके पश्चात् विनियमों कहा जाएगा) कहा जाएगा।

1.2. ये विनियम युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग के लिए न्यूनतम मानकों का निर्धारण करते हैं।

1.3. ये विनियम निम्न पर पर लागू होंगे-

1.3.1. उपाधि(यां) प्रदान करने के लिए विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग करने के इच्छुक भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान; और

1.3.2. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग करने के इच्छुक विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान।

1.4. ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:-

2.1. "अधिनियम" का अभिप्राय, समय-समय पर यथा-संशोधित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 से है;

2.2. "शैक्षिक सहयोग" का अभिप्राय, एक लिखित करार के माध्यम से निम्नवत प्रयोजनार्थ, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान(नों) और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान(नों) के बीच शैक्षिक साझेदारी से है;

2.2.1. युगल उपाधि कार्यक्रम

2.2.2. संयुक्त उपाधि कार्यक्रम;

2.2.3. दोहरी उपाधि कार्यक्रम;

2.3. एक विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान के संबंध में "मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी", का अभिप्राय किसी ऐसी एजेन्सी अथवा निकाय से है जिसे उस संस्थान के संबंधित देश में विधि के तहत स्थापित अथवा निगमित किसी प्राधिकरण अथवा उस देश में किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो, मान्यता प्रदान की गई हो अथवा जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और मानकों का मूल्यांकन, प्रत्यायन अथवा गुणवत्ता आश्वासन के प्रयोजनार्थ प्रत्यायन निकायों के वैश्विक नेटवर्क का सदस्य हो;

2.4. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान के संबंध में "मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी" का अभिप्राय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसियों की मान्यता एवं सर्वेक्षण) विनियम, 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एजेंसी से है;

2.5. "आयोग" का अभिप्राय, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;

2.6. "परंपरागत पद्धतियों" का अभिप्राय, एक नियमित कक्षा परिवेश में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य सम्मुख पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से ज्ञान अर्जन का अवसर उपलब्ध कराए जाने की एक पद्धति से है, जो ऑनलाइन पद्धति के उपयोग के माध्यम से शिक्षार्थी हेतु पूरक शिक्षण, यदि कोई हो तो, को अपवर्जित नहीं करता है;

2.7. "'क्रेडिट' मान्यता और अंतरण" का अभिप्राय, किसी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा स्वयं अथवा किसी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान और अनुलोमत: द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किए गए किसी कार्यक्रम के लिए "'क्रेडिट'" संबंधी अपेक्षाओं हेतु मान्यता प्रदान किए जाने, परिमाणित किए जाने अथवा सम्मिलित किए जाने हेतु किसी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदत्त "'क्रेडिट'" से है;

2.8. "उपाधि" का अभिप्राय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों के अनुरूप किसी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की गई उपाधि और संबंधित देश के संगत नियमों और विनियमों के अनुसार किसी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की गई उपाधि से है;

2.9. "विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान" का अभिप्राय, विदेश में विधिवत रूप से स्थापित अथवा निगमित अथवा मान्यता प्राप्त किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान से है जो स्नातकपूर्व और/ अथवा उच्चतर स्तरों पर शैक्षिक और अनुसंधान कार्यक्रमों की पेशकश करता है;

2.10. इन विनियमों के प्रयोजनार्थ "फ्रेंचाइजिंग" का अभिप्राय और उसमें, मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान की ओर से अथवा उसके नाम से युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने अथवा संबंधित कार्यकलापों हेतु इन विनियमों के तहत मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अलावा किसी व्यक्ति अथवा संस्थान अथवा संगठन को औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से अनुमति प्रदान करना शामिल है, "फ्रेंचाईज" और "फ्रेंचाइजिंग" वाक्यांश का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;

2.11. "भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान" का अभिप्राय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत किसी विश्वविद्यालय अथवा धारा 3 के तहत किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान से है;

2.12. "कार्यक्रम" का अभिप्राय, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल कार्यक्रमों सहित उपाधि प्रदान करने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों से है;

2.13. "सांविधिक निकाय" का अभिप्राय, विश्वविद्यालयों अथवा पेशेवर कार्यक्रम(मों) सहित अध्ययन कार्यक्रम(मों) में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को विनियमित करने, उनका समन्वय करने, उनका निर्धारित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए केंद्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित अथवा निगमित निकाय से है, जिसके परिणामस्वरूप उपाधि(यां) प्राप्त की जाएं;

3. सहयोग संबंधी उपबंध:-

इन विनियमों के अंतर्गत भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग से निम्नलिखित शैक्षिक क्रियाकलाप किए जा सकेंगे: -

3.1. युगल कार्यक्रम

3.1.1. "युगल कार्यक्रम" एक सहयोगात्मक व्यवस्था होगी जिसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों का अनुपालन करते हुए, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान में नामांकित छात्र आंशिक रूप से भारत में तथा आंशिक रूप से विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान में अपना अध्ययन कार्यक्रम कर सकते हैं।

3.1.2. इस प्रकार के युगल कार्यक्रमों के तहत प्रदान की जाने वाली उपाधि केवल भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी।

3.1.3. युगल कार्यक्रम के अंतर्गत, छात्रों द्वारा विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान में अर्जित "क्रेडिट" को भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधि हेतु गिना जाएगा। तथापि, विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान से छात्रों द्वारा अर्जित "क्रेडिट", कार्यक्रम हेतु निर्धारित कुल 'क्रेडिटों' के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

3.1.4. भारतीय छात्रों द्वारा विदेशी संस्थान से अर्जित किए जाने वाले 'क्रेडिट' और भारतीय संस्थानों से विदेशी छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' पारंपरिक पद्धतियों से प्राप्त किए जाएंगे।

3.1.5. प्रत्येक संस्थान अपने संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रतिलेख जारी करेगा, जिसमें यह टिप्पणी होगी कि छात्र ने भागीदार संस्थान में कुछ मॉड्यूल, जहां कहीं लागू हों, किए हैं।

3.1.6. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान से छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' अतिव्यापी पाठ्यक्रम विषयवस्तु/पाठ्यचर्या से नहीं होंगे।

3.1.7. कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए यथा लागू, शुल्क (विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों सहित) को प्रवेश के समय सार्वजनिक किया जाएगा। शुल्क ढांचा तर्कसंगत होना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच हो तथा यह किफायती हो।

3.1.8. इस प्रकार के युगल उपाधि कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली कोई भी उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) के उपबंधों के अनुरूप होनी चाहिए और साथ ही यह संबंधित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा ऐसी उपाधि प्रदान करने के लिए यथा-निर्धारित मानकों, मानदंडों और अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

3.1.9. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान, उन छात्रों के लिए निकास मार्ग की व्यवस्था करेंगे जो छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिटों' की भावी संस्वीकृति के संबंध में स्पष्ट विनिर्देशों के साथ युगल कार्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ हैं।

3.2. संयुक्त उपाधि कार्यक्रम

3.2.1. "संयुक्त उपाधि कार्यक्रम" के लिए, पाठ्यक्रम को सहयोगी भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा और कार्यक्रम के पूर्ण होने पर, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान और सहयोगी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा एकल प्रमाणपत्र के रूप में उपाधि प्रदान की जाएगी।

3.2.2 पेशकश किया जाने वाला कोई भी संयुक्त उपाधि कार्यक्रम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) में विनिर्दिष्ट उपाधि के नाम और अवधि के अनुरूप होगा और इस प्रकार के उपाधि कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए न्यूनतम पात्रता और अन्य मानदंडों और मानकों के अनुरूप होगा।

3.2.3. छात्रों को प्रत्येक भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से कुल 'क्रेडिट' का कम से कम 30 प्रतिशत अर्जित करना होगा। भारतीय छात्रों द्वारा विदेशी संस्थान से अर्जित किए जाने वाले 'क्रेडिट' और भारतीय संस्थानों से विदेशी छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' पारंपरिक पद्धति के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।

3.2.4.किसी संस्थान में पाठ्यक्रम(मों) के लिए अर्जित 'क्रेडिट' को दोनों संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाने वाली उपाधियों हेतु गिना जाएगा।

3.2.5. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' अतिव्यापी पाठ्यक्रम विषयवस्तु/ पाठ्यचर्या से नहीं होंगे; और जिस संस्थान में विद्यार्थी उक्त पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत है उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए छात्र केवल एक परीक्षा देगा और मूल्यांकन प्रणाली से गुजरेगा।

3.2.6. डॉक्टोरल उपाधि कार्यक्रम के मामले में, प्रत्येक संस्थान में छात्रों के लिए शोध पर्यवेक्षक होना चाहिए। अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को प्रत्येक सहयोगी संस्थान में कम से कम एक सेमेस्टर बिताना होगा। तथापि, भागीदार संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए ढांचे का अनुपालन करते हुए छात्रों को एक शोध प्रबंध भी जमा करना होगा।

3.2.7. कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए यथा लागू, शुल्क (विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों सहित) को प्रवेश के समय सार्वजनिक किया जाएगा। शुल्क ढांचा तर्कसंगत होना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच हो तथा यह किफायती हो।

3.2.8 प्रत्येक संस्थान अपने संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रतिलेख जारी करेगा, जिसमें यह टिप्पणी होगी कि छात्र ने भागीदार संस्थान में कुछ मॉड्यूल, जहां कहीं लागू हों, किए हैं।

3.2.9. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान, उन छात्रों के लिए निकास मार्ग की व्यवस्था करेंगे जो छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिटों' की भावी संस्वीकृति के संबंध में स्पष्ट विनिर्देशों के साथ युगल कार्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ हैं।

3.2.10. संयुक्त उपाधि कार्यक्रम की पेशकश से संबंधित अन्य सभी उपबंध भागीदार संस्थानों द्वारा आपस में निर्धारित किए जाएंगे जोकि संबंधित संस्थान और देश के संबंधित नियमों, विनियमों और विधियों के अनुरूप होंगे।

3.3. दोहरी उपाधि कार्यक्रम

3.3.1. "दोहरी उपाधि कार्यक्रम" भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा समान विधा/ विषय क्षेत्रों तथा उसी स्तर पर संयुक्त रूप से तैयार और पेशकश किए जाएंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए उपाधियां, भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा दोनों संस्थानों की उपाधि संबंधी अपेक्षाओं पर खरा उतरने पर अलग-अलग और एक ही समय, प्रदान की जाएंगी। इसे किसी भी प्रकार से पृथक विधाओं/ विषय क्षेत्रों और/ अथवा स्तरों पर एक साथ किए जा रहे दो उपाधि कार्यक्रम नहीं माना जाएगा।

3.3.2. दोहरी उपाधि कार्यक्रम के अंतर्गत, किसी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा पेशकश की जाने वाली उपाधि, वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) में विनिर्दिष्ट उपाधि के नाम और अवधि के अनुरूप होनी चाहिए और इस प्रकार की उपाधि कार्यक्रम की पेशकश करने हेतु न्यूनतम पात्रता और अन्य मानदंड और मानकों के अनुरूप भी होनी चाहिए।

3.3.3. भावी छात्रों को भारतीय और विदेशी, दोनों उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रवेश संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करना होगा और उसे दोनों संस्थानों में अलग-अलग आवेदन करना होगा और दोनों संस्थानों में अलग-अलग प्रवेश प्राप्त करना होगा।

3.3.4. छात्रों को भारतीय संस्थान से कुल 'क्रेडिट' का कम से कम 30 प्रतिशत अर्जित करना होगा। भारतीय छात्रों द्वारा विदेशी संस्थान से अर्जित किए जाने वाले 'क्रेडिट' और भारतीय संस्थानों से विदेशी छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' पारंपरिक पद्धति के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।

3.3.5 किसी संस्थान में पाठ्यक्रम(मों) के लिए अर्जित 'क्रेडिट' को दोनों संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों हेतु गिना जाएगा।

3.3.6. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' अतिव्यापी पाठ्यक्रम विषयवस्तु/ पाठ्यचर्या से नहीं होंगे; और जिस संस्थान में छात्र उक्त पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत है उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए छात्र केवल एक परीक्षा देगा और मूल्यांकन प्रणाली से गुजरेगा।

3.3.7. डॉक्टोरल उपाधि कार्यक्रम के मामले में, प्रत्येक संस्थान में एक छात्रों के लिए शोध पर्यवेक्षक होना चाहिए। अध्ययन कार्यक्रम के दौरान छात्रों को प्रत्येक सहयोगी संस्थान में कम से कम एक सेमेस्टर बिताना होगा। तथापि, भागीदार संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए ढांचे का अनुपालन करते हुए छात्रों को एक शोध प्रबंध भी जमा करना होगा।

3.3.8. कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए यथा लागू, शुल्क (विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों सहित) को प्रवेश के समय सार्वजनिक किया जाएगा। शुल्क ढांचा तर्कसंगत होना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच हो तथा यह किफायती हो।

3.3.9. प्रत्येक संस्थान अपने संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रतिलेख जारी करेगा, जिसमें यह टिप्पणी होगी कि छात्र ने भागीदार संस्थान में कुछ मॉड्यूल किए हैं।

3.3.10. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान, उन छात्रों के लिए निकास मार्ग की व्यवस्था करेंगे जो छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिटों' की भावी संस्वीकृति के संबंध में स्पष्ट विनिर्देशों के साथ युगल कार्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ हैं।

3.3.11. दोहरी उपाधि कार्यक्रम की पेशकश से संबंधित अन्य सभी उपबंध सहभागी संस्थानों द्वारा अपने संबंधित संस्थान और देश के संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के अनुरूप पारस्परिक रूप से तय किए जाएंगे।

4. सहयोग हेतु शर्तें:-

4.1. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, किसी भी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान के साथ शैक्षिक सहयोग के लिए अपने उपयुक्त प्राधिकारी, जैसे शासी बोर्ड/ प्रबंधन बोर्ड/ सिंडिकेट/ कार्यकारी परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

4.2. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, तकनीकी, चिकित्सा, विधि, कृषि और ऐसे अन्य पेशेवर कार्यक्रमों में सहयोग करने से पूर्व संगत सांविधिक परिषदों/ निकायों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

4.3. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, विशिष्ट देशों के साथ सहयोग के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विहित मानदंडों का अनुपालन करेंगे।

4.4. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कार्यशाला सुविधाओं सहित शैक्षिक अवसंरचना, संगत पेशेवर सांविधिक परिषदों/निकायों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

4.5. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान को सहयोग हेतु अपने सहयोगी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान(नों) के साथ एक लिखित समझौता ज्ञापन अथवा करार करना होगा। समझौता ज्ञापन अथवा करार में सहयोग के प्रयोजन और संबंधित उपबंधों का विवरण स्पष्ट रूप से सम्मिलित होना चाहिए।

4.6. सहयोगात्मक व्यवस्थाओं के तहत शैक्षिक अपेक्षाओं तथा पेशकश किए जाने वाले अध्ययन कार्यक्रम(मों) के अन्य विवरणों को ऐसे कार्यक्रमों के आरंभ होने से पूर्व भारतीय और विदेशी, दोनों उच्चतर शिक्षा संस्थानों की वेबसाइटों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करके सार्वजनिक किया जाएगा।

4.7. जहां कहीं भी विदेशी मुद्रा का लेन-देन शामिल हो, उच्चतर शिक्षा संस्थान (भारतीय और विदेशी), समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी संगत विनियमों, मानदंडों, अधिसूचनाओं और अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।

4.8. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि अध्ययन कार्यक्रम(मों) और/ अथवा पेशकश किए जाने वाले शोध कार्यक्रम, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध नहीं है।

4.9. संबंधित संस्थान, इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करेंगे और भारत सरकार और समय-समय पर संबंधित सांविधिक निकाय(यों) द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य शर्त(र्तों) का भी अनुपालन करेंगे।

5. पात्रता:

भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान, इन विनियमों के तहत युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र होंगे बशर्ते वे निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों: -

5.1. उपर्युक्त बिंदु 2.11 में उल्लिखित कोई भी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) अथवा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त है और आवेदन करते समय 4-प्वाईंट स्केल पर न्यूनतम 3.01 अंक प्राप्तकर्ता है।

अथवा

जो आवेदन करते समय 'टाइम्स हॉयर एजुकेशन' अथवा 'क्यू.एस.वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' के शीर्षस्थ 1000 संस्थानों में स्थान रखता हो;

अथवा

जो आवेदन करते समय 'राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क' (एनआईआरएफ) की विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्षस्थ 100 संस्थानों में स्थान रखता हो;

5.2. जैसा कि उपर्युक्त बिंदु 2.9 में उल्लिखित है, कोई भी ऐसा विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान, जो आवेदन करते समय 'टाइम्स हायर एजुकेशन' अथवा 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' के शीर्षस्थ 1000 संस्थानों में स्थान रखता हो;

6. अंतर्राष्ट्रीय मामला संबंधी कार्यालय:-

सहयोगी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए एक कार्यालय होगा जो एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा और सभी सहयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें असीमित रूप से निम्नवत शामिल हैं:

6.1. विनियामक/सांविधिक निकायों के साथ संपर्क करना;

6.2. विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत सभी छात्रों के लिए समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करना;

6.3. सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करना;

6.4. अभिलेखों का रखरखाव करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित जानकारी का प्रसार करना;

6.5. विदेशी छात्रों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना और विदेशी छात्रों का स्वागत करने और उन्हें सहायता प्रदान करने से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करना;

6.6. विदेशों में प्रचार संबंधी क्रियाकलापों और 'ब्रांड' तैयार करने के अभियान में जुटना;

6.7. शैक्षिक सहयोग से संबंधित जानकारी को उच्चतर शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना और जब कभी भी ऐसी जानकारी मांगी जाए, उसे आयोग को उपलब्ध कराना।

6.8. इन विनियमों के तहत पेशकश किए गए कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले भारतीय और विदेशी छात्र, दोनों की शिकायतों को दूर करना।

7. विविध शर्तें:-

7.1 इन विनियमों के तहत प्रदान की गई उपाधि, निम्नवत विनिर्दिष्टताओं के साथ, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी समवर्ती उपाधि के समकक्ष होगी: (i) किसी भी प्राधिकरण से समकक्षता प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी; और (ii) प्रदत्त उपाधि में, साधारणतया, किसी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधि से जुड़े सभी लाभ, अधिकार और विशेषाधिकार होंगे।

7.2. इन विनियमों के तहत पेशकश किए जाने वाले कार्यक्रमों को ऑनलाइन और ओ.डी.एल. पद्धति से आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.3. इन विनियमों के तहत किसी भी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान और भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान के बीच, गुप्त रूप से अथवा प्रकट रूप से, अथवा किसी भी नाम से, कोई 'फ्रेंचाईजी' व्यवस्था/ अध्ययन केन्द्र चलाने की अनुमति नहीं होगी।

7.4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत कोई समविश्वविद्यालय संस्थान मौजूदा समविश्वविद्यालय विनियमों के अनुरूप तथा इन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए शैक्षिक सहयोग करेगा।

7.5. सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन/ करार में छात्र संबंधी दायित्व, शुल्क और अन्य वित्तीय व्यवस्थाएं, बौद्धिक संपदा अधिकार, छात्रों की उपस्थिति संबंधी पैटर्न, दोनों उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अध्ययन कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहने की अवधि, संयुक्त पर्यवेक्षण व्यवस्था, शोध प्रबंध की भाषा और परीक्षाएं, प्रवेश तथा मूल्यांकन प्रक्रिया और स्नातक प्रक्रिया, जहां कहीं भी लागू हो, से संबंधित उपबंध शामिल होंगे।

7.6. सहयोग से जुड़े विधिक मामलों सहित छात्रों की शिकायतों से संबंधित मामलों का निपटान शैक्षिक सहयोग करने वाले भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा किया जाएगा।

7.7. निगरानी अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से की जाएगी।

7.8. सहयोगी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, आयोग को समय-समय पर शैक्षणिक सहयोग के संबंध में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएगा।

8. उल्लंघन किए जाने की स्थिति में परिणाम:-

8.1. यदि यह पाया जाता है कि संबंधित भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान ने इन विनियमों का उल्लंघन किया है, तो आयोग अधिनियम की धारा 14 के तहत यथा उपबंधित, कार्रवाई करेगा और अपनी वेबसाइट तथा मीडिया के माध्यम से भी सूचित करेगा कि उक्त सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत पेशकश किए जाने वाले अथवा चलाए जा रहे यह कार्यक्रम(मों) इन विनियमों के अनुरूप नहीं हैं।

8.2. आयोग, इन विनियमों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान(नों) के विरुद्ध यथा विहित आगे की कार्रवाई भी कर सकता है।

9. निवर्चन:-

9.1. इन विनियमों के निवर्चन के संबंध में किसी भी प्रश्न पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा और इस मामले में उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

9.2. भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, भारतीय विधि द्वारा अभिनिर्णित होगा।

10. कठिनाई दूर करने की शक्ति:-

10.1. यदि इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने अथवा प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, कठिनाई को दूर करने के लिए जैसा आवश्यक और उचित प्रतीत हो, भारत के राजपत्र में एक आदेश प्रकाशित कर वि०अ०आ० अधिनियम, 1956 अथवा इन विनियमों के उपबंधों से असंगत उपबंधों का लोप करने उपबंध कर सकता है।

बशर्ते कि इन विनियमों के लागू होने की तिथि से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद आयोग द्वारा इस उपबंध के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./57/2022-23]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2022

F. No. 4-1/2022(IC).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 and in supersession of the University Grants Commission (Promotion & Maintenance of Standards of Academic Collaboration between Indian and Foreign Educational Institutions) Regulations, 2016 notified vide Gazette Notification dated 11.07.2016, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely:-

1. Short title, application and commencement: -

1.1. These Regulations may be called the University Grants Commission (Academic Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint Degree and Dual Degree Programmes) Regulations, 2022 (hereafter referred to as the Regulations).

1.2. These regulations lay down the minimum standards for academic collaboration between Indian Higher Educational Institutions and foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint Degree and Dual Degree Programmes.

1.3. These Regulations shall apply to-

1.3.1. Indian Higher Educational Institutions intending to collaborate with Foreign Higher Educational Institutions leading to award of degree(s); and

1.3.2. Foreign Higher Educational Institutions intending to collaborate with Indian Higher Educational Institutions.

1.4. These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: -

2.1. "Act" means the University Grants Commission Act, 1956, as amended from time to time;

2.2. "Academic Collaboration" means academic partnership between Indian Higher Educational Institution(s) and Foreign Higher Educational Institution(s), put into place through an instrument of written Agreement for the purposes of

2.2.1. Twinning Programme

2.2.2. Joint Degree Programme;

2.2.3. Dual Degree Programme;

2.3. "Assessment and Accreditation Agency", in respect of a Foreign Higher Educational Institution, means an agency or body approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country or member of global network of accreditation bodies for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of Higher Educational Institutions;

2.4. "Assessment and Accreditation Agency", in respect of an Indian Higher Educational Institution, means an agency recognized under the University Grants Commission (Recognition and monitoring of Assessment and Accreditation Agencies) Regulations, 2014;

2.5. "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of

the Act;

2.6. "Conventional mode" means a mode of providing learning opportunities through face-to-face interaction between the teacher and learner in regular class room environment but does not exclude supplementary instructions if any for the learner through use of online;

2.7. "Credit Recognition and Transfer" shall mean 'Credit' conferred by a Foreign Higher Educational Institution to be recognised, quantified and included towards the credit requirements for a programme delivered by an Indian Higher Educational Institution solely or jointly with a Foreign Higher Educational Institution and vice versa;

2.8. "Degree" means a degree awarded by an Indian Higher Educational Institution in accordance with the provisions of the section 22 of the UGC Act and a Degree awarded by a Foreign Higher Education Institution in accordance with the relevant rules and regulation of respective foreign country;

2.9. "Foreign Higher Educational Institution" means a Higher Educational Institution duly established or incorporated or recognised in a foreign country and offering academic and research programmes at the undergraduate and/or higher levels;

2.10. "Franchising" for the purpose of these regulations, means and includes the practice of allowing, formally or informally, any person or institution or organisation, other than the Higher Educational Institution recognised under these regulations for offering Twinning, Joint and Dual Degree programmes or any related activity on behalf of or in the name of the recognised Higher Educational Institution, and the terms "franchise" and "franchisee" shall be construed accordingly.

2.11. "Indian Higher Educational Institution" means a university within the meaning of Section 2(f) or an institution deemed to be university under Section 3 of the UGC Act, 1956;

2.12. "Programme" means educational programmes leading to award of Degree(s) including Post graduate and Doctoral programmes;

2.13. "Statutory Body" means a body established or incorporated by or under a Central Act to regulate, coordinate, determine and maintain standards of teaching, examination and research in universities or programme(s) of study, including professional programme(s) leading to the award of degree(s);

3. Provisions of Collaboration: -

Academic Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions under these Regulations shall facilitate the following academic activities: -

3.1. Twinning Programme

3.1.1. "Twinning Programme" shall be a collaborative arrangement whereby students enrolled with an Indian Higher Educational Institution may undertake their programme of study partly in India, complying with relevant UGC Regulations, and partly in the Foreign Higher Educational Institution.

3.1.2. The degree offered under such twinning programmes shall be awarded by the Indian Higher Educational Institution only.

3.1.3. Under twinning programme, credits earned by the students at a Foreign Higher Educational Institution shall be counted towards the degree awarded by the Indian Higher Educational Institution. However, credits earned by the student from the Foreign Higher Educational Institution shall not exceed 30 per cent of the total credits for the

programme.

3.1.4. Credits to be earned by the Indian students from the foreign institution and credits earned by the foreign students from Indian institutions shall be obtained through conventional mode.

3.1.5. Each institution shall issue a transcript for their respective courses, with a remark indicating that the student has taken certain modules at the partner institution, wherever applicable.

3.1.6. The Indian Higher Educational Institution shall ensure that the credits earned by the students from the Foreign Higher Educational Institution shall not be from overlapping course contents/curriculum.

3.1.7. Fees as applicable for the entire duration of the programme (including courses imparted by the Foreign Higher Educational Institution) shall be made public at the time of admission. Fee structure should be reasonable so as to make quality Higher Education accessible and affordable to all sections of the society.

3.1.8. Any degree to be awarded under such twinning programme must be in conformity with the provisions of section 22 (3) of the UGC Act, 1956 and shall also be in conformity with the norms, standards and requirement for award of such degree, as laid down by the statutory authority concerned.

3.1.9. The collaborating Higher Educational Institutions shall make provisions for exit pathways for students who are unable to complete the Twinning programme with clear specification with respect to future acceptance of credits earned by the students.

3.2. Joint Degree Programme

3.2.1. For a "Joint Degree programme", the curriculum shall be designed jointly by the collaborating Indian and Foreign Higher Educational Institutions and, upon completion of the programme, the Degree is awarded by the Indian Higher Educational Institution and the collaborating Foreign Higher Educational Institution with a single Certificate.

3.2.2. Any Joint degree programme to be offered shall conform to the nomenclature and duration of the degrees as specified in section 22 (3) of the UGC Act, 1956 and shall also conform to minimum eligibility and other norms and standards to offer such degree programme.

3.2.3. The students must earn at least 30 per cent of the total credits from each of the Indian and Foreign Higher Educational Institutions. Credits to be earned by the Indian students from the foreign institution and credits earned by the foreign students from Indian institutions shall be obtained through conventional mode.

3.2.4. Credits earned for the course(s) in an institution shall count towards the degrees jointly awarded by both the institutions.

3.2.5. The collaborating Higher Educational Institutions shall ensure that the credits earned by the students shall not be from overlapping course contents/curriculum and the student shall submit to only one examination and evaluation process for each of the courses by the institutions in which he/she has registered for that course.

3.2.6. In case of a doctoral degree programme, students must have a supervisor at each institution. The student shall spend a minimum of one semester in each of the collaborating institutions during the study programme. However, the student shall submit a single thesis adhering to a framework jointly devised by the participating

institutions.

3.2.7. Fees as applicable for the entire duration of the programme (including courses imparted by the Foreign Higher Educational Institution) shall be made public at the time of admission. Fee structure should be reasonable so as to make quality Higher Education accessible and affordable to all sections of the society.

3.2.8. Each Higher Educational Institution shall issue a transcript for their respective courses, with a remark indicating that the student has taken certain modules at the partner institution.

3.2.9. The collaborating Higher Educational Institutions shall make provisions for exit pathways for students who are unable to complete the Joint Degree programme with clear specification with respect to future acceptance of credits earned by the students.

3.2.10. All other provisions related to offering of Joint Degree Programme shall be decided mutually by the participating institutions conforming to the respective rules, regulations and laws of their respective institution and country.

3.3. Dual Degree Programme

3.3.1. "Dual Degree Programme" shall be a programme jointly designed and offered by the Indian and Foreign Higher Educational Institutions in the same disciplines/subject areas and in the same level. The degrees for such programme shall be conferred by the Indian and Foreign Higher Educational Institutions, separately and simultaneously, upon completion of degree requirements of both the institutions. This shall not in any way be construed as two degree programmes in separate disciplines/subject areas and/or levels being pursued simultaneously.

3.3.2. Under the Dual degree programme, the degrees to be offered by an Indian Higher Educational Institution shall conform to the nomenclature and duration of the degrees as specified in section 22 (3) of the UGC Act, 1956 and shall also conform to minimum eligibility and other norms and standards to offer such degree programme.

3.3.3. Prospective students must meet the admission requirements of both the Indian and Foreign Higher Educational Institutions and shall apply to and be admitted separately to both the institutions.

3.3.4. The students must earn at least 30 percent of total credits from the Indian institution. Credits to be earned by the Indian students from the foreign institution and credits earned by the foreign students from Indian institutions shall be obtained through conventional mode.

3.3.5. Credit earned for the course(s) in an institution shall count towards degrees to be awarded by both the institutions.

3.3.6. The collaborating Higher Educational Institutions shall ensure that the credits earned by the students shall not be from overlapping course contents/curriculum; and the student shall submit to only one examination and evaluation process for each of the courses by the institutions in which he/she has registered for that course.

3.3.7. In case of a doctoral degree programme, students must have a supervisor at each institution. The student shall spend a minimum of one semester in each of the collaborating institutions during the study programme. However, the student shall submit a single thesis adhering to a framework jointly devised by the participating institutions.

3.3.8. Fees as applicable for the entire duration of the programme (including courses imparted by the Foreign Higher Educational Institution) shall be made public at the time of admission. Fee structure should be reasonable so as to make quality Higher Education accessible and affordable to all sections of the society.

3.3.9. Each of the Higher Educational Institutions concerned shall issue a transcript for its respective courses, with a remark indicating that the student has taken certain modules at the partner institution.

3.3.10. The collaborating Higher Educational Institutions shall make provisions for exit pathways for students who are unable to complete the Dual Degree programme with clear specification with respect to future acceptance of credits earned by the students.

3.3.11. All other provisions related to offering of Dual Degree Programme shall be decided mutually by the participating institutions conforming to the respective rules, regulations and laws of their respective institution and country.

4. Conditions for Collaboration: -

4.1. The Indian Higher Educational Institutions shall obtain the approval of its appropriate authority, like Board of Governors/Board of Management/Syndicate/Executive Council for academic collaboration with any Foreign Higher Educational Institution.

4.2. Indian Higher Educational Institutions shall seek necessary approval from the relevant Statutory Councils/ Bodies before entering into collaboration in technical, medical, legal, agricultural and such other professional programmes.

4.3. The Indian Higher Educational Institutions shall abide by the norms prescribed by the Government of India from time to time for collaboration with specific countries.

4.4. Academic infrastructure, including laboratory, library and workshop facilities of the Indian Higher Educational Institutions shall meet the requirements of the relevant professional Statutory Councils/ Bodies.

4.5. The Indian Higher Educational Institution shall have to enter into a written Memorandum of Understanding or Agreement with its partner Foreign Higher Educational Institution(s) for collaboration. The MoU or Agreement must categorically include the purposes and related provisions of collaboration.

4.6. The academic requirements and other details of the programme(s) of study to be offered under collaborative arrangements shall be made public by displaying prominently in the websites of both Indian and Foreign Higher Educational Institutions, before the commencement of such programmes.

4.7. Wherever foreign exchange is involved, the Higher Educational Institutions (Indian and foreign), shall abide by and comply with the relevant regulations, norms, notifications and instructions issued by the Reserve Bank of India and Government of India from time to time.

4.8. The Indian Higher Educational Institution shall ensure that the programme(s) of study and/or research offered is not against the national security and territorial integrity of India.

4.9. The Institutions concerned shall comply with all the provisions of these Regulations and also abide by any other condition(s) specified by the Government of India and Statutory Body (ies) concerned from time to time.

5. Eligibility:

The Indian and Foreign Higher Educational Institutions shall be eligible to offer Twinning, Joint Degree and Dual Degree programmes under these regulations provided they fulfil the following eligibility criteria: -

5.1. Any Indian Higher Educational Institution as mentioned in 2.11 which is accredited by National Assessment and Accreditation Council (NAAC) or any other Agency authorised in this behalf, with a minimum score of 3.01 on a 4-point scale at the time of application;

or

which figures in the top 1000 of Times Higher Education or QS World University ranking at the time of application;

or

which figures in the top 100 in university category of National Institutional Ranking Framework (NIRF) at the time of application;

5.2. Any Foreign Higher Educational Institution as mentioned in 2.9 figuring in top 1000 of Times Higher Education or QS World University ranking at the time of application.

6. Office for International Affairs: -

The Collaborating Indian Higher Educational Institution shall have an office for International Affairs which shall function as single point of contact, and shall be responsible for carrying out all collaborative activities including, but not limited to:

6.1. Liaising with regulatory/statutory bodies;

6.2. Working as coordinating agency for all students registered under collaborative arrangements with Foreign Higher Educational Institutions;

6.3. Addressing matters related to Indian students proceeding abroad to Foreign Higher Educational Institutions under collaborative arrangements;

6.4. Maintaining records and disseminate information related to international collaborations;

6.5. Working as the nodal agency for foreign students and coordinate all matters relating to welcoming and supporting foreign students;

6.6. Engaging in promotional activities and brand building campaign abroad;

6.7. Making information relating to academic collaboration available on the Higher Educational Institution's website and provide the same to Commission whenever asked for.

6.8. Addressing the grievances of students, both Indian and foreign, who take admission in programmes offered under these Regulations.

7. Miscellaneous conditions: -

7.1. The Degree awarded under these Regulations shall be equivalent to any corresponding degree awarded by the Indian Higher Educational Institution with the following stipulations: (i) there shall be no further requirement of seeking equivalence from any authority; and (ii) the degree shall have all benefits, rights and privileges as obtaining in the case of degree, awarded by an Indian Higher Educational Institution ordinarily.

7.2. The programmes offered under these Regulations shall not be allowed in online and ODL mode.

7.3. No franchise arrangement/Study Centre, whether overtly or covertly, by whatever nomenclature

used, between a Foreign Higher Educational Institution and an Indian Higher Educational Institution shall be allowed under these Regulations.

7.4. An Institution Deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 shall enter into academic collaboration in accordance with the extant Deemed to be University Regulations and also in compliance with the provisions of these Regulations.

7.5. The MoU/Agreement for collaboration shall include provisions related to student obligations, fees and other financial arrangements, intellectual property rights, student's attendance patterns, duration of stay for the study programme in both the Higher Educational Institutions, joint supervision arrangements, language of thesis and examinations, admission and evaluation process and graduation procedures, wherever applicable.

7.6. Matters relating to the grievances of students, including legal matters relating to the collaboration shall be addressed by the Indian Higher Educational Institution entering into academic collaboration.

7.7. The monitoring shall be done through mandatory public disclosure.

7.8. The collaborating Indian Higher Educational Institution shall furnish information regarding the academic collaboration, as required by the Commission from time to time.

8. Consequence of violations: -

8.1. If the Indian Higher Educational Institution concerned is found to have violated these Regulations, the Commission shall take action as provided under section 14 of the Act and shall also notify on its website and also through media that the programme(s) offered or conducted through the said collaborative arrangements are not in conformity with these Regulations.

8.2. The Commission may also take further action as prescribed against Indian Higher Educational Institution(s) for violating these Regulations.

9. Interpretation: -

9.1. Any question as to the interpretation of these Regulations shall be decided by the Commission and its decision shall be final and binding in the matter.

9.2. Any dispute arising in relation to collaborative arrangement between Indian and Foreign Higher Educational Institution(s) shall be governed by the Indian law.

10. Power to remove difficulty:-

10.1. If any difficulty arises in implementation or in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may by an order published in the official gazette make provisions, not inconsistent with the provisions of the UGC Act, 1956 or these Regulations, as may appeared to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Provided that no order under this provision shall be made by the Commission after the expiry of a period of two years from the date of coming into force of these Regulations.

Prof. RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./57/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.02 21:25:44 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2016/वैशाख 20, 1938
No. 196] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2016/VAISAKHA 20, 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों) द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन), विनियम, 2016

संख्या. एफ0 1–2/2016 (पीएस/संशोधन).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (वर्ष 1956 का तृतीय) की धारा 26 की उप–धारा (I) तथा खंड (ई) एवं (जी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नवत विनियम, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताओं के विषय में एवं उच्च शिक्षा में मानदण्डों के अनुरक्षण हेतु उपाय विनियम, 2010 के सं''ाोधन हेतु सृजित कर रहा है, नामतः–

2. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तनः

2.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानदण्डों के अनुरक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

2.2 वे ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं संस्थान पर लागू होंगे जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है तथा इसके साथ ही ऐसे प्रत्येक संस्थान पर, संघटक अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित उन पर लागू होंगे जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुभाग 2 की धारा (एफ) के अन्तर्गत एवं इस अधिनियम 3 के अन्तर्गत प्रत्येक मानित विश्वविद्यालय के परामर्श सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

2.3 ये विनियम तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय विनियम, 2010 (प्रधान विनियम 2010) में निम्न संशोधन किये गये हैं:–

यूजीसी मुख्य विनियम 2010 की निम्न धाराओं में मौजूदा प्रावधान	**यूजीसी मुख्य विनियम 2010 की निम्न धाराओं में किये गये संशोधन**
3.0.0 सेवाओं में भर्ती किया जाना एवं अर्हताएँ 3.1.0 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया जाना–यह बात उस विज्ञापन पर जो कि अखिल भारतीय स्तर पर किया गया है तथा नियमित	**3.0.0 सेवाओं में भर्ती किया जाना एवं अर्हताएँ** 3.1.0 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया जाना–यह बात उस विज्ञापन पर जो कि अखिल भारतीय स्तर पर किया गया है तथा नियमित

रूप से गठित चयन समिति द्वारा किए गए चयन पर निर्भर रहेगा–साथ ही इन नियमनों के अधीनस्थ होगा, जो नियमन उस सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/नियमों में समाविष्ट किए जाने हैं। इस प्रकार की समितियों का गठन उसी रूप में किया जाना चाहिए जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन नियमनों में निर्धारित किया गया है।	रूप से गठित चयन समिति द्वारा किए गए चयन पर निर्भर रहेगा–साथ ही इन नियमनों के अधीनस्थ होगा, जो नियमन उस सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/नियमों में समाविष्ट किए जाने हैं। इस प्रकार की समितियों का गठन उसी रूप में किया जाना चाहिए जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन नियमनों में निर्धारित किया गया है।
3.2.0 इन सभी पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही मानी जाएँगी जिन्हें इन नियमनों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है–इन पदों का नाम है– सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर, प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूल के निदेशक, सहायक लाइब्रेरियनों, उप–लाइब्रेरियनों, लाइब्रेरियनों के लिए	3.2.0 इन सभी पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही मानी जाएँगी जिन्हें इन नियमनों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है–इन पदों का नाम है– सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर, प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूल के निदेशक, सहायक लाइब्रेरियनों, उप–लाइब्रेरियनों, लाइब्रेरियनों के लिए
3.3.0 एक अच्छा अकादमिक रिकार्ड, 55 प्रतिशत अंक (अथवा समकक्ष ग्रेड जिसका अनुसरण, किसी भी बिन्दु पैमाने की प्रणाली के लिए हो रहा हो) स्नातकोत्तर स्तर पर और राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) अथवा किसी एक मान्यता पात्र परीक्षा में योग्यता (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/सेट परीक्षा) सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों के लिए रहेंगे।	3.3.0 एक अच्छा अकादमिक रिकार्ड, 55 प्रतिशत अंक (अथवा समकक्ष ग्रेड जिसका अनुसरण, किसी भी बिन्दु पैमाने की प्रणाली के लिए हो रहा हो) स्नातकोत्तर स्तर पर और राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) अथवा किसी एक मान्यता पात्र परीक्षा में योग्यता (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/सेट परीक्षा) सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों के लिए रहेंगे।
3.3.1 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए, नेट/स्लेट/सेट ही पात्रता के लिये न्यूनतम अर्हताएँ मानी जाएँगी। बशर्ते कि, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें या तो पीएच0डी0 डिग्री प्रदान की जा चुकी है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार जो भी मानकों को बनाया गया है तथा पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने के लिए हैं) जो कि 2009 के नियमनों के अनुसार हैं, उनको नेट/स्लेट/सेट की उन पात्रता शर्तों से छूट होगी जो शर्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इसके समकक्ष पदों पर नियुक्तियों/भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं।	3.3.1 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए, नेट/स्लेट/सेट ही पात्रता के लिये न्यूनतम अर्हताएँ मानी जाएँगी। बशर्ते ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें या तो पीएच0डी0 डिग्री प्रदान की जा चुकी है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार जो भी मानकों को बनाया गया है तथा पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने के लिए हैं) जो कि 2009 अथवा बाद के विनियम जिन्हें यदि यूजीसी द्वारा अधिसूचित किया गया है के नियमनों के अनुसार हैं, उनको नेट/स्लेट/सेट की उन पात्रता शर्तों से छूट होगी जो शर्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इसके समकक्ष पदों पर नियुक्तियों/भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं। तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी: (क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो; (ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो; (ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

3.3.2 ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उन समस्त विषयों में नेट/स्लेट/सेट परीक्षा—अनिवार्य नहीं होगी—जिन विषयों में नेट/स्लेट/सेट की प्रत्यायित परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।

3.4.0 ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर नियुक्त हैं और जो विभिन्न उद्योगों अथवा शोध संस्थानों से हैं ऐसे शिक्षकों के लिए नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर सहायक प्रोफेसरों, सहायक लाइब्रेरियनों, सहायक निदेशकों जो सब शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद क्षेत्र से हैं—उनके लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहाँ पर एक समकक्ष ग्रेड जो कि किसी पॉइन्ट स्केल में हो—उसमें) अंक अनिवार्य होंगे।

3.4.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "पॉइन्ट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है—वे अनुमत होंगी—जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी—और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

3.5.0 ऐसे पीएच0डी0 धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए—55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

3.6.0 ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पर जो सापेक्ष समतुल्य माना जा रहा हो—वह समस्त प्रक्रिया पात्रता से युक्त मानी जाएगी।

3.7.0 प्रोफेसरों की नियुक्ति एवं इन पदों पर प्रोन्नति के लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदेशात्मक होगी।

3.8.0 ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्हें सीधे तौर से सह प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाना है, उनके लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदेशात्मक होगी।

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;

(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।

उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम—कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

3.3.2 ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उन समस्त विषयों में नेट/स्लेट/सेट परीक्षा—अनिवार्य नहीं होगी—जिन विषयों में नेट/स्लेट/सेट की प्रत्यायित परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।

3.4.0 ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर नियुक्त हैं और जो विभिन्न उद्योगों अथवा शोध संस्थानों से हैं ऐसे शिक्षकों के लिए नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर सहायक प्रोफेसरों, सहायक लाइब्रेरियनों, सहायक निदेशकों जो सब शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद क्षेत्र से हैं—उनके लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहाँ पर एक समकक्ष ग्रेड जो कि किसी पॉइन्ट स्केल में हो—उसमें) अंक अनिवार्य होंगे।

3.4.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक् रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "पॉइन्ट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है—वे अनुमत होंगी—जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी—और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

3.5.0 ऐसे पीएच0डी0 धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए—55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

3.6.0 ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पर जो सापेक्ष समतुल्य माना जा रहा हो—वह समस्त प्रक्रिया पात्रता से युक्त मानी जाएगी।

3.7.0 प्रोफेसरों की नियुक्ति एवं इन पदों पर प्रोन्नति के लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदे”ात्मक होगी।

3.8.0 ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्हें सीधे तौर से सह प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाना है, उनके लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदेशात्मक होगी।

3.9.0 अपनी एम.फिल. अथवा/पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त करने के लिए जो समयावधि अभ्यर्थी द्वारा लगायी गयी है, वह समस्त अवधि शैक्षिक पदों पर उनकी नियुक्तियों के लिए अध्यापन/शोध अनुभव के रूप में प्रस्तुत दावे के रूप में पेश नहीं की जा सकती।

3.9.0 अपनी एम.फिल. अथवा/पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त करने के लिए जो समयावधि अभ्यर्थी द्वारा लगायी गयी है, वह समस्त अवधि शैक्षिक पदों पर उनकी नियुक्तियों के लिए अध्यापन/शोध अनुभव के रूप में प्रस्तुत दावे के रूप में पेश नहीं की जा सकती।	
4.4.0 सहायक प्रोफेसर **4.4.1 कलाएँ, मानविकी, विज्ञान, समाज विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, भाषाएँ, विधि, पत्रकारिता एवं जन–संचार** (i) किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो–तदनुसार एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो–किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो–अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कोई समतुल्य डिग्री हो। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है–अथवा सी.एस.आइ.आर. द्वारा–अथवा इस के समतुल्य सफल किये गये परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि। (iii) उपरोक्त धारा 4.4.1 की उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है –इस सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन–2009 के अनुरूप पीएच0डी0 डिग्री प्रदान हुई है (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए है)–ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी–ऐसी शर्तें जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है।	**4.4.0 सहायक प्रोफेसर** **4.4.1 कलाएँ, मानविकी, विज्ञान, समाज विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, भाषाएँ, विधि, पत्रकारिता एवं जन–संचार** (i) किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो–तदनुसार एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो–किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो–अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कोई समतुल्य डिग्री हो। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है–अथवा सी.एस.आइ.आर. द्वारा–अथवा इस के समतुल्य सफल किये गये परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि। (iii) उपरोक्त धारा 4.4.1 की उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है –इस सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन–2009 के अनुरूप पीएच0डी0 डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है। (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए है)–ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी– जो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है। **तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल. /पीएचडी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता भार्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:** **(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो;** **(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;** **(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित**

(iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/स्लेट/सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं—उनके लिए नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।	**हुआ हो;** **(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;** **(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।** (iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/स्लेट/सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं—उनके लिए नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।
4.4.2 संगीत, अभिनय कलाएँ, दृश्य कलाएँ एवं पारम्परिक भारतीय कला स्वरूप जैसे मूर्तिकला आदि। **4.4.2.1 संगीत एवं नृत्य विद्या** **1. सहायक प्रोफेसर** (i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड—जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो वहाँ पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो।) उनके स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री स्तर पर—उनके अपने सापेक्ष विषय में हो—अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से एक समतुल्य डिग्री हो। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों ने यू.जी.सी., सी.एस.आइ.आर. द्वारा संचालित जो व्याख्याताओं के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोग द्वारा संचालित/प्रत्यायित इसी की समतुल्य परीक्षा है—उसको सफलतापूर्वक पास कर लिया हो। इस अनुच्छेद 4.4.2.1 के अंतर्गत सम्मिलित उप–धाराएँ (i) एवं (ii) के बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पीएच0डी0 है अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है तथा जो प्रक्रिया यू0जी0सी0 नियमन, 2009 (पीएच0डी0 डिग्री के न्यूनतम मानक एवं विधि) के अनुसार है, ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की उस न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी—जो शर्तें विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हुई हैं।	**4.4.2 संगीत, अभिनय कलाएँ, दृश्य कलाएँ एवं पारम्परिक भारतीय कला स्वरूप जैसे मूर्तिकला आदि।** **4.4.2.1 संगीत एवं नृत्य विद्या** **2. सहायक प्रोफेसर** (i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड—जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो वहाँ पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो।) उनके स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री स्तर पर—उनके अपने सापेक्ष विषय में हो—अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से एक समतुल्य डिग्री हो। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों ने यू.जी.सी., सी.एस.आइ.आर. द्वारा संचालित जो व्याख्याताओं के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोग द्वारा संचालित/प्रत्यायित इसी की समतुल्य परीक्षा है—उसको सफलतापूर्वक पास कर लिया हो। इस अनुच्छेद 4.4.2.1 के अंतर्गत सम्मिलित उप–धाराएँ (i) एवं (ii) के बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पीएच0डी0 है अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है तथा जो प्रक्रिया यू0जी0सी0 नियमन, 2009 (पीएच0डी0 डिग्री के न्यूनतम मानक एवं विधि) के अनुसार है, ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की उस न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी—जो शर्तें विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हुई हैं। **तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल. /पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता**

	भार्तों की अनिवार्यतासे छूट प्राप्त होगीः **(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो;** **(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;** **(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;** **(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;** **(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।**
(iii) कुछ विषय जिनमें नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता है–उन विषयों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों की अनिवार्यता नेट/स्लेट/सेट में नहीं होगी। **अथवा** (i) एक पारम्परिक एवं व्यावसायिक कलाविद् जिसने अपने सम्बद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय तौर पर व्यावसायिक उपलब्धि की है–और जिसके द्वारा किया गया हो– (अ) उसने सुप्रसिद्ध/प्रतिष्ठित पारम्परिक गुरुजनों के शिष्य के रूप में अध्ययन किया हो–तथा अपना विषय विशेष की व्याख्या करने का सम्पूर्ण ज्ञान है : (ब) दूरदर्शन/आकाशवाणी का वह उच्च स्तरीय कलाकार हो, तथा (स) उसमें अपने विशिष्ट विषय के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या करने की योग्यता हो तथा उस विषय में सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन सचित्र माध्यम द्वारा करने का पर्याप्त ज्ञान हो।	(iii) कुछ विषय जिनमें नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता है–उन विषयों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों की अनिवार्यता नेट/स्लेट/सेट में नहीं होगी। **अथवा** (i) एक पारम्परिक एवं व्यावसायिक कलाविद् जिसने अपने सम्बद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय तौर पर व्यावसायिक उपलब्धि की है–और जिसके द्वारा किया गया हो– (अ) उसने सुप्रसिद्ध/प्रतिष्ठित पारम्परिक गुरुजनों के शिष्य के रूप में अध्ययन किया हो–तथा अपना विषय विशेष की व्याख्या करने का सम्पूर्ण ज्ञान है : (ब) दूरदर्शन/आकाशवाणी का वह उच्च स्तरीय कलाकार हो, तथा (स) उसमें अपने विशिष्ट विषय के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या करने की योग्यता हो तथा उस विषय में सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन सचित्र माध्यम द्वारा करने का पर्याप्त ज्ञान हो।
4.4.2..2 नाटक संबंधी विषयवस्तु **1. सहायक प्रोफेसर** (i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–कम से कम स्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत अंक हों (तथा एक पॉइन्ट स्केल के–जहाँ पर कोई ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो इसमें ही एक समतुल्य ग्रेड।) तथा स्नातकोत्तर स्तर उस सापेक्ष विषय में किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री। (ii) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास की गई हो, जिस परीक्षा को यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित किया जाता है अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित	**4.4.2..2 नाटक संबंधी विषयवस्तु** **1. सहायक प्रोफेसर** (i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–कम से कम स्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत अंक हों (तथा एक पॉइन्ट स्केल के–जहाँ पर कोई ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो इसमें ही एक समतुल्य ग्रेड।) तथा स्नातकोत्तर स्तर उस सापेक्ष विषय में किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री। (ii) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास की गई हो, जिस परीक्षा को यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित किया जाता है अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित

समान स्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया गया हो। वैसे भी, ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच0डी0 धारक हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 मिल रही है, जो प्रक्रिया यू0जी0सी नियमन, 2009 के अनुसार है—(पीएच0डी0 डिग्री को प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं विधि) वे अभ्यर्थी उस अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे—जो अनिवार्यता विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा उनकी समकक्ष स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए नेट/स्लेट/सेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से सम्बन्धित की थी।

(iii) उपरोक्त समस्त के प्रति, बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे समस्त विषय, जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता हैं—उन कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट में अनिवार्य नहीं होंगे।

अथवा

(iv) एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार जिसकी अत्यन्त उत्कृष्ट प्रशंसनीय उपलब्धियाँ अपने विषय विशेष में हैं—जो या तो निम्नवत हो अथवा उसके पास हो—

1. एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार, जिसके पास प्रथम

समान स्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया गया हो। वैसे भी, ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच0डी0 धारक हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 मिल रही है, जो प्रक्रिया यू0जी0सी नियमन, 2009 के अनुसार है—(पीएच0डी0 डिग्री को प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं विधि) वे अभ्यर्थी उस अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे—जो अनिवार्यता विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा उनकी समकक्ष स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए नेट/स्लेट/सेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से सम्बन्धित की थी।

तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तो पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता भार्तो की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगीः

स(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो;

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;

(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।

उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम—कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम—कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(iii) उपरोक्त समस्त के प्रति, बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे समस्त विषय, जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता हैं—उन कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट में अनिवार्य नहीं होंगे।

अथवा

(iv) एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार जिसकी अत्यन्त उत्कृष्ट प्रशंसनीय उपलब्धियाँ अपने विषय विशेष में हैं—जो या तो निम्नवत हो अथवा उसके पास हो—

1. एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार, जिसके पास प्रथम

श्रेणी की डिग्री/डिप्लोमा–जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अथवा भारतवर्ष या विदेश में स्थित इसी प्रकार के अनुमोदित संस्थान से हो– 2. क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय रंगमंचीय स्तर पर अभिनन्दित पाँच वर्ष का निरन्तर निष्पादन–जो कि साक्ष्य द्वारा समर्थित हो। 3. उसमें वह योग्यता विद्यमान हो कि अपने संबद्ध विषय की तार्किक विवेचना की व्याख्या प्रस्तुत कर सके–उसमें पर्याप्त जानकारी हो जिससे वह अपने संबद्ध विषय में उदाहरणों की सहायता से सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन कर सके।	श्रेणी की डिग्री/डिप्लोमा–जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अथवा भारतवर्ष या विदेश में स्थित इसी प्रकार के अनुमोदित संस्थान से हो– 2. क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय रंगमंचीय स्तर पर अभिनन्दित पाँच वर्ष का निरन्तर निष्पादन–जो कि साक्ष्य द्वारा समर्थित हो। 3. उसमें वह योग्यता विद्यमान हो कि अपने संबद्ध विषय की तार्किक विवेचना की व्याख्या प्रस्तुत कर सके–उसमें पर्याप्त जानकारी हो जिससे वह अपने संबद्ध विषय में उदाहरणों की सहायता से सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन कर सके।
4.4.2.3 दृश्य (ललित) कला विषयवस्तु **1. सहायक प्रोफेसर** (i) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड (अथवा जिस स्थिति में ग्रेड प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो – वहाँ समतुल्य ग्रेड जो उस पॉइन्ट –स्केल में हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो, जो कि संबद्ध विषय में हो, अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त समस्तरीय डिग्री हो। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किया गया हो, जो परीक्षा, यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा प्राध्यापकों के लिए होता है, अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही समरूप कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस, धारा 4.4.2.3 में जो उपधाराओं के (i) एवं (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, उनके अतिरिक्त भी, ऐसे अभ्यर्थी जो या तो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें यह प्रदान की गई है और जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2009 (न्यूनतम मानक एवं प्रणाली जो कि पीएच.डी.प्रदान करने के लिए हैं) वे लोग भी उन न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे, जो शर्तें, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा समतुल्य स्थितियों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हैं।	**4.4.2.3 दृश्य (ललित) कला विषयवस्तु** **1. सहायक प्रोफेसर** (i) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड (अथवा जिस स्थिति में ग्रेड प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो – वहाँ समतुल्य ग्रेड जो उस पॉइन्ट –स्केल में हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो, जो कि संबद्ध विषय में हो, अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त समस्तरीय डिग्री हो। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किया गया हो, जो परीक्षा, यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा प्राध्यापकों के लिए होता है, अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही समरूप कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस, धारा 4.4.2.3 में जो उपधाराओं के (i) एवं (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, उनके अतिरिक्त भी, ऐसे अभ्यर्थी जो या तो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें यह प्रदान की गई है और जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2009 (न्यूनतम मानक एवं प्रणाली जो कि पीएच.डी.प्रदान करने के लिए हैं) वे लोग भी उन न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे, जो शर्तें, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा समतुल्य स्थितियों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हैं। **तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएच0डी0 हेतु कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नैट/सैट/स्लैट की न्यूनतम पात्रता की भार्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:** **(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो;** **(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;** **(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;**

	(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों; **(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।** **उपर्युक्त (क) से (ड.) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।**
(iii) उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, नेट/स्लैट/सैट परीक्षा ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाले विषयों में अनिवार्य रूप से नहीं होगी जिन विषयों में नेट/स्लैट/सैट को संचालित नहीं किया जा रहा है।	(iii) उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, नेट/स्लैट/सैट परीक्षा ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाले विषयों में अनिवार्य रूप से नहीं होगी जिन विषयों में नेट/स्लैट/सैट को संचालित नहीं किया जा रहा है।
अथवा (i) वह एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार हो जिसकी अपने संबद्ध विषय में उत्कृष्ठ रूप से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि हो, तथा जिसके पास होने चाहिए— 1. भारतवर्ष/विदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से दृश्य (ललित)कला विषयवस्तु में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा 2. नियमित रूप से क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ/कार्यशालाएँ आयोजित करने का 5 वर्ष का अनुभव हो—जो साक्ष्यों द्वारा समर्थित हो एवं, 3. अपने विशिष्ट विषयवस्तु की तार्किक यथास्थिति की व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए तथा उस विषय में सिद्धांतों के अध्यापन में उदाहरणों द्वारा सहायता प्रदान करने की योग्यता हो।	**अथवा** (i) वह एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार हो जिसकी अपने संबद्ध विषय में उत्कृष्ठ रूप से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि हो, तथा जिसके पास होने चाहिए— **1.** भारतवर्ष/विदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से दृश्य (ललित)कला विषयवस्तु में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा **2.** नियमित रूप से क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ/कार्यशालाएँ आयोजित करने का 5 वर्ष का अनुभव हो—जो साक्ष्यों द्वारा समर्थित हो एवं, **3.** अपने विशिष्ट विषयवस्तु की तार्किक यथास्थिति की व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए तथा उस विषय में सिद्धांतों के अध्यापन में उदाहरणों द्वारा सहायता प्रदान करने की योग्यता हो।

4.5.3 विश्वविद्यालयों में सहायक लाइब्रेरियन /महाविद्यालय में लाइब्रेरियन	**4.5.3 विश्वविद्यालयों में सहायक लाइब्रेरियन /महाविद्यालय में लाइब्रेरियन**
i लाइब्रेरी साइंस/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, अथवा एक समकक्ष व्यावसायिक डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) तथा सुसंगत तौर से श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें लाइब्रेरी के कम्प्यूटरीकरण की जानकारी भी हो।	**i** लाइब्रेरी साइंस/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, अथवा एक समकक्ष व्यावसायिक डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) तथा सुसंगत तौर से श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें लाइब्रेरी के कम्प्यूटरीकरण की जानकारी भी हो।
ii राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, जो कि इस उद्देश्य से यू.जी.सी. द्वारा अथवा किसी अन्य ऐसी संस्था द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित है—उस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना	**ii** राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, जो कि इस उद्देश्य से यू.जी.सी. द्वारा अथवा किसी अन्य ऐसी संस्था द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित है—उस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना
iii वैसे, जो भी ऐसे प्रत्याशी हैं जो पीएच0डी0 प्राप्त हैं अथवा जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए हैं) नियमनों 2009 के अनुसार यह मिली है, ऐसे प्रत्याशियों को न्यूनतम पात्रता शर्त की अनिवार्यता से छूट होगी—जो शर्त नेट/स्लेट/सेट के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा)/शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के महाविद्यालय में निदेशक के पदों पर भर्ती	**iii** वैसे, जो भी ऐसे प्रत्याशी हैं जो पीएच0डी0 प्राप्त हैं अथवा जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए हैं) नियमनों 2009 के अनुसार अथवा बाद वाले नियमनों के अनुसार यदि वे यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु अधिसूचित किये गये हैं।

	एवं नियुक्ति के लिए निर्धारित हैं।		**तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल. /पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/ विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता भार्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:** **(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएच0डी0 उपाधि प्रदान की गई हो;** **(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;** **(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;** **(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;** **(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।**
4.6.3	**विश्वविद्यालय में सहायक–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/महाविद्यालय में निदेशक–शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद**	**4.6.3**	**विश्वविद्यालय में सहायक–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/महाविद्यालय में निदेशक–शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद**
i	शारीरिक शिक्षा में अथवा खेलकूद विज्ञान में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) जिसके साथ ही सुसंगत श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड।	**i**	शारीरिक शिक्षा में अथवा खेलकूद विज्ञान में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) जिसके साथ ही सुसंगत श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड।
ii	यह अभिलेख मौजूद हों कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का अन्तर–विश्वविद्यालय/अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में अथवा राज्य एवं/अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व रहा हो।	**ii**	यह अभिलेख मौजूद हों कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का अन्तर–विश्वविद्यालय/अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में अथवा राज्य एवं/अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व रहा हो।
iii	राष्ट्रीय स्तर का कोई परीक्षण जो इस उद्देश्य से यू0जी0सी द्वारा अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा जो कि यू0जी0सी0 द्वारा अनुमोदित हो–संचालित किया गया हो–जिसमें कि अर्हता प्राप्त की हो।	**iii**	राष्ट्रीय स्तर का कोई परीक्षण जो इस उद्देश्य से यू0जी0सी0 द्वारा अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा जो कि यू0जी0सी0 द्वारा अनुमोदित हो–संचालित किया गया हो–जिसमें कि अर्हता प्राप्त की हो।
iv	इन नियमनों के अनुसार जो शारीरिक क्षमता परीक्षण संचालित हुए थे–उनमें सफल हुए हों।	**iv**	इन नियमनों के अनुसार जो शारीरिक क्षमता परीक्षण संचालित हुए थे–उनमें सफल हुए हों।
v	वैसे, ऐसे प्रत्याशी, जो कि या तो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है, जो कि यू0जी0सी0 नियमन, 2009 के अनुसार हैं (न्यूनतम मानक एवं	**v**	वैसे, ऐसे प्रत्याशी, जो कि या तो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है, जो कि यू0जी0सी0 नियमन, 2009 के अनुसार हैं (न्यूनतम मानक एवं

पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने की प्रणाली) ऐसे सभी प्रत्याशियों को नेट/स्लेट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी—जो शर्तें विश्वविद्यालय सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा/महाविद्यालय निदेशक—शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद) की भर्ती एवं नियुक्ति के लिए हैं।	पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने की प्रणाली) ऐसे सभी प्रत्याशियों को नेट/स्लेट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी—जो शर्तें विश्वविद्यालय सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा/महाविद्यालय निदेशक—शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद) की भर्ती एवं नियुक्ति के लिए हैं। **तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता भार्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगीः** **(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएच0डी0 उपाधि प्रदान की गई हो;** **(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;** **(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;** **(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;** **(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम—कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम—कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।**

4. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ़ की नियुक्तियों एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय 2010 (प्रधान विनियम) के अनुलग्नक III की मौजूदा तालिकाएँ एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ़ की नियुक्ति एवं पदोन्नति से संबद्ध परिकलन प्राप्तांकों संबंधी संशोधन 2013 (द्वितीय संशोधन) संशोधित होगा तथा यह उन संशोधित I से IX तालिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित होगा जो इन तृतीय संशोधित विनियमों के साथ संलग्न हैं।

[विज्ञापन—III/4/असा./78(137)]

प्रो0 जसपाल सिंह सन्धू, सचिव

परिशिष्ट—तीनः तालिका एक

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक आचार्य, सह—आचार्य, और आचार्य के लिए करियर प्रगति योजना (सीएएस) पदोन्नति हेतु अकादमिक प्रदर्शन संकेतांक (एपीआई) तथा सह—आचार्य और आचार्य की सीधी भर्ती हेतु प्रस्तावित अंक

शिक्षकों के विभिन्न स्तरों के लिए प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य भार और अधिमान दिया जाए

	प्रति सप्ताह प्रत्यक्ष शिक्षण घंटे	अधिमान
सहायक आचार्य	18+6*	100
सह—आचार्य	16+6*	90
आचार्य	14+6*	80

शिक्षक के स्व–आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित किया जाता है (क) शिक्षण संबंधित क्रियाकलाप कार्यक्षेत्र की जानकारी (ख) परीक्षा और मूल्यांकन में भागीदारी (ग)नवोन्मेशी शिक्षण, नये पाठ्यक्रमों के प्रति योगदान आदि और (घ) छात्रों का फीडबैक। इस श्रेणी के शिक्षकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग–अलग हैं। स्व–आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए। इसे छानबीन सह मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

श्रेणी एकः शिक्षण, ज्ञानार्जन और मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलाप

श्रेणी	क्रियाकलाप की प्रकृति	सहायक आचार्य		सह–आचार्य		आचार्य	
		अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक
एक	क. व्याख्यान– कक्षा शिक्षण (वि.अ.आ. के मानकों से अधिशेष व्याख्यानों सहित)	60	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	50	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	45	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10
	ख. परीक्षा ड्यूटी (प्रश्न पत्र तैयार करना, पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन) आवंटन अनुसार	20	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10
	ग. नवोन्मेशी शिक्षण– ज्ञानार्जन प्रणालियां, विषय वस्तु/पाठ्यक्रमों आदि को अद्यतन करना	10	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10
	घ. छात्रों का फीडबैक (जिन छात्रों की प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% उपस्थिति है वही फीडबैक देने के पात्र हैं)	10	उत्कृष्ट 10 बहुत अच्छा 8 अच्छा 6 औसत 4 औसत से कम 0	10	उत्कृष्ट 10 बहुत अच्छा 8 अच्छा 6 औसत 4 औसत से कम 0	10	उत्कृष्ट 10 बहुत अच्छा 8 अच्छा 6 औसत 4 औसत से कम 0

*नोटः 1. प्रति सप्ताह 18/16/14 घंटे में व्याख्यान/प्रैक्टिकल्स/प्रोजेक्ट पर्यवेक्षण शामिल हैं। दो घंटे के प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट पर्यवेक्षण को एक घंटे के व्याख्यान के बराबर समझा जाए। जो शिक्षक एक बार में पांच अथवा अधिक पीएचडी छात्रों के शोध का पर्यवेक्षण करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष शिक्षण घंटों में प्रति सप्ताह दो घंटे की कमी की अनुमति दी जाए।

2. प्रति सप्ताह 6 घंटों में शैक्षिक कार्य, उपचारात्मक कक्षाएं, संगोष्ठियां, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, नवोन्मेश और पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने में व्यतीत हुए घंटे शामिल हैं।

3. पर्यवेक्षण, प्रश्न पत्रों को तैयार करने, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने और परिणामों की तालिका बनाने में व्यतीत घंटे निर्धारित प्रत्यक्ष शिक्षण घंटों से अतिरिक्त हैं और ये प्रत्येक सप्ताह 40 घंटों के समग्र शिक्षण कार्य भार का अभिन्न अंग हैं।

4. शिक्षण की विशेष श्रेणी हेतु व्याख्यानों के आवंटन को वि.अ.आ. मानकों के अनुसार जोड़ा जाए। विश्वविद्यालय न्यूनतम कट–ऑफ निर्धारित कर सकता है, जैसे 75ः जिसके नीचे इन उप–श्रेणियों में कोई भी अंक नहीं दिया जा सकता।

श्रेणी दोः व्यावसायिक विकास, सह—पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलाप

शिक्षक के स्व—आकलन पर आधारित, श्रेणी दो एपीआई अंकों को व्यावसायिक विकास, सह—पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलापों और संबंधित योगदानों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। पदोन्नति की पात्रता हेतु शिक्षकों द्वारा आवश्यक न्यूनतम एपीआई को तालिका II– ए में निर्धारित किया गया है। मदों और अंकों की एक सूची नीचे दी गई है। स्व—आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक आचार्य से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक आचार्य से सह—आचार्य और सह—आचार्य से आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु तथा सह—आचार्य और आचार्य के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

नीचे दी गई नमूना तालिका में क्रियाकलापों और एपीआई अंकों के समूह दिये गये हैं। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

श्रेणी दो	क्रियाकलाप की प्रकृति	अधिकतम एपीआई अंक	वास्तविक अंक
क. (i) (ii) (iii)	छात्र संबंधी सह—पाठ्यक्रम, विस्तारण और क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप विषय संबंधी सह—पाठ्यक्रम क्रियाकलाप (यथा क्षेत्र कार्य, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठी और अन्य आयोजन, करियर परामर्श आदि) अन्य सह—पाठ्यक्रम गतिविधियां (सांस्कृतिक, खेलकूद, रा.से.यो., एनसीसी आदि) विस्तारण और प्रसार क्रियाकलाप (सार्वजनिक/प्रसिद्ध व्याख्यान/चर्चा/संगोष्ठियां आदि)	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷ 10
ख. (i) (ii)	कारपोरेट जीवन के प्रति योगदान और शैक्षिक और प्रशासनिक समितियों तथा उत्तरदायित्वों में भागीदारी के माध्यम से विभाग और संस्था का प्रबंधन प्रशासनिक उत्तरदायित्व (इसमें डीन/प्राचार्य/सभापति/संयोजक/प्रभारी शिक्षक/अन्य समान ड्यूटी जिनके निस्तारण हेतु नियमित कार्यालय आने की आवश्यकता होती है, शामिल हैं) अध्ययन, शैक्षिक और प्रशासनिक समितियों के बोर्ड में भागीदारी	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷ 10
ग.	व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप (यथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों, लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, औद्योगिक अनुभव, चर्चा में भाग लेना, पुनश्चर्या/संकाय विकास पाठ्यक्रमों में व्याख्यान देना, संघों की सदस्यता, प्रसार, और सामान्य लेख तथा अन्य कोई योगदान)	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷ 10

श्रेणी—तीनः शोध और शैक्षिक योगदान

शिक्षक के स्व—आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को शोध और शैक्षिक योगदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इस श्रेणी के शिक्षकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग—अलग हैं। स्व—आकलन अंक सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन—सह—मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक आचार्य से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक आचार्य से सह—आचार्य और सह—आचार्य से आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु तथा सह—आचार्य और आचार्य के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

श्रेणी	क्रियाकलाप	विज्ञान/इंजीनियरिंग/कृषि/चिकित्सा/पशु विज्ञान	भाषा/मानविकी/कला/सामाजिक विज्ञान/पुस्तकालय/शारीरिक शिक्षा/प्रबंधन के संकाय	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक हेतु अधिकतम अंक*
तीन (क)	शोध पत्रों का प्रकाशनः	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित(Refereed) पत्रिकाएं	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित पत्रिकाएं	15 प्रति प्रकाशन
		वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं	10 प्रति प्रकाशन
तीन (ख)	पत्रिका लेखों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय)	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें	30 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विषय पुस्तकें अथवा राज्य/केन्द्र सरकार के प्रकाशन	वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विषय पुस्तकें अथवा राज्य/केन्द्र सरकार के प्रकाशन	20 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित अन्य	वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित अन्य	15 प्रति पुस्तक एकल

		स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषय पुस्तकें	स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषय पुस्तकें	लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में अध्याय	वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में अध्याय	अंतर्राष्ट्रीय–10 प्रति अध्याय राष्ट्रीय– 5 प्रति अध्याय

तीन(ग)	शोध परियोजनाएं				
तीन(ग) (एक)	प्रायोजित परियोजनाएं	(क) 30.0 लाख रू. से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं		5.0 लाख रू. से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	20 प्रति परियोजना
		(ख) 5.0 लाख रू. से 30.0 लाख रू. तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं		3.0 लाख रू. से 5.0 लाख रू. तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	15 प्रति परियोजना
		(ग) 1.0 लाख रूपए से 5.0 लाख रूपए तक वाली लघु परियोजनाएं		1.0 लाख रूपए से 3.0 लाख रू. तक वाली लघु परियोजनाएं	10 प्रति परियोजना
तीन(ग) (दो)	परामर्शी परियोजनाएं	न्यूनतम 10.0 लाख रूपए की राशि को संघटित करना		न्यूनतम 2.0 लाख रूपए की राशि को संघटित करना	10 क्रमशः प्रत्येक 10.0 लाख रू. और 2.0 लाख रूपए हेतु
तीन(ग) (तीन)	परियोजना परिणाम/निष्कर्श	पेटेंट/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/उत्पाद/प्रक्रिया		केन्द्र/राज्य सरकार के निकायों के प्रमुख नीति दस्तावेज तैयार करना	30 प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय/ 20 प्रत्येक राष्ट्रीय स्तर के उत्पादन अथवा पेटेंट अथवा प्रमुख नीति दस्तावेज हेतु
तीन(घ)	शोध मार्गदर्शन				
तीन(घ) (एक)	एम.फिल	उपाधि प्रदान की गई		उपाधि प्रदान की गई	5 प्रति उम्मीदवार
तीन(घ) (दो)	पीएचडी	उपाधि प्रदान की गई		उपाधि प्रदान की गई	15 प्रति उम्मीदवार
		शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया		शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया	10 प्रति उम्मीदवार
तीन(ड)	अध्येतावृति, पुरस्कार और सम्मेलनों/संगोष्ठियों में दिए गए आमंत्रण व्याख्यान				
तीन(ड) (एक)	अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृति			अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृति	15 प्रति पुरस्कार/15 प्रति अध्येतावृति
	राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृति			राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृति	10 प्रति पुरस्कार/10 प्रति अध्येतावृति
	राज्य/विश्वविद्यालय स्तरीय पुरस्कार			राज्य/विश्वविद्यालय स्तरीय पुरस्कार	5 प्रति पुरस्कार
तीन(ड) (दो)	आमंत्रण व्याख्यान/पत्र		अंतर्राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय	7 प्रति व्याख्यान/ 5 प्रति प्रस्तुत पत्र
			राष्ट्रीय स्तरीय	राष्ट्रीय स्तरीय	5 प्रति व्याख्यान/ 3 प्रति प्रस्तुत पत्र
			राज्य/विश्वविद्यालय स्तरीय	राज्य/विश्वविद्यालय स्तरीय	3 प्रति व्याख्यान/ 2 प्रति प्रस्तुत पत्र

इस उप–श्रेणी के अंतर्गत अंकों को किसी भी आकलन अवधि हेतु श्रेणी तीन के लिए निर्धारित न्यूनतम के 20ः तक सीमित कर दिया जाएगा।		
तीन(च)	ई–लर्निंग परिदान प्रक्रिया /सामग्री का विकास	10 प्रत्येक इकाई

* जहां कहीं भी किसी विशेष विषय से प्रासंगिक हो, संदर्भित (Refereed) पत्रिकाओं में पत्र हेतु एपीआई अंकों को निम्न प्रकार जोड़ा जाएगाः जो (एक) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र– 5 अंकों द्वारा (दो)1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 10 अंकों द्वारा (तीन) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 15 अंकों द्वारा (चार) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 20 अंकों द्वारा (पांच) 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र– 25 अंकों द्वारा। संयुक्त प्रकाशनों हेतु एपीआई की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की प्रासंगिक श्रेणी हेतु कुल अंकों के, प्रथम और प्रमुख/यही लेखक/पर्यवेक्षक/मार्गदर्शक कुल अंकों के 70% को समान रूप से साझा करेंगे और ''ाेष 30% ''ाेष अन्य लेखकों द्वारा समान रूप से साझा किए जाएंगे।

परिशिष्ट–तीन तालिका–दो (क)

विश्वविद्यालय विभागों और महाविद्यालयों में करियर प्रगति योजना (सीएएस) के अन्तर्गत शिक्षकों की पदोन्नति हेतु परिशिष्ट–तीन तालिका एक में दिए गए न्यूनतम एपीआई को लागू किया जाए और विशेषज्ञ आकलन हेतु अधिमान

श्रेणी	क्रियाकलाप	सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 1 से चरण 2)	सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 2 से चरण 3)	सहायक आचार्य (चरण 3) से सह–आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 4)	सह–आचार्य (चरण 4) से आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 5)	आचार्य (चरण 5) से आचार्य (चरण 6)
एक	शिक्षण–ज्ञानार्जन, मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलाप	80/वर्ष	80/ वर्ष	75/ वर्ष	70/ वर्ष	70/ वर्ष
दो	व्यावसायिक विकास और विस्तारण क्रियाकलाप–न्यूनतम अंकों का आंकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	100/आकलन अवधि
तीन	शोध और शैक्षिक योगदान– न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	20/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	75/आकलन अवधि	100/आकलन अवधि	400/आकलन अवधि
दो . तीन	श्रेणी दो और तीन के अंतर्गत न्यूनतम कुल एपीआई अंक*	90/आकलन अवधि	120/आकलन अवधि	150/आकलन अवधि	180/आकलन अवधि	600/आकलन अवधि
चार	विशेषज्ञ आकलन प्रणाली	छानबीन–सह–आकलन समिति	छानबीन–सह–आकलन समिति	चयन समिति	चयन समिति	विशेषज्ञ समिति
पांच	विशेषज्ञ आकलन में अधिमान अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल अधिमान¾ 100। पदोन्नति हेतु न्यूनतम 50 की आवश्यक हैं)	अलग से कोई अंक नहीं।छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	30% शोध योगदान 50% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अनुभव का आकलन 20% साक्षात्कार में प्रदर्शन	50% शोध योगदान 30% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अनुभव का आकलन 20% साक्षात्कार में प्रदर्शन	50% शोध योगदान 50% प्रदर्शन मूल्यांकन और संप्रेक्षण प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रत्यय पत्र

*** शिक्षक श्रेणी दो–तीन के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए श्रेणी दो अथवा श्रेणी तीन किसी से भी अंकों का शेष प्राप्त कर सकते हैं।**

परिशिष्ट–तीन तालिका–दो (ख)

विश्वविद्यालय विभागों/महाविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु एपीआई के लिए न्यूनतम अंक और विनियम में वर्णित अन्य विनिर्दिष्ट पात्रता योग्यताओं के साथ अधिमानों पर चयन समितियों में विचार किया जाना

	सहायक आचार्य (चरण 1)	**सह–आचार्य (चरण 4)**	**आचार्य (चरण 5)**
न्यूनतम एपीआई अंक	इन विनियमों में यथा वर्णित न्यूनतम योग्यता	एपीआई की श्रेणी दो और तीन से 300 अंकों के कुल एपीआई अंकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)	एपीआई की श्रेणी दो और तीन से 400 अंकों के कुल एपीआई अंकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)
चयन समिति मानदण्ड/अधिमान (कुल अधिमान ¾ 100)	(क) शैक्षिक रिकार्ड और शोध प्रदर्शन (50%) (ख) विषय की जानकारी और शिक्षण कौशल का आकलन (30%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)	(क) शैक्षिक पृष्ठभूमि (20%) (ख) एपीआई अंक और प्रकाशनों की गुणवत्ता पर आधारित शोध प्रदर्शन (40%) (ग) विषय की जानकारी और शिक्षण कौशल का आकलन (20%) (घ) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)	(क) शैक्षिक पृष्ठभूमि (20%) (ख) एपीआई अंक और प्रकाशनों की गुणवत्ता पर आधारित शोध प्रदर्शन (40%) (ग) विषय की जानकारी और शिक्षण कौशल का आकलन (20%) (घ) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)

परिशिष्ट–तीन तालिका–तीन

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और सेवा संबंधी अपेक्षाएं

क्रम संख्या	सीएएस के माध्यम से शिक्षकों की पदोन्नति	सेवा आवश्यकताएं	न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और छानबीन/चयन मानदण्ड
1	सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग चरण 1 से चरण 2	चरण 1 में सहायक आचार्य और पीएचडी के साथ चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंनें एम.फिल/एलएलएम, एम. टेक, एम.वी.एससी., एम.डी. जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने पीएचडी/एमफिल/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बिना छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(एक) तालिका दो(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक (दो) 2/3 सप्ताह की अवधि का एक प्रबोधन और एक पुनश्चर्या/शोध प्रणाली पाठ्यक्रम (तीन) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
2	सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग चरण 2 से चरण 3	चरण 2 में पांच वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक आचार्य	(एक) तालिका दो (क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक (दो) पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों, प्रविधि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, शिक्षण–ज्ञानार्जन–मूल्यांकन तकनीक वृत्तिों, सरल कौशल विकास कायक्रमों और संकाय विकास कायक्रमों की श्रेणियों में से 2/3 सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यक्रम/वृत्ति (तीन) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
3	सहायक आचार्य(चरण 3) से सह–आचार्य (चरण 4)	चरण 3 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक आचार्य	(एक) तालिका दो(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक (दो) सहायक आचार्य के तौर पर संपूर्ण अवधि (बारह वर्ष) में कम से कम तीन प्रकाशन। तथापि, महाविद्यालय के शिक्षकों के मामले में एम.फिल धारकों को एक प्रकाशन और पीएचडी धारकों को दो प्रकाशनों की छूट प्रदान की जा सकती है। (तीन) प्रविधि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, शिक्षण–ज्ञानार्जन–मूल्यांकन तकनीक वृत्तिों, सरल कौशल विकास वृत्तिों और संकाय विकास वृत्तिों की श्रेणियों में से कम से कम एक सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यक्रम /वृत्ति (चार) विनियम और तालिका दो (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया
4	सह–आचार्य(चरण 4) से आचार्य (चरण 5)	चरण 4 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले सह–आचार्य	(एक) तालिका दो(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक। न्यूनतम एपीआई अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षक दो आकलन अवधियों (चरण 2 और 3 में) को जोड़ सकते हैं, यदि आवश्यक हो। (दो) शिक्षक के चरण 3 में आने के बाद से कम से कम पांच प्रकाशन। (तीन) विनियम और तालिका दो (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया
5	आचार्य(चरण 5) से आचार्य (चरण 6)	दस वर्ष की पूरी सेवा वाले आचार्य (केवल विश्वविद्यालय)	(एक) तालिका दो(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार आकलन अवधि हेतु न्यूनतम सकल

			एपीआई अंक। (दो) अतिरिक्त क्रेडेंशियल को निम्न के द्वारा प्रमाणित किया जाना है (क) उच्च स्तर के पोस्टडॉक्टोरल शोध उत्पाद (ख) पुरस्कार/सम्मान/प्रमाणन/उत्पादों पर पेटेंट और आईपीआर तथा विकसित प्रक्रियाएं/ प्राप्त तकनीक हस्तांतरण और (तीन) डी.एससी., डी.लिट्.,एलएल. डी., आदि जैसी अतिरिक्त शोध उपाधियां (तीन) इस विनियम और तालिका दो (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन वि"ौषज्ञ समिति द्वारा पुनरीक्षण प्रक्रिया

परिशिष्ट—तीनः तालिका चार

विश्वविद्यालयों में सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा/उप निदेशक शारीरिक शिक्षा और महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा के लिए वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) पदोन्नति हेतु तथा उप निदेशक और निदेशक शारीरिक शिक्षा की सीधी भर्ती हेतु अकादमिक प्रदर्शन संकेतांक (एपीआई)

शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के विभिन्न स्तरों के लिए प्रत्यक्ष कार्य भार और अधिमान दिया जाए

	प्रति सप्ताह प्रत्यक्ष कार्य घंटे	अधिमान
सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा	40	100
उप निदेशक शारीरिक शिक्षा	36+4*	90
निदेशक शारीरिक शिक्षा	32+8*	80

शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के स्व—आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित किया जाता है (क) व्याख्यान सह अभ्यास आधारित एथलीट/खेल कक्षाएं, अनुशिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी क्रियाकलाप (ख) खेलकूद और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा प्रबंधन संबंधी क्रियाकलाप (ग) खेल अवसंरचना और विस्तारण सेवाओं आदि का उन्नयन और (घ) छात्रों का फीडबैक। इस श्रेणी के शारीरिक शिक्षा कार्मिकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग—अलग हैं। स्व—आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापन किए जाने की कसौटी पर आधारित होने चाहिए। इसे छानबीन सह मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

* प्रशासनिक उत्तरदायित्वों, नवोन्मेश, सुविधाओं का उन्नयन, सेवा का विस्तार आदि के संबंध में उपयोग किए गए घंटे

श्रेणी एकः शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुशिक्षण, खिलाड़ी विकास और खेल प्रबंधन से जुड़े क्रियाकलाप

क्रियाकलाप की प्रकृति	सहायक निदेशक/महाविद्यालय निदेशक		उप निदेशक		निदेशक	
	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक
क. आवंटित घंटों के अनुसार व्याख्यान सह अभ्यास आधारित एथलीट/खेल कक्षाएं, संगोष्ठियां करना/प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना/खिलाड़ी विकास/प्रशिक्षण वृत्ति (50 अंक) खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और छात्रों के बीच खेल उत्कृष्टता का सर्वंधन	70	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20	60	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20	50	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20

करना (10 अंक) खेल के मैदानों का विकास और रख–रखाव, अन्य खेल सुविधाओं की खरीद और रख–रखाव (10 अंक)						
ख. खिलाडियों हेतु शारीरिक शिक्षा और खेल वृत्ति का प्रबंधन (आयोजना, निष्पादन और शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में नीतियों का मूल्यांकन) (10 अंक) अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य / अंतर–विश्वविद्यालय / अंतर जोन स्तरों पर खेलकूद और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना (10 अंक)	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10
ग. शारीरिक शिक्षा और खेलों में वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का उन्नयन (10 अंक) अवकाश के दिनों में संस्थाओं और संगठनों में सेवाएं, खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण देना (10 अंक)	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10
घ. छात्रों का फीडबैक (जिन छात्रों ने खेल क्रियाकलापों में भाग लिया है वही फीडबैक देने हेतु पात्र हैं)	10	उत्कृष्ट 10 बहुत अच्छा 8 अच्छा 6 औसत 4 औसत से कम 0	10	उत्कृष्ट 10 बहुत अच्छा 8 अच्छा 6 औसत 4 औसत से कम 0	10	उत्कृष्ट 10 बहुत अच्छा 8 अच्छा 6 औसत 4 औसत से कम 0

श्रेणी दो: व्यावसायिक विकास, सह–पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलाप

शारीरिक शिक्षा संवर्ग के स्व–आकलन पर आधारित, श्रेणी दो एपीआई अंकों को सह–पाठ्यक्रम, विस्तारण क्रियाकलापों और व्यावसायिक विकास से संबंधित योगदानों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। पदोन्नति की पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम एपीआई 15 है। मदों और अंकों की एक सूची नीचे दी गई है। स्व–आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा / महाविद्यालय निदेशक से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा से उप निदेशक शारीरिक शिक्षा तथा उप निदेशक शारीरिक शिक्षा से निदेशक शारीरिक शिक्षा पद पर पदोन्नति हेतु तथा उप निदेशक शारीरिक शिक्षा और निदेशक शारीरिक शिक्षा के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

नीचे दी गई नमूना तालिका में क्रियाकलापों और एपीआई अंकों के समूह दिये गये हैं। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

क्रियाकलाप की प्रकृति	**अधिकतम एपीआई अंक**	**वास्तविक अंक**
(क)छात्र संबंधी सह–पाठ्यक्रम, विस्तारण और क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप (एक) विषय संबंधी सह–पाठ्यक्रम क्रियाकलाप (यथा क्षेत्र कार्य, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठी और अन्य आयोजन, वृत्ति संबंधी परामर्श आदि) (दो) अन्य सह–पाठ्यक्रम क्रियाकलाप (सांस्कृतिक, खेलकूद, रा.से.यो., एनसीसी आदि) (तीन) विस्तारण और प्रसार क्रियाकलाप(सार्वजनिक / प्रसिद्ध	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10

व्याख्यान / चर्चाएं / संगोष्ठियां आदि)		
(ख)कारपोरेट जीवन के प्रति योगदान और खेल और प्रशासनिक समितियों तथा उत्तरदायित्वों में भागीदारी के माध्यम से खेल इकाईयों और संस्था का प्रबंधन (एक) प्रशासनिक उत्तरदायित्व (इसमें प्राचार्य / निदेशक / संयोजक / अन्य समान ड्यूटी जिनके निस्तारण हेतु नियमित कार्यालय आने की आवश्यकता होती है, शामिल हैं) (दो) अध्ययन, शैक्षिक और प्रशासनिक समितियों के बोर्डों में भागीदारी	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10
(ग)व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप (यथा संगोष्ठियों / सम्मेलनों, लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, शिविरों और आयोजनों, चर्चा में भाग लेना, पुनश्चर्या / संकाय विकास पाठ्यक्रमों में व्याख्यान देना, संघों की सदस्यता, प्रसार, और सामान्य लेख तथा अन्य कोई योगदान)	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10

श्रेणी—तीनः शोध और शैक्षिक योगदान

स्व—आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को शोध और खेल योगदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इस श्रेणी में जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग—अलग हैं। स्व—आकलन अंक सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह—मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक निदेशक से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक निदेशक से उप निदेशक तथा उप निदेशक से निदेशक पद पर पदोन्नति हेतु तथा उप निदेशक और निदेशक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

श्रेणी	**क्रियाकलाप**	**शारीरिक शिक्षा संकाय**	**विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के निदेशक शारीरिक शिक्षा हेतु अधिकतम अंक***
तीन(क)	शोध पत्रों का प्रकाशनः	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित(Refereed) पत्रिकाएं	15 प्रति प्रकाशन
		वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं	10 प्रति प्रकाशन
तीन(ख)	पत्रिका लेखों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय)	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा पाठ्य / संदर्भ पुस्तकें	30 प्रति पुस्तक एक लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विषय पुस्तकें अथवा राज्य / केन्द्र सरकार के प्रकाशन	20 प्रति पुस्तक एक लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषय पुस्तकें	15 प्रति पुस्तक एक लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में अध्याय	अंतर्राष्ट्रीय—10 प्रति अध्याय राष्ट्रीय— 5 प्रति अध्याय
तीन (ग)	शोध परियोजनाएं		
तीन(ग) (एक)	प्रायोजित परियोजनाएं	(क) 5.0 लाख रू. से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	20 प्रति परियोजना
		(ख) 3.0 लाख रू. से 5.0 लाख रू. तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	15 प्रति परियोजना
		(ग) 1.0 लाख रू. से 3.0 लाख रू. तक वाली लघु परियोजनाएं	10 प्रति परियोजना
तीन(ग) (दो)	परामर्श हेतु परियोजनाएं	न्यूनतम 20.0 लाख रू. की राशि को संघटित करना	10 प्रत्येक 2.0 लाख रू. हेतु
तीन(ग) (तीन)	परियोजना के परिणाम / निष्कर्ष	केन्द्र / राज्य सरकार के निकायों के प्रमुख नीति दस्तावेज तैयार करना	30 प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय / 20 प्रत्येक राष्ट्रीय नीति दस्तावेज हेतु
तीन(घ)	शोध मार्गदर्शन		
तीन(घ) (एक)	एम.फिल	उपाधि प्रदान की गई	5 प्रति उम्मीदवार

तीन(घ) (दो)	पीएचडी	उपाधि प्रदान की गई	15 प्रति उम्मीदवार
		शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया	10 प्रति उम्मीदवार
तीन(ड.)	सम्मेलनों / संगोष्ठियों में प्रदान की गई अध्येतावृतियां, पुरस्कार और आमंत्रण व्याख्यान / प्रस्तुत किए गए पत्र		
तीन(ड.) (एक)	पुरस्कार / अध्येतावृति	सरकारी / प्रतिष्ठित संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार / अध्येतावृति	15 प्रति पुरस्कार / 15 प्रति अध्येतावृति
	पुरस्कार / अध्येतावृति	सरकारी / प्रतिष्ठित संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार / अध्येतावृति	10 प्रति पुरस्कार / 10 प्रति अध्येतावृति
	पुरस्कार	सरकारी / प्रतिष्ठित संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार / अध्येतावृति	5 प्रति पुरस्कार
तीन(ड.) (दो)	आमंत्रण व्याख्यान / प्रस्तुत किए गए पत्र	अंतर्राष्ट्रीय	7 प्रति व्याख्यान / 5 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राष्ट्रीय स्तरीय	5 प्रति व्याख्यान / 3 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राज्य / विश्वविद्यालय स्तरीय	3 प्रति व्याख्यान / 2 प्रति प्रस्तुत पत्र
	इस उप–श्रेणी के अंतर्गत अंकों को किसी भी आकलन अवधि हेतु श्रेणी तीन के लिए निर्धारित न्यूनतम के 20 तक सीमित कर दिया जाएगा।		
तीन(ड)(तीन)	ई–लर्निंग परिदान प्रक्रिया /सामग्री का विकास		10 प्रत्येक इकाई

* जहां कहीं भी प्रासंगिक हो, संदर्भित (Refereed) पत्रिकाओं में पत्र हेतु एपीआई अंकों निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा:(एक) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र– 5 अंकों द्वारा (दो)1 और 2 के बीच प्रभाव कारक (Impact) वाले पत्र– 10 अंकों द्वारा (तीन) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक (Impact) वाले पत्र– 15 अंकों द्वारा (चार) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक (Impact) वाले पत्र– 20 अंकों द्वारा (पांच) 10 से अधिक प्रभाव कारक (Impact) वाले पत्र– 25 अंकों द्वारा। संयुक्त प्रकाशनों हेतु एपीआई की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की प्रासंगिक श्रेणी हेतु कुल अंकों के, प्रथम और प्रमुख / संबद्ध लेखक / पर्यवेक्षक / शिक्षक के मार्गदर्शक कुल अंकों के 70% को समान रूप से साझा करेंगे और शेष 30% बाकी अन्य लेखकों द्वारा समान रूप से साझा किए जाएंगे।

परिशिष्ट–तीन तालिका–पांच (क)

विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सहायक / महाविद्यालय निदेशक और उप निदेशक शारीरिक शिक्षा की वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) की पदोन्नति हेतु परिशिष्ट–तीन तालिका एक में दिए गए न्यूनतम एपीआई को लागू किया जाए, और चयन समितियों में विशेशज्ञ आकलन हेतु अधिमान

श्रेणी	क्रियाकलाप	सहायक / महाविद्यालय निदेशक (चरण 1 से चरण 2)	सहायक / महाविद्यालय निदेशक (चरण 2 से चरण 3)	सहायक / महाविद्यालय निदेशक (चरण 3) से उप / महाविद्यालय निदेशक (चरण 4)	उप निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 4) से निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 5)
एक	शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग, खिलाड़ी विकास और खेल प्रबंधन क्रियाकलाप	80 / वर्ष	80 / वर्ष	75 / वर्ष	70 / वर्ष
दो	व्यावसायिक विकास और विस्तारण क्रियाकलाप–न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	50 / आकलन अवधि	50 / आकलन अवधि	50 / आकलन अवधि	50 / आकलन अवधि
तीन	शोध और शैक्षिक योगदान– न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	20 / आकलन अवधि	50 / आकलन अवधि	75 / आकलन अवधि	100 / आकलन अवधि

दो . तीन	श्रेणी दो और तीन के अंतर्गत न्यूनतम कुल एपीआई अंक*	90/आकलन अवधि	120/आकलन अवधि	150/आकलन अवधि	180/आकलन अवधि
चार	विशेषज्ञ आकलन प्रणाली	छानबीन सह आकलन समिति	छानबीन सह आकलन समिति	चयन समिति	चयन समिति
पांच	विशेषज्ञ आकलन में अधिमान अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल अधिमानत्र 100। न्यूनतम 50 आवश्यक)	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	30% शोध योगदान 50% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अनुभव का आकलन 20% साक्षात्कार प्रदर्शन	50% शोध योगदान 30% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अनुभव का आकलन 20% साक्षात्कार प्रदर्शन

*** श्रेणी दो तीन के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए श्रेणी दो अथवा श्रेणी तीन किसी से भी अंकों का शेष प्राप्त कर सकते हैं।**

परिशिष्ट—तीन तालिका—पांच (ख)

विश्वविद्यालय विभागों/महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु एपीआई के लिए न्यूनतम अंक और विनियम में वर्णित अन्य विनिर्दिष्ट पात्रता योग्यताओं के साथ अधिमानों पर चयन समितियों में विचार किया जाना

	सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 1)	**उप निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 4)**	**निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 5)**
न्यूनतम एपीआई अंक	इन विनियमों में यथा वर्णित न्यूनतम योग्यता	एपीआई की श्रेणी दो और तीन से 300 अंकों के कुल एपीआई अंकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)	एपीआई की श्रेणी दो और तीन से 400 अंकों के कुल एपीआई अंकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)
चयन समिति मानदण्ड/अधिमान (कुल अधिमानत्र 100)	(क) जीती गई प्रतियोगिता का रिकार्ड (30%) (ख) खेल और एथलीट कौशल (40%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%)	(क) शोध पत्र (3) मूल्यांकन (40%) (ख) संगठनात्मक कौशल/खेलों की आयोजना (30%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%)	(क) शोध पत्र (5) मूल्यांकन (50%) (ख) संगठनात्मक सतत् रूप से निरीक्षण की जाने वाली योजना (25%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (25%)

परिशिष्ट—तीन तालिका—छह

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा संवर्गों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और सेवा संबंधी अपेक्षाएं

क्रम संख्या	**सीएएस के माध्यम से शारीरिक शिक्षा संवर्गों की पदोन्नति**	**सेवा आवश्यकताएं (मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा यथा निर्धारित)**	**न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन आवश्यकताएं और छानबीन /चयन मानदण्ड**
1	सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा से सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ मान)/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा	चरण 1 में सहायक नि.शा.शि. /महाविद्यालय नि.शा.शि. और पीएचडी के साथ चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंनें एम.फिल के साथ पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने पीएचडी/एमफिल के बिना छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(एक) तालिका पांच(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक (दो) 3/4 सप्ताह की अवधि का एक प्रबोधन और एक पुनश्चर्या/शोध प्रणाली पाठ्यक्रम (तीन) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया

	(वरिष्ठ मान) (चरण 1 से चरण 2)		
2	सहायक नि.शा.शि. (वरिष्ठ मान)/महाविद्यालय नि.शा.शि.(वरिष्ठ मान) से उप नि.शा.शि./सहायक नि.शा.शि.(सेलेक्शन ग्रेड)/महाविद्यालय नि.शा.शि.(सेलेक्शन ग्रेड) (चरण 2 से चरण 3)	चरण 2 में पांच वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक नि.शा.शि. (वरिष्ठ मान)/महाविद्यालय नि.शा.शि.(वरिष्ठ मान)	(एक) तालिका दो(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक (दो) पुनर्श्चर्या पाठ्यक्रमों, प्रविधि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, शिक्षण–ज्ञानार्जन–मूल्यांकन तकनीक वृत्तियों, सरल कौशल विकास वृत्तियों और संकाय विकास वृत्तियों की श्रेणियों में से 2/3 सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यक्रम/वृत्ति (तीन) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
3	सहायक नि.शा.शि. (सेलेक्शन ग्रेड)/महाविद्यालय नि.शा.शि.(चयन ग्रेड) से उप नि.शा.शि./ महाविद्यालय नि.शा.शि. (चयन ग्रेड) (चरण 3 से चरण 4)	चरण 3 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक नि.शा.शि.(चयन ग्रेड)/महाविद्यालय नि.शा.शि.(चयन ग्रेड)	(एक) तालिका पांच(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक (दो) सहायक/महाविद्यालय नि.शा.शि. के तौर पर संपूर्ण अवधि (बारह वर्ष) में कम से कम तीन प्रकाशन। तथापि, महाविद्यालय नि.शा.शि. के मामले में एम.फिल धारकों को एक प्रकाशन और पीएचडी धारकों को दो प्रकाशनों की छूट प्रदान की जा सकती है। (तीन) टीमों/खिलाडियों को तैयार करने का प्रमाण (चार) विनियम और तालिका पांच (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया
4	विश्वविद्यालय नि.शा.शि. (चरण 5) (केवल विश्वविद्यालयों हेतु)	विश्वविद्यालयों में चरण 4 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले उप नि.शा.शि.	(एक) तालिका पांच(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक। न्यूनतम एपीआई अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षक दो आकलन अवधियों (चरण 2 और 3 में) को जोड़ सकते हैं, यदि आवश्यक हो। (दो) कार्मिक के चरण 3 में आने के बाद से कम से कम पांच प्रकाशन। (तीन) टीमों/खिलाडियों को तैयार करने का प्रमाण। (तीन) विनियम और तालिका पांच (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया

नोटः शिक्षकों हेतु सीएएस के लिए तालिका दो(क) हेतु उपलब्ध विवरणात्मक नोट इस संवर्ग हेतु विनिर्दिष्ट एपीआई अंकों के अनुसार शारीरिक निदेशक संवर्गों पर भी लागू है।

परिशिष्ट–तीनः तालिका सात

विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/उप पुस्तकालयध्यक्ष के लिए/और महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष के लिए वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) पदोन्नति हेतु तथा विश्वविद्यालयों में उप पुस्तकालयध्यक्षों की सीधी भर्ती हेतु अकादमिक प्रदर्शन संकेतांक (एपीआई)

पुस्तकालयध्यक्षों के विभिन्न स्तरों के लिए प्रत्यक्ष कार्य भार और अधिमान दिया जाए

	प्रति सप्ताह प्रत्यक्ष कार्य घंटे	अधिमान
सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष	40	100
उप पुस्तकालयध्यक्ष	36+4*	90
पुस्तकालयध्यक्ष	32+8*	80

पुस्तकालयध्यक्ष संवर्ग के स्व–आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित किया जाता है (क) पुस्तकालय संसाधनों का आयोजन और पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिर्पोटों, विकास, आयोजना और ई–संसाधनों का प्रबंधन उपयोगकर्ता जागरूकता और निर्देश वृत्ति; (ख) पुस्तकालय सेवाओं के उन्नयन हेतु आईसीटी और अन्य नई तकनीकों का उपयोग और (ग) अतिरिक्त सेवाएं जैसे अवकाश के दिनों में पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना, शेल्फ ऑर्डर का रख–रखाव, पुस्तकालय उपयोग पुस्तिका, भवन और बाहरी सदस्यता मानकों के माध्यम से बाहरी लोगों का संस्थागत पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना। इस श्रेणी

के पुस्तकालय कार्मिकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग–अलग हैं। स्व–आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए। इसे छानबीन सह मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

*** प्रशासनिक उत्तरदायित्वों, नवोन्मेश, सुविधाओं का उन्नयन, सेवा का विस्तार आदि के संबंध में उपयोग किए गए घंटे**

श्रेणी एकः खरीद, व्यवस्था और पुस्तकालय सेवाओं के माध्यम से ज्ञान और सूचना का परिदान

क्रियाकलाप की प्रकृति	सहायक निदेशक		उप निदेशक		निदेशक	
	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक
क. पुस्तकालय संसाधानों का आयोजन और पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिर्पोटों का रख–रखाव, पुस्तकालय पाठक–सेवाओं का प्रावधान, शोधार्थियों के साहित्य खोज सेवाएं और रिर्पोटों का विश्लेषण, रिर्पोटों, पुस्तिकाओं और संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी के साथ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विभागों के लिये सहायता का प्रावधान, क्रियाकलाप संबंधी जानकारी के साथ संस्थानिक वेबसाइट को अद्यतन करने और संस्थानिक समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन करने हेतु सहायता (40 अंक) ई–संसाधनों का विकास, व्यवस्था और प्रबंधन के साथ–साथ इंटरनेट पर उन तक पहुंच/इंटरनेट, पुस्तकालय संसाधनों का डिजिटलीकरण, सूचना का ई–परिदान आदि (15 अंक) उपयोगकर्ता जागरूकता और निर्देशन वृत्ति (प्रबोधन व्याख्यान, ओपेक, ज्ञान संसाधन, पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन करने जैसे उपयोगकर्ता प्रोत्साहन वृत्ति, अन्य नवीनतम पारस्परिक ज्ञानार्जन संसाधन आदि) (15 अंक)	70	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20	60	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20	55	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20
ख. पुस्तकालय सेवाओं का उन्नयन करने के लिए आईसीटी और नई तकनीकों जैसे कैटलॉग का ऑटोमेशन, ज्ञानार्जन संसाधनों की खरीद प्रणाली, सदस्यता रिकॉर्ड साहित परिचालन कार्यवाही, कमवार अंशदान प्रणाली,	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10

संदर्भ और सूचना सेवाएं, पुस्तकालय सुरक्षा (तकनीक आधारित तरीके जैसे आरएफआईडी और सीसीटीवी), पुस्तकालय प्रबंधन साधनों का विकास (साफ्टवेयर), इन्ट्रानेट प्रबंधन						
ग. अतिरिक्त सेवाएं जैसे अवकाश के दिनों में पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना, शेल्फ ऑर्डर का रख–रखाव, पुस्तकालय उपयोग पुस्तिका, भवन और बाहरी सदस्यता मानकों के माध्यम से बाहरी लोगों का संस्थागत पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10

श्रेणी दोः व्यावसायिक विकास, सह–पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलाप

पुस्तकालयध्यक्ष संवर्ग के स्व–आकलन पर आधारित, श्रेणी दो एपीआई अंकों को सह–पाठ्यक्रम, विस्तारण क्रियाकलापों और व्यावसायिक विकास से संबंधित योगदानों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। पदोन्नति की पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम एपीआई 15 है। मदों और अंकों की एक सूची नीचे दी गई है। स्व–आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक पुस्तकालयध्यक्ष से उप–पुस्तकालयध्यक्ष तथा उप–पुस्तकालयध्यक्ष से पुस्तकालयध्यक्ष पद पर पदोन्नति हेतु तथा उप पुस्तकालयध्यक्ष और पुस्तकालयध्यक्ष के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

नीचे दी गई नमूना तालिका में क्रियाकलापों और एपीआई अंकों के समूह दिये गये हैं। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

क्रियाकलाप की प्रकृति	अधिकतम एपीआई अंक	वास्तविक अंक
(क) छात्र संबंधी सह–पाठ्यक्रम, विस्तारण और क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप (सांस्कृतिक आदान–प्रदान और पुस्तकालय सेवावृत्ति) (बाह्य और अंतर्संस्थानिक वृत्ति के विभिन्न स्तर), विस्तारण, विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से पुस्तकालय–साहित्यिक कार्य	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10
(ख) कॉर्पोरेट जीवन के प्रति योगदान और पुस्तकालय और प्रशासनिक समितियों तथा उत्तरदायित्वों में भागीदारी के माध्यम से पुस्तकालय इकाईयों और संस्था का प्रबंधन	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10
(ग) व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप (यथा–संगोष्ठियों/सम्मेलनों, लघु अवधि के ई–पुस्तकालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और आयोजनों, चर्चा में भाग लेना, व्याख्यान, संघों की सदस्यता, प्रसार, और सामान्य लेख, जो नीचे श्रेणी तीन में शामिल न हो)	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10

श्रेणी–तीनः शोध और शैक्षिक योगदान

स्व–आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को शोध और खेल योगदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इस श्रेणी में जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग–अलग हैं। स्व–आकलन अंक सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक पुस्तकालयध्यक्ष से उप पुस्तकालयध्यक्ष तथा उप–पुस्तकालयध्यक्ष से पुस्तकालयध्यक्ष पद पर पदोन्नति हेतु तथा उप–पुस्तकालयध्यक्ष और पुस्तकालयध्यक्ष के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

श्रेणी	क्रियाकलाप	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष	अधिकतम अंक*
तीन(क)	शोध पत्रों का प्रकाशनः	वि.अ.आ. द्वारा यथा–अधिसूचित संदर्भित पत्रिकाएं	15 प्रति प्रकाशन

		वि.अ.आ. द्वारा यथा–अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं	10 प्रति प्रकाशन
तीन(ख)	पत्रिका लेखों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय)	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें	30 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा–चिन्हित राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विशय पुस्तकें अथवा राज्य/केन्द्र सरकार के प्रकाशन	20 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा–चिन्हित अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विशय पुस्तकें	15 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा–चिन्हित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में अध्याय	अंतर्राष्ट्रीय–10 प्रति अध्याय राष्ट्रीय– 5 प्रति अध्याय
तीन (ग)	शोध परियोजनाएं		
तीन(ग) (एक)	प्रायोजित परियोजनाएं	(क) 5.0 लाख रू. से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	20 प्रति परियोजना
		(ख) 3.0 लाख रू. से 5.0 लाख रू. तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	15 प्रति परियोजना
		(ग) 1.0 लाख रू. से 3.0 लाख रू. तक वाली लघु परियोजनाएं	10 प्रति परियोजना
तीन(ग) (दो)	परामर्श हेतु परियोजनाएं	न्यूनतम 20.0 लाख रू. की राशि को संघटित करना	10 प्रत्येक 2.0 लाख रू. हेतु
तीन(ग) (तीन)	परियोजना परिणाम/निष्कर्ष	केन्द्र/राज्य सरकार के निकायों के प्रमुख नीति दस्तावेज तैयार करना	30 प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय/20 प्रत्येक राष्ट्रीय नीति दस्तावेज हेतु
तीन(घ)	शोध मार्गदर्शन		
तीन(घ) (एक)	एम.फिल	उपाधि प्रदान की गई	5 प्रति उम्मीदवार
तीन(घ) (दो)	पीएचडी	उपाधि प्रदान की गई	15 प्रति उम्मीदवार
		शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया	10 प्रति उम्मीदवार
तीन(ड.)	अध्येतावृति, पुरस्कार और सम्मेलनों/संगोष्ठियों में दिए गए आमंत्रण व्याख्यान/प्रस्तुत किए गए पत्र		
तीन(ड.) (एक)	पुरस्कार/अध्येतावृति	सरकारी/प्रतिष्ठित संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृति	15 प्रति पुरस्कार/15 प्रति अध्येतावृति
	पुरस्कार/अध्येतावृति	सरकारी/प्रतिष्ठित संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृति	10 प्रति पुरस्कार/10 प्रति अध्येतावृति
	पुरस्कार	सरकारी/प्रतिष्ठित संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृति	5 प्रति पुरस्कार
तीन(ड.) (दो)	आमंत्रण व्याख्यान/प्रस्तुत पत्र	अंतर्राष्ट्रीय	7 प्रति व्याख्यान/ 5 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राष्ट्रीय स्तरीय	5 प्रति व्याख्यान/ 3 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राज्य/विश्वविद्यालय स्तरीय	3 प्रति व्याख्यान/ 2 प्रति प्रस्तुत पत्र
	इस उप–श्रेणी के अंतर्गत अंकों को किसी भी आकलन अवधि हेतु श्रेणी तीन के लिए निर्धारित न्यूनतम के 20 तक सीमित कर दिया जाएगा।		
तीन (ड)(तीन)	ई–परिदान प्रक्रिया /सामग्री का विकास		

* जहां कहीं भी प्रासंगिक हो, संदर्भित पत्रिकाओं में पत्र हेतु एपीआई अंकों निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा:(एक) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र– 5 अंकों द्वारा (दो)1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 10 अंकों द्वारा (तीन) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 15 अंकों द्वारा (चार) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 20 अंकों द्वारा रू(पांच) 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र– 25 अंकों द्वारा। संयुक्त प्रकाशनों हेतु एपीआई की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की प्रासंगिक श्रेणी हेतु कुल अंकों के, प्रथम और प्रमुख/यही लेखक/पर्यवेक्षक/शिक्षक के मार्गदर्षक कुल अंकों के 70% को बराबर रूप से साझा करेंगे और शेष 30% बाकी अन्य लेखकों द्वारा बराबर रूप से साझा किए जाएंगे।

परिशिष्ट–तीन तालिका–आठ (क)

विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष और उप–पुस्तकालयध्यक्ष की वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) पदोन्नति हेतु न्यूनतम एपीआई और चयन समितियों में विशेषज्ञ आकलन हेतु अधिमान

श्रेणी	क्रियाकलाप	सहायक/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 1 से चरण 2)	सहायक/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 2 से चरण 3)	सहायक/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 3) से उप/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 4)	उप पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 4) से पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 5)
एक	खरीद, व्यवस्था और पुस्तकालय सेवाओं के माध्यम से ज्ञान और सूचना का परिदान	80/वर्ष	80/वर्ष	75/वर्ष	70/वर्ष
दो	व्यावसायिक विकास और विस्तारण कियाकलाप–न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि
तीन	शोध और शैक्षिक योगदान– न्यूनतम आवश्यक अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	20/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	75/आकलन अवधि	100/आकलन अवधि
दो . तीन	श्रेणी दो और तीन के अंतर्गत न्यूनतम कुल एपीआई अंक*	90/आकलन अवधि	120/आकलन अवधि	150/आकलन अवधि	180/आकलन अवधि
चार	विशेषज्ञ आकलन प्रणाली	छानबीन सह आकलन समिति	छानबीन सह आकलन समिति	चयन समिति	चयन समिति
पांच	विशेषज्ञ आकलन में अधिमान अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल अधिमान¾ 100। न्यूनतम 50 अंक अनिवार्य)	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	30% पुस्तकालय संबंधी शोध पत्रों का मूल्यांकन 50% पुस्तकालय स्वचालन संबंधी वि''ाय क्षेत्र के ज्ञान और संगठनात्मक कौशल का आकलन 20: साक्षात्कार प्रदर्शन	50% पुस्तकालय प्रकाशन कार्य 30% नवोन्मेशी पुस्तकालय सेवा और डिजिटल पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था का आकलन 20: साक्षात्कार प्रदर्शन

*** श्रेणी दो तीन के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए श्रेणी दो अथवा श्रेणी तीन किसी से भी अंकों का शेष प्राप्त कर सकते हैं।**

परिशिष्ट—तीन तालिका—आठ (ख)

विश्वविद्यालय विभागों/महाविद्यालयों में पुस्तकालयध्यक्ष के पदों की सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एपीआई और अन्य मानक तथा विनियम में वर्णित अन्य विनिर्दिष्ट पात्रता योग्यताओं के साथ अधिमानों पर चयन समितियों में विचार किया जाना

न्यूनतम मानक/मानदण्ड	सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 1)	विश्वविद्यालयों में उप पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 4)	पुस्तकालयध्यक्ष (केवल विश्वविद्यालय) (चरण 5)
न्यूनतम एपीआई अंक (शोध और अकादमिक योगदान—श्रेणी तीन)	विनियमों में यथा—वर्णित न्यूनतम योग्यता	एपीआई की श्रेणी दो और तीन से 300 अंकों के कुल एपीआई अंकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)	एपीआई की श्रेणी दो और तीन से 400 अंकों के कुल एपीआई अंकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)
चयन समिति मानदण्ड/अधिमान (कुल अधिमानत्र 100)	(क) एक व्याख्यान प्रदर्शन द्वारा शिक्षण/कंप्यूटर और संपर्क कौशल (50%) (ख) पुस्तकालय प्रबंधन कौशल (20%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%)	(क) पुस्तकालय संबंधी शोध/विषय पत्र (3) मूल्यांकन (50%) (ख) पुस्तकालय ऑटोमेशन कौशल और संगठनात्मक योजनाएं (20%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%)	(क) पुस्तकालय शोध पत्र (5) मूल्यांकन (60%) (ख) नवोन्मेशी पुस्तकालय सेवाओं का संगठनात्मक ट्रैक रिकॉर्ड और विजन योजना (20%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (25%)

परिशिष्ट—तीन तालिका—नौ

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और सेवा संबंधी अपेक्षाएं

कम संख्या	सीएएस के माध्यम से पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों की पदोन्नति	सेवा आवश्यकताएं (मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा यथा—निर्धारित)	न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन आवश्यकताएं और छानबीन /चयन मानदण्ड
1	सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष से सहायक पुस्तकालयध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (वरिष्ठ मान) (चरण 1 से चरण 2)	चरण 1 में सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष और पीएचडी के साथ चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंनें एम.फिल के साथ पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने पीएचडी/एमफिल के बिना छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(एक) परिशिष्ट तीन की तालिका आठ(क) में विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों और महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों हेतु दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम एपीआई अंक (दो) 3/4 सप्ताह की अवधि का एक प्रबोधन और एक पुनष्चर्या पाठ्यक्रम (तीन) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
2	सहायक पुस्तकालयध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) से सहायक पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड)/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड) (चरण 2 से चरण 3)	चरण 2 में पांच वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक पुस्तकालयध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)	(एक) परिशिष्ट तीन की तालिका आठ(क) में विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों और महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों हेतु दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम एपीआई अंक (दो) साथ ही, आकलन अवधि के दौरान न्यूनतम 3 से 4 सप्ताह अवधि के दो पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो। (तीन) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
3	सहायक पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड)/महाविद्यालय	चरण 3 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड)/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चयन	(एक) परिशिष्ट तीन की तालिका आठ(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का

	पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड) से उप पुस्तकालयध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड) (चरण 3 से चरण 4)	ग्रेड)	उपयोग कर न्यूनतम एपीआई अंक। बारह वर्ष में कम से कम तीन प्रकाशन। महाविद्यालयों में एम. फिल धारकों को एक प्रकाशन और पीएचडी धारकों को दो प्रकाशनों की छूट प्रदान की जा सकती है। (तीन) साथ ही, पुस्तकालय ऑटोमेशन/अकादमिक प्रलेखीकरण हेतु विश्लेषणात्मक साधन विकास की श्रेणियों में एक पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण (चार) विनियम और तालिका आठ (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया

4	विश्वविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 5) (केवल विश्वविद्यालयों हेतु)	विश्वविद्यालयों में चरण 4 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले उप–पुस्तकालयध्यक्ष	(एक) तालिका आठ(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक। न्यूनतम एपीआई अंक प्राप्त करने के लिए पुस्तकालयध्यक्ष दो आकलन अवधियों (चरण 3 और 4 में) को जोड़ सकते हैं, यदि आवश्यक हो। (दो) कार्मिक के चरण 3 में आने के बाद से कम से कम पांच प्रकाशन। (तीन) नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं और प्रकाशित कार्य की आयोजना का प्रमाण। (तीन) विनियम और तालिका आठ (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया

नोटः शिक्षकों हेतु सीएएस के लिए तालिका दो(क) हेतु उपलब्ध विवरणात्मक नोट इस संवर्ग हेतु विनिर्दिष्ट एपीआई अंकों के अनुसार पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों के पर भी लागू है।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2016

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION ON MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION) (3RD AMENDMENT), REGULATIONS, 2016.

No.F.1-2/2016 (PS/Amendment).—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby frames the following Regulations to amend the University Grants Commission on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education, Regulations, 2010, namely: -

2. Short title, application and commencement:

2.1 These Regulations may be called the University Grants Commission on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education (3rd Amendment), Regulations, 2016.

2.2 They shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every institution including a constituent or an affiliated college recognized by the Commission, in consultation with the university concerned under Clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and every institution deemed to be a university under Section 3 of the said Act.

2.3 They shall come into force with immediate effect.

3. In the University Grants Commission on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher Education, Regulations, 2010 (Principal Regulation 2010) the following amendments are made: -

Existing provisions of the following clauses of the Principal UGC Regulations 2010	Amendments made in the following clauses of Principal UGC Regulations 2010
3.0.0. Recruitment and Qualifications **3.1.0** The direct recruitment to the posts of Assistant Professors, Associate Professors and Professors in the Universities and Colleges shall be on the basis of merit through all India advertisement and selections by the duly constituted Selection Committees as per the provisions made under these Regulations to be incorporated under the Statutes/Ordinances of the concerned university. The composition of such committees should be as prescribed by the UGC in these Regulations. **3.2.0** The minimum qualifications required for the post of Assistant Professors, Associate Professors, Professors, Principals, Assistant Directors of Physical Education and Sports, Deputy Directors of Physical Education and Sports, Directors of Physical Education and Sports, Assistant Librarians, Deputy Librarians, Librarians will be those as prescribed by the UGC in these Regulations. **3.3.0** The minimum requirements of a good academic record, 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the master's level and qualifying in the National Eligibility Test (NET), or an accredited test (State Level Eligibility Test - SLET/SET), shall remain for the appointment of Assistant Professors. **3.3.1**. NET/SLET/SET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Assistant Professors in Universities / Colleges / Institutions : *Provided* however, that candidates, who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions.	**3.0.0. Recruitment and Qualifications** **3.1.0** The direct recruitment to the posts of Assistant Professors, Associate Professors and Professors in the Universities and Colleges shall be on the basis of merit through all India advertisement and selections by the duly constituted Selection Committees as per the provisions made under these Regulations to be incorporated under the Statutes/Ordinances of the concerned university. The composition of such committees should be as prescribed by the UGC in these Regulations. **3.2.0** The minimum qualifications required for the post of Assistant Professors, Associate Professors, Professors, Principals, Assistant Directors of Physical Education and Sports, Deputy Directors of Physical Education and Sports, Directors of Physical Education and Sports, Assistant Librarians, Deputy Librarians, Librarians will be those as prescribed by the UGC in these Regulations. **3.3.0** The minimum requirements of a good academic record, 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the master's level and qualifying in the National Eligibility Test (NET), or an accredited test (State Level Eligibility Test - SLET/SET), shall remain for the appointment of Assistant Professors. **3.3.1**. NET/SLET/SET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Assistant Professors in Universities/Colleges/ Institutions : *Provided* however, that candidates, who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions. **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ By laws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** **(a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** **(b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** **(c) Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** **(d) The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** **(e) Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.** **(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-**

	Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)"
3.3.2 NET/SLET/SET shall not be required for such Masters Degree Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET accredited test is not conducted.	**3.3.2** NET/SLET/SET shall not be required for such Masters Degree Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET accredited test is not conducted.
3.4.0 A minimum of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) will be required at the Master's level for those recruited as teachers at any level from industries and research institutions and at the entry level of Assistant Professors, Assistant Librarians, Assistant Directors of Physical Education and Sports.	**3.4.0** A minimum of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) will be required at the Master's level for those recruited as teachers at any level from industries and research institutions and at the entry level of Assistant Professors, Assistant Librarians, Assistant Directors of Physical Education and Sports.
3.4.1 A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master's level for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe /Differently-abled (Physically and visually differently-abled) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.	**3.4.1** A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master's level for the Scheduled Caste /Scheduled Tribe /Differently-abled (Physically and visually differently-abled) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.
3.5.0 A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master's Degree prior to 19 September, 1991.	**3.5.0** A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master's Degree prior to 19 September, 1991.
3.6.0 Relevant grade which is regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed by a recognized university shall also be considered eligible.	**3.6.0** Relevant grade which is regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed by a recognized university shall also be considered eligible.
3.7.0 The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for the appointment of Professors and for promotion as Professors.	**3.7.0** The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for the appointment of Professors and for promotion as Professors.
3.8.0 The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for all candidates to be appointed as Associate Professor through direct recruitment.	**3.8.0** The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for all candidates to be appointed as Associate Professor through direct recruitment.
3.9.0. The period of time taken by candidates to acquire M.Phil. and/or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching/ research experience to be claimed for appointment to the teaching positions.	**3.9.0.** The period of time taken by candidates to acquire M.Phil. and/or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching/ research experience to be claimed for appointment to the teaching positions.
4.4.0 ASSISTANT PROFESSOR **4.4.1. Arts, Humanities, Sciences, Social Sciences, Commerce, Education, Languages, Law, Journalism and Mass Communication.** i. Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in a relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.	**4.4.0 ASSISTANT PROFESSOR** **4.4.1. Arts, Humanities, Sciences, Social Sciences, Commerce, Education, Languages, Law, Journalism and Mass Communication.** i. Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in a relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.
ii. Besides fulfilling the above qualifications, the	ii. Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) for

candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET. iii. Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.1, candidates, who are, or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities /Colleges / Institutions. iv. NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted.	Lecturer/Assistant Professor conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET. iii. Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.1, candidates, who are, or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities /Colleges / Institutions. **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ By laws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** **(a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** **(b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** **(c) Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** **(d) The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** **(e) Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.** **(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)"** (iv). NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted.
4.4.2. MUSIC, PERFORMING ARTS, VISUAL ARTS AND OTHER TRADITIONAL INDIAN ART FORMS LIKE SCULPTURE, ETC. 4.4.2.1. MUSIC AND DANCE DISCIPLINE 1. ASSISTANT PROFESSOR: i. Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University. ii. Besides fulfilling the above qualifications, candidates must have cleared the National Eligibility Test (NET) for lecturers conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC. Notwithstanding anything	**4.4.2. MUSIC, PERFORMING ARTS, VISUAL ARTS AND OTHER TRADITIONAL INDIAN ART FORMS LIKE SCULPTURE, ETC**. 4.4.2.1. MUSIC AND DANCE DISCIPLINE 1. ASSISTANT PROFESSOR: i. Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University. ii. Besides fulfilling the above qualifications, candidates must have cleared the National Eligibility Test (NET) for lecturers/Assistant Professor conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC. Notwithstanding anything contained in the sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.2.1,

contained in the sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.2.1, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges /Institutions. iii. NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted. **OR** i. A traditional and a professional artist with highly commendable professional in the concerned subject, who should have: (a) Studied under noted/reputed traditional masters and has thorough knowledge to explain the subject concerned; (b) A high grade artist of AIR/TV; and (c) Ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in that discipline.	candidates, who are, or have been awarded Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges /Institutions. **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ Bylaws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** **(a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** **(b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** **(c) Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** **(d) The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** **(e) Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.** **(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)"** iii. NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted. **OR** i. A traditional and a professional artist with highly commendable professional achievement in the concerned subject, who should have: (a) Studied under noted/reputed traditional masters and has thorough knowledge to explain the subject concerned; (b) A high grade artist of AIR/TV; and (c) Ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in that discipline.
4.4.2.2. DRAMA DISCIPLINE: 1. ASSISTANT PROFESSOR: i. Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University. ii. Besides fulfilling the above qualifications, candidates must have cleared the National Eligibility Test (NET)	**4.4.2.2. DRAMA DISCIPLINE:** 1. ASSISTANT PROFESSOR: i. Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University. ii. Besides fulfilling the above qualifications, candidates must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC.

conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC. However, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions. iii. Without prejudice to the above, NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted. **OR** iv. A traditional and a professional artist with highly commendable professional achievement in the concerned subject, who should be or have: 1. A professional artist with first class degree/diploma from National School of Drama or any other such approved Institution in India or abroad; 2. Five years of regular acclaimed performance in regional/ national/ international stage with evidence; and 3. Ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in said discipline.	However, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions. **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ Bylaws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** **(a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** **(b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** **(c) Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** **(d) The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** **(e) Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.** **(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)"** iii. Without prejudice to the above, NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted. **OR** iv. A traditional and a professional artist with highly commendable professional achievement in the concerned subject, who should be or have: 1. A professional artist with first class degree/diploma from National School of Drama or any other such approved Institution in India or abroad; 2. Five years of regular acclaimed performance in regional/ national/international stage with evidence; and 3. Ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in said discipline.
4.4.2.3. VISUAL (FINE) ARTS DISCIPLINE 1. ASSISTANT PROFESSOR: i. Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University. ii. Besides fulfilling the above qualifications, candidates	**4.4.2.3. VISUAL (FINE) ARTS DISCIPLINE** **1**. ASSISTANT PROFESSOR**:** i. Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University. ii. Besides fulfilling the above qualifications, candidates must

must have cleared the National Eligibility Test (NET) for lecturers conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC. Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.2.3, candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. Degree, in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions. iii. Without prejudice to the above, NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted. **OR** i. A Professional artist with highly commendable professional achievement in the concerned subject, who should have: 1. First class Diploma in Visual (Fine) arts discipline from the recognized Institution of India/Abroad; 2. Five years of experience of holding regular regional/National exhibitions Workshops with evidence; and 3. Ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in that discipline.	have cleared the National Eligibility Test (NET) for lecturers/Assistant Professor conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC. Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.2.3, candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. Degree, in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions. **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ By laws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** **(a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** **(b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** **(c) Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** **(d) The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** **(e) Open Ph.D. viva voce of the candidate had been conducted.** **(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)"** iii. Without prejudice to the above, NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted. **OR** i. A Professional artist with highly commendable professional achievement in the concerned subject, who should have: 1. First class Diploma in Visual (Fine) arts discipline from the recognized Institution of India/Abroad; 2. Five years of experience of holding regular regional/National exhibitions/Workshops with evidence; and 3. Ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in that discipline.

4.5.3 UNIVERSITY ASSISTANT LIBRARIAN / COLLEGE LIBRARIAN i. A Master's Degree in Library Science / Information Science / Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and a consistently good academic record with knowledge of computerization of library. ii. Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. iii. However, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of University Assistant Director of Physical Education/ College Director of Physical Education & Sports.	**4.5.3 UNIVERSITY ASSISTANT LIBRARIAN / COLLEGE LIBRARIAN** i. A Master's Degree in Library Science/Information Science/Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and a consistently good academic record with knowledge of computerization of library. ii. Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. iii. However, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of **University Assistant Librarian/College Librarian** **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ By laws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** **(a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** **(b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** **(c) Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** **(d) The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** **(e) Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.** **(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)"**
4.6.3. University Assistant Director of Physical Education / College Director of Physical Education and Sports i. A Master's Degree in Physical Education or Master's Degree in Sports Science with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) with a consistently good academic record. ii. Record of having represented the university / college at the inter-university /inter-collegiate competitions or the State and/ or national championships. iii. Qualifying in the national level test conducted for the	**4.6.3. University Assistant Director of Physical Education / College Director of Physical Education and Sports** i. A Master's Degree in Physical Education or Master's Degree in Sports Science with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) with a consistently good academic record. ii. Record of having represented the university / college at the inter-university /inter-collegiate competitions or the State and/ or national championships. iii. Qualifying in the national level test conducted for the

purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. iv. Passed the physical fitness test conducted in accordance with these Regulations. v. However, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of University Assistant Director of Physical Education / College Director of Physical Education & Sports.	purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. iv. Passed the physical fitness test conducted in accordance with these Regulations. v. However, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC,shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of University Assistant Director of Physical Education/College Director Physical Education & Sports. **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ By laws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** **(a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** **(b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** **(c) Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** **(d) The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** **(e) Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.** **(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)"**

4. The existing Tables I to IX under **Appendix-III** of the University Grants Commission Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education, 2010 (Principal Regulations) and its amendment, 2013 (2^{nd} Amendment) regarding computation of API Score for appointment and promotion of teachers and other academic staff in the Universities/Colleges/Institutions shall stand amended and be substituted by the revised Tables I to IX appended to these 3^{rd} Amendment Regulations.

Prof. JASPAL SINGH SANDHU, Secy.
[ADVT. III/4/Exty./78(138)]

APPENDIX – III: TABLE I

ACADEMIC PERFORMANCE INDICATORS (API) FOR CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTIONS FOR ASSISTANT PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR, AND PROFESSOR AND FOR DIRECT RECRUITMENT OF ASSOCIATE PROFESSOR AND PROFESSOR IN UNIVERSITIES AND COLLEGES. Direct Teaching work load and weightage to be given to different levels of Teachers

	Direct Teaching Hours per week	Weightage
Assistant Professor	18+6*	100
Associate Professor	16+6*	90
Professor	14+6*	80

Based on the teacher's self-assessment, API scores are proposed for (a) teaching related activities; domain knowledge; (b) participation in examination and evaluation; (c) contribution to innovative teaching, new courses etc. and (d) student feedback. The minimum API score required by teachers from this category is different for different levels of promotion. The self assessment score should be based on objectively verifiable criteria. It shall be finalized by the screening cum evaluation / selection committee. Universities may detail the activities, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API scores required under this category.

CATEGORY I: TEACHING, LEARNING AND EVALUATION RELATED ACTIVITIES

Category	**Nature of Activity**	**Assistant Professor**		**Associate Professor**		**Professor**	
		Max. Score	Actual Score	Max. Score	Actual Score	Max. Score	Actual Score
I	a. Lectures - Classroom Teaching (including Lectures in excess of UGC norms)	60	Actual hours spent per academic year ÷10	50	Actual hours spent per academic year ÷10	45	Actual hours spent per academic year ÷10
	b. Examinations duties (question paper setting, Invigilation, evaluation of answer scripts) as per allotment	20	Actual hours spent per academic year ÷10	15	Actual hours spent per academic year ÷10	10	Actual hours spent per academic year ÷10
	c. Innovative Teaching - learning methodologies, updating of subject contents / courses etc.	10	Actual hours spent per academic year ÷10	15	Actual hours spent per academic year ÷10	15	Actual hours spent per academic year ÷10
	d. Students Feedback (Students who have put in at least 75% attendance per course are eligible to give feed back)	10	Outstanding 10 Very Good 8 Good 6 Average 4 Below Average 0	10	Outstanding 10 Very Good 8 Good 6 Average 4 Below Average 0	10	Outstanding 10 Very Good 8 Good 6 Average 4 Below Average 0

***Note: 1**. 18/16/14 hours per week include the Lectures / Practicals / Project Supervision. Two hours of Practicals / project supervision be treated as equivalent to one hour of lecture. Those teachers who supervise the research of five or more Ph.D. students at a time may be allowed a reduction of Two hours per week in direct teaching hours.
2. 6 hours per week include the hours spent on tutorials, remedial classes, seminars, administrative responsibilities, innovation and updating of course contents.
3. Hours spent on examination duties such as invigilation, question paper setting, valuation of answer scripts and tabulation of results are over and above the prescribed direct teaching hours and are an integral part of overall teaching work load of 40 hours per week.
4. Lectures allocation to add up to the UGC norm for particular category of teacher. University may prescribe minimum cut-off, say 75%, below which no scores may be assigned in these sub-categories

CATEGORY II: PROFESSIONAL DEVELOPMENT, CO-CURRICULAR AND EXTENSION ACTIVITIES

Based on the teacher's self-assessment, Category II API scores are proposed for Professional development, co-curricular and extension activities; and related contributions. The minimum API required by teachers for eligibility for promotion is fixed Table II A. A list of items and scores is given below. The self-assessment score should be based on objectively verifiable criteria and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Professor to higher grades and selection committee for the promotion of Assistant Professor to Associate Professor and Associate Professor to Professor and for direct recruitment of Associate Professor and Professor.

The model table below gives groups of activities and API scores. Universities may detail the activities or, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API score required under this category.

Category II	Nature of Activity	Maximum API Score	Actual score
a.	Student related co-curricular, extension and field based activities. (i) Discipline related co-curricular activities (e.g. field work, study visit, student seminar and other events, career counseling etc.) (ii) Other co-curricular activities (Cultural, Sports, NSS, NCC etc.) (iii) Extension and dissemination activities (public /popular lectures/talks/seminars etc.)	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10
b.	Contribution to Corporate life and management of the department and institution through participation in academic and administrative committees and responsibilities. (i). Administrative responsibility (including as Dean / Principal/Chairperson/ Convener / Teacher-in-charge/similar other duties that require regular office hrs for its discharge) (ii). Participation in Board of Studies, Academic and Administrative Committees.	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10
c.	Professional Development activities (such as participation in seminars, conferences, short term training courses, industrial experience, talks, lectures in refresher / faculty development courses, membership of associations, dissemination and general articles and any other contribution)	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10

CATEGORY-III: RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS

Based on the teacher's self-assessment, API scores are proposed for research and academic contributions. The minimum API scores required for teachers from this category are different for different levels of promotion in universities and colleges. The self-assessment score shall be based on verifiable criteria and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Professor to higher grades and Selection Committee for the promotion of Assistant Professor to Associate Professor and Associate Professor to Professor and for direct recruitment of Associate Professor and Professor.

Category	Activity	Sciences / Engineering / Agriculture / Medical / Veterinary Sciences	Faculties of Languages / Humanities / Arts / Social Sciences / Library / Physical education / Management	Maximum score for University / College teacher*
III (A)	Research Papers published in:	Refereed Journals as notified by the UGC	Refereed Journals as notified by the UGC	15 per Publication
		Other Reputed Journals as notified by the UGC	Other Reputed Journals as notified by the UGC	10 per Publication
III (B)	Publications other than journal articles (books, chapters in books)	Text/Reference Books by International Publishers as notified by the UGC	Text/Reference Books by International Publishers as notified by the UGC	30 per Book for Single Author
		Subject Books by National level publishers as identified by the UGC or State / Central Govt. Publications	Subject Books by National level publishers as identified by the UGC or State / Central Govt. Publications	20 per Book for Single Author
		Subject Books by Other local publishers as identified by the UGC	Subject Books by Other local publishers as identified by the UGC	15 per Book for Single Author
		Chapters in Books published by National and International level publishers as identified by the UGC	Chapters in Books published by National and International level publishers identified by the UGC	International –10 per Chapter National – 5 per Ch
III (C)	RESEARCH PROJECTS			
III (C) (i)	Sponsored Projects	(a) Major Projects with grants above Rs. 30.0 lakhs	Major Projects with grants above Rs. 5.0 lakhs	20 per Project
		(b) Major Projects with grants above Rs. 5.0 lakhs up to Rs. 30.0 lakhs	Major Projects with grants above Rs. 3.0 lakhs up to Rs. 5.0 lakhs	15 per Project
		(c) Minor Projects with grants above Rs. 1.00 lakh up to Rs. 5 lakhs	Minor Projects with grants above Rs. 1.0 lakh up to Rs. 3 lakhs	10 per Project

III (C) (ii)	Consultancy Projects	Amount mobilized with a minimum of Rs.10.00 lakhs	Amount mobilized with a minimum of Rs. 2.0 lakhs	10 for every Rs.10.0 lakhs and Rs.2.0 lakhs, respectively
III (C) (iii)	Projects Outcome / Outputs	Patent / Technology transfer / Product / Process	Major Policy document of Central / State Govt. Bodies prepared	30 for each International / 20 for each for national level output or patent or major policy document

III (D)	RESEARCH GUIDANCE			
III(D)(i)	M.Phil.	Degree awarded	Degree awarded	5 per candidate
III(D) (ii)	Ph.D.	Degree awarded	Degree awarded	15 per candidate
		Thesis submitted	Thesis submitted	10 per candidate
III E	Fellowships, Awards and Invited lectures delivered in conferences / seminars			
III(E) (i)	International Award/Fellowship		International Award / Fellowship	15 per Award / 15 per Fellowship
	National Award/Fellowship		National Award/Fellowship	10 per Award / 10 per Fellowship
	State/University level Award		State/University level Award	5 Per Award
III(E) (ii)	Invited lectures / papers	International	International	7 per lecture / 5 per paper presented
		National level	National level	5 per lecture / 3 per paper presented
		State/University level	State/University level	3 per lecture / 2 per paper presented
	The score under this sub-category shall be restricted to 20% of the minimum fixed for Category III for any assessment period			
III(F)	Development of e-learning delivery process/material			10 per module

* Wherever relevant to any specific discipline, the API score for paper in refereed journal would be augmented as follows: (i) paper with impact factor less than 1 - by 5 points; (ii) papers with impact factor between 1 and 2 by 10 points; (iii) papers with impact factor between 2 and 5 by 15 points; (iv) papers with impact factor between 5 and 10 by 20 points: (v) papers with impact factor above 10 by 25 points. The API for joint publications shall be calculated in the following manner: Of the total score for the relevant category of publication by the concerned teacher, the First and Principal / corresponding author /supervisor / mentor would share equally 70% of the total points and the remaining 30% would be shared equally by all other authors.

APPENDIX - III TABLE - II (A)

MINIMUM APIS AS PROVIDED IN APPENDIX - III TABLE I TO BE APPLIED FOR THE PROMOTION OF TEACHERS UNDER CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) IN UNIVERSITY DEPARTMENTS AND COLLEGES, AND WEIGHTAGES FOR EXPERT ASSESSMENT

Category	**Activity**	**Assistant Professor / equivalent cadres: (Stage 1 to Stage 2)**	**Assistant Professor / equivalent cadres: (Stage 2 to Stage 3)**	**Assistant Professor (Stage 3) to Assoc. Professor/equivalent cadres (Stage 4)**	**Associate Professor (Stage 4) to Professor /equivalent cadres (Stage 5)**	**Professor (Stage 5) to Professor (Stage 6)**
I	Teaching-learning, Evaluation Related Activities	80/Year	80/year	75/year	70/year	70/year
II	Professional Development and Extension activities - Minimum score required to be assessed	50 / Assessment period	50 / Assessment period	50 / Assessment period	50 / Assessment period	100 / Assessment period

	cumulatively					
III	Research and Academic Contributions- Minimum Score required - to be assessed cumulatively	20 / Assessment period	50 / Assessment period)	75 / Assessment period	100 / Assessment period	400 / Assessment period
II + III	Minimum total API score under Categories II and III*	90 / Assessment period	120 / Assessment period)	150 / Assessment period	180 / Assessment period	600 / Assessment period
IV	Expert Assessment System	Screening cum evaluation committee	Screening cum evaluation committee	Selection Committee	Selection Committee	Expert Committee
V	Percentage Distribution of Weightage Points in the Expert Assessment (Total weightage = 100. Minimum required for promotion is 50)	No separate points. Screening committee to verify API scores	No separate points. Screening Committee to verify API scores	30% - Research Contribution 50% - Assessment of domain knowledge & teaching practices. 20% - Interview performance	50% - Research Contribution. 30% - Assessment of domain knowledge & teaching practices. 20 % - Interview performance	50% - Research Contribution. 50%- Performance evaluation and other credential by referral procedure

* Teachers may score the balance of points from either Category II or Category III to achieve the minimum score required under Category II + III.

APPENDIX - III TABLE - II(B)

Minimum Scores for APIs for direct recruitment of teachers in university departments / Colleges and weightages in Selection Committees to be considered along with other specified eligibility qualifications stipulated in the Regulation.

	Assistant Professor (Stage 1)	Associate Professor (Stage 4)	Professor (Stage 5)
Minimum API Scores	Minimum Qualification as stipulated in these regulations	Consolidated API score requirement of 300 points from categories II & III of APIs (cumulative)	Consolidated API score requirement of 400 points from categories II & III of APIs (cumulative)
Selection Committee criteria / weightages (Total Weightages = 100)	(a) Academic Record and Research Performance (50%) (b) Assessment of Domain Knowledge & Teaching Skills (30%) (c) Interview performance (20%)	(a) Academic Background (20%) (b) Research performance based on API score and quality of publications (40%) (c) Assessment of Domain Knowledge and Teaching Skills (20%) (d) Interview performance: (20%)	(a) Academic Background (20%) (b) Research performance based on API score and quality of publications (40%). (c) Assessment of Domain knowledge and Teaching Skills (20%). (d) Interview performance:(20%)

APPENDIX-III - TABLE: III

MINIMUM ACADEMIC PERFORMANCE AND SERVICE REQUIREMENTS FOR PROMOTION OF TEACHERS IN UNIVERSITIES AND COLLEGES

S.No.	Promotion of Teachers through CAS	Service requirement	Minimum Academic Performance Requirements and Screening/Selection Criteria
1	Assistant Professor/ equivalent cadres from Stage 1 to Stage 2	Assistant Professor in Stage 1 and completed four years of service with Ph.D. or five years of service who are with M.Phil / PG Degree in Professional Courses such as LLM, M.Tech, M.V.Sc., M.D., or six years of service who are without Ph.D/ M.Phil / PG Degree in Professional courses	(i) Minimum cumulative API scores using PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table II (A). (ii) One Orientation and one Refresher / Research Methodology Course of 2/3 weeks duration. (i) Screening cum Verification process for recommending promotion.
2.	Assistant Professor/ equivalent cadres from Stage 2 to Stage 3	Assistant Professor with completed service of five years in Stage 2.	(i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table II(A) (ii) One course / programme from among the categories of refresher courses, methodology workshops, Training, Teaching-Learning-Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of 2/3 week duration. (iii) Screening cum Verification process for recommending promotion.
3.	Assistant Professor (Stage 3) to Associate Professor (Stage 4)	Assistant Professors with three years of completed service in Stage 3.	(i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table II (A). (ii) At least three publications in the entire period as Assistant Professor (twelve years). However, in the case of College teachers, an exemption of one publication may be given to M. Phil. holders and an exemption of two publications may be given to Ph. D. holders. (iii) One course / programme from among the categories of methodology workshops, Training, Teaching-Learning - Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration. (iv) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Tables II(A).
4.	Associate Professor (Stage 4) to Professor (Stage 5)	Associate Professor with three years of completed service in Stage 4.	(i)Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table II (A). Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii)A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in stage 3. (iii) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Tables II (A).
5.	Professor (Stage 5) to Professor (Stage 6).	Professor with ten years of completed service (universities only)	(i) Minimum cumulative API scores for the assessment period as per the norms provided in Table II (A). (ii) Additional credentials are to be evidenced by: (a) post-doctoral research outputs of high standard; (b) awards / honours / recognitions / patents and IPR on products and processes developed / technology transfer achieved; and (c) Additional research degrees like D.Sc., D.Litt., LL.D., etc.,) (iii) A review process by an Expert Committee as stipulated in this regulation and in Tables II (A)..

APPENDIX- III TABLE VII

ACADEMIC PERFORMANCE INDICATORS (API) FOR CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTIONS OF ASSISTANT LIBRARIAN /DEPUTY LIBRARIAN IN UNIVERSITIES / FOR COLLEGE LIBRARIAN AND FOR DIRECT RECRUITMENT OF DEPUTY LIBRARIAN IN UNIVERSITIES.

Direct Work load and weightage to be given to different levels of Librarians

	Direct working hours per week	Weightage
Assistant Librarian/College Librarian	40	100
Deputy Librarian	36+4*	90
Librarian	32+8*	80

Based on the Librarian Cadre's self-assessment, API scores are proposed for (a) Library resources organisation and maintenance of books, journals, reports, Development, organisation and management of e-resources; User awareness and instruction programmes, (b) ICT and other new technologies' application for upgradation of library services and (c) Additional services such as extending library facilities on holidays, shelf order maintenance, library user manual, building and extending institutional library facilities to outsiders through external membership norms. The minimum API score required by Library Personnel from this category is different for different levels of promotion. The self assessment score should be based on objectively verifiable criteria. It shall be finalized by the screening cum evaluation / selection committee. Universities may detail the activities, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API scores required under this category.

*** Hours spent on administrative responsibilities, innovation, upgradation of services, extension services etc.**

CATEGORY I: Procurement, organisation, and delivery of knowledge and information through Library services

Nature of Activity	**Assistant Director**		**Deputy Director**		**Director**	
	Max. Score	**Actual Score**	**Max. Score**	**Actual Score**	**Max. Score**	**Actual Score**
(a) Library resources organisation and maintenance of books, journals, reports; Provision of library reader- services, literature retrieval services to researchers and analysis of reports; Provision of assistance to the departments of University/College with the required inputs for preparing reports, manuals and related documents; Assistance towards updating institutional website with activity related information and for bringing out institutional Newsletters, etc. (40 Points) Development, organisation and management of e-resources including their accessibility over Intranet / Internet, digitization of library resources, e-delivery of information, etc (15 Points) User awareness and instruction programmes (Orientation lectures, users' training in the use of library services as e-resources, OPAC; knowledge resources user promotion programmes like organizing book exhibitions, other interactive latest learning resources, etc. (15 Points)	70	Actual hours spent per academic year _÷ **20**	60	Actual hours spent per academic year _÷ **20**	55	Actual hours spent per academic year _÷ **20**
(b) ICT and other new technologies' application for upgradation of library services such as automation of catalogue, learning resources procurement functions, circulation operations including membership records, serial subscription system, reference and information services, library security (technology based methods such as RFID,	15	Actual hours spent per academic year _÷ **10**	15	Actual hours spent per academic year _÷ **10**	15	Actual hours spent per academic year _÷ **10**

CCTV), development of library management tools (software), Intranet management						
(c).Additional services such as extending library facilities on holidays, shelf order maintenance, library user manual, building and extending institutional library facilities to outsiders through external membership norms	15	Actual hours spent per academic year _÷ **10**	15	Actual hours spent per academic year _÷ **10**	10	Actual hours spent per academic year _÷ **10**

CATEGORY II: PROFESSIONAL DEVELOPMENT, CO-CURRICULAR AND EXTENSION ACTIVITIES

Based on the Librarian Cadre's self-assessment, category II API scores are proposed for co-curricular and extension activities; and Professional development related contributions. The minimum API required for eligibility for promotion is 15. A list of items and scores is given below. The self-assessment score should be based on objectively verifiable criteria and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Librarian / College Librarian to higher grades and selection committee for the promotion of Assistant Librarian to Deputy Librarian and Deputy Librarian to Librarian and for direct recruitment of Deputy Librarian and Librarian.

The model table below gives groups of activities and API scores. Universities may detail the activities or, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API score required under this category.

Nature of Activity	**Maximum API Score**	**Actual score**
a) Student related co-curricular, extension and field based activities (such Cultural exchange and Library service Programmes (various level of extramural and intramural programmes); extension, library-literary work through different channels.	15	Actual hours spent per academic year ÷ **10**
b) Contribution to Corporate life and management of the library units and institution through participation in library and administrative committees and responsibilities.	15	Actual hours spent per academic year ÷ **10**
c) Professional Development activities (such as participation in seminars, conferences, short term, e- library training courses, workshops and events, talks, lectures, membership of associations, dissemination and general articles, not covered in Category III below)	15	Actual hours spent per academic year ÷ **10**

CATEGORY-III: RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS

Based on the self-assessment, API scores are proposed for research and library contributions. The minimum API scores required from this category are different for different levels of promotion in universities/colleges. The self-assessment score shall be based on verifiable criteria and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Librarian / College Librarian to higher grades and Selection Committee for the promotion of Assistant Librarian to Deputy Librarian and Deputy Librarian to Librarian and for direct recruitment of Deputy Librarian and Librarian.

Category	Activity	University/College Librarians	Max.score *
III (A)	Research Publications in	Refereed Journals as notified by the UGC	15 per Publication
		Other Reputed Journals as notified by the UGC	10 per Publication
III (B)	Publications other than journal articles (books, chapters in books)	Text/Reference Books by International Publishers as notified by UGC	30 per Book for Single Author
		Subject Books by National publishers as identified by the UGC or State / Central Govt. Publications	20 per Book for Single Author
		Subject Books by local publishers as identified by the UGC	15 per Book for Single Author
		Chapters in Books published by National and International level publishers identified by the UGC	International –10 per Chapter National – 5 per Chapter

III (C)	RESEARCH PROJECTS		
III (C) (i)	Sponsored Projects	Major Projects with grants above Rs. 5.0 lakhs	20 per Project
		Major Projects with grants above Rs.3.0 lakhs up to Rs.5.0 lakhs	15 per Project
		Minor Projects with grants above Rs. 1.0 lakh up to Rs.3 lakhs	10 per Project
III (C)(ii)	Consultancy Projects	Amount mobilized with a minimum of Rs. 2.0 lakhs	10 for every Rs.2.0 lakhs
III (C)(iii)	Projects Outcome / Outputs	Major Policy document of Central / State Govt. Bodies prepared	30 for each International / 20 for each for national policy document
III (D)	RESEARCH GUIDANCE		
III(D)(i)	M.Phil.	Degree awarded	5 per candidate
III(D)(ii)	Ph.D.	Degree awarded	15 per candidate
		Thesis submitted	10 per candidate
III E	Awards / Fellowships/Invited lectures delivered / papers presented in conferences / seminars		
III(E) (i)	Award / Fellowship	International Award/Fellowship from Govt./Reputed Organisation	15 per Award / 15 per Fellowship
	Award / Fellowship	International Award/Fellowship from Govt./Reputed Organisation	10 per Award / 10 per Fellowship
	Award	International Award/Fellowship from Govt./Reputed Organisation	5 Per Award
III(E) (ii)	Invited lectures / papers presented	International	7 per lecture / 5 per paper presented
		National level	5 per lecture / 3 per paper presented
		State/University level	3 per lecture / 2 per paper presented
	The score under this sub-category shall be restricted to 20% of the minimum fixed for Category III for any assessment period		
III(E) (iii)	Development of e-delivery process/material		10 per module

* Wherever relevant, the API score for paper in refereed journal would be augmented as follows: (i) paper with impact factor less than 1 - by 5 points; (ii) papers with impact factor between 1 and 2 by 10 points; (iii) papers with impact factor between 2 and 5 by 15 points; (iv) papers with impact factor between 5 and 10 by 20 points: (v) papers with impact factor above 10 by 25 points. The API for joint publications/books shall be calculated in the following manner: Of the total score for the relevant category of publication by the concerned teacher, the First and Principal / corresponding author /supervisor / mentor of the teacher would share equally 70% of the total points and the remaining 30% would be shared equally by all other authors.

APPENDIX - III TABLE - VIII (A)

MINIMUM APIs FOR THE CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTION OF ASSISTANT/COLLEGE LIBRARIAN AND DEPUTY LIBRARIAN AND WEIGHTAGES FOR EXPERT ASSESSMENT IN SELECTION COMMITTEES, IN UNIVERSITIES AND COLLEGES,

Category	Activity	Assistant / College Librarian (Stage 1 to Stage 2)	Assistant / College Librarian (Stage 2 to Stage 3)	Assistant/College Librarian (Stage 3) to Deputy/College Librarian (Stage 4)	Deputy Librarian (Stage 4) to Librarian (Stage 5)
I	Procurement, organisation, and delivery of knowledge and information through Library services	80/Year	80/year	75/year	70/year
II	Professional Development and Extension activities - Minimum score required to be assessed	50/ Assessment period	50 / Assessment period	50 / Assessment period	50 / Assessment period

	cumulatively				
III	Research and Academic Contributions – Minimum Score required - to be assessed cumulatively	20 / Assessment period	50 / Assessment period)	75 / Assessment period	100 / Assessment period
II + III	Minimum total API score under Categories II and III*	90 / Assessment period	120 / Assessment period)	150 / Assessment period	180 / Assessment period
	Expert Assessment System	Screening cum evaluation committee	Screening cum evaluation committee	Selection Committee	Selection Committee
V	Percentage Distribution of Weightage Points in the Expert Assessment (Total weightage = 100. Minimum required 50))	No separate points. Screening committee to verify API scores	No separate points. Screening committee to verify API scores	30% - Library related research papers evaluation 50% - Assessment of domain knowledge on Library automation and Organisational skills 20 % - Interview performance	50% Library publication work 30% Assessment of innovative Library service and organisation of digital library services 20% Interview performance

*** One may score the balance points from either Category II or Category III to achieve the minimum score required under Category II+ III.**

APPENDIX - III TABLE – VIII (B)

Minimum APIs and Other Norms for the Direct Recruitment of Librarian Positions in University Departments/Colleges and weightages in Selection Committees to be considered along with other specified eligibility qualifications stipulated in the Regulation.

Minimum Norm / Criteria	Assistant University Librarian / College Librarian (Stage 1)	Deputy Librarian in universities (Stage 4)	Librarian (university only) (Stage 5)
API score (Research and Academic Contribution - Category III)	Minimum Qualification as stipulated in the regulations	Consolidated API score requirement of 300 points from categories II & III of APIs (cumulative)	Consolidated API score requirement of 400 points from categories II & III of APIs (cumulative)
Selection Committee criteria/weightages (Total weightage = 100)	(a) Teaching / computer and communication skills by a Lecture demonstration (50%) (b) Record of Library management skills (20%) (c) Interview performance(30%)	(a) Library related Research / Theme papers (3 Nos) Evaluation: (50%) (b) Library automation skills and Organisational Plans (20%) (c) Interview performance (30%)	(a) Library Research papers (Five) evaluation (60%) (b) organisational track record of innovation library service and vision plan (20%) (c) Interview performance (20%)

APPENDIX-III - TABLE IX

MINIMUM ACADEMIC PERFORMANCE AND SERVICE REQUIREMENTS FOR PROMOTION OF LIBRARIAN CADRES IN UNIVERSITIES AND COLLEGES

Sl.No.	Promotion of Librarian Cadres through CAS	Service (as prescribed by the MHRD Notification) requirement	Minimum Academic Performance Requirements and Screening/Selection Criteria
1	Assistant Librarian/ College Librarian to Assistant Librarian (Senior Scale) /	Assistant Librarian/ College Librarian completed four years of service in Stage 1	(i) Minimum API scores using PBAS scoring proforma developed by the university as per the norms provided in Table VIII (A) of Appendix III for Librarian cadres in universities and for college

	College Librarian (Senior Scale) (Stage 1 to Stage 2)	with Ph.D. or five years of service with M.Phil. or six years of service without Ph.D./ M.Phil	Librarian cadres. (II)One Orientation and one Refresher Course of 3/4 weeks duration (i) Screening cum Verification process for recommending promotion.
2.	Assistant Librarian (senior scale) / College Librarian (senior scale) to Assistant Librarian (selection grade) / College Librarian (selection grade) (Stage 2 to Stage 3)	Assistant Librarian (senior scale) / College Librarian (senior scale) with completed service of five years in Stage 2	(i) Minimum API scores using the PBAS scoring proforma developed by University as per the norms provided in Table VIII (A) of Appendix III for Librarian Cadres in universities and for college librarian cadres. (ii)Additionally, two refresher courses,for a minimum period of 3 to 4 week duration to have been undergone during the assessment period. (iii) Screening cum Verification process for recommending promotion.
3.	Assistant Librarian (Selection Grade) / College Librarian (Selection Grade) to Deputy Librarian / College Librarian(Selection Grade)(Stage 3 to Stage 4)	Deputy Librarian / Assistant Librarian (Selection Grade) / College Librarian (Selection Grade) with three years of completed service in Stage 3.	(i) Minimum API scores using the PBAS scoring proforma developed by university as per the norms provided in Table VIII (A) of Appendix III. Three publications over twelve years. In Colleges, an exemption of one publication will be given to M. Phil holders and two publications to Ph. D. Holders. (ii) Additionally one course/training under the categories of Library automation / Analytical tool Development for academic documentation. (iii) A selection committee process as stipulated in the Regulation and in Table VIII (A)
4.	University Librarian (Stage 5) (For universities only)	Deputy Librarian in universities with three years of completed service in Stage 4.	(i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table VIII (A). Librarians may combine two assessment periods (in Stages 3 and 4) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in stage 3 (iii) Evidence of innovative library service and organisation of published work. (iv) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Table VIII (A)

Note: The explanatory note provided for Table IIA for CAS for teachers is also applicable for the Librarian cadres as per the API score specified for this cadre.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2016/वैशाख 20, 1938
No. 196] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2016/VAISAKHA 20, 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों) द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन), विनियम, 2016

संख्या. एफ0 1–2/2016 (पीएस/संशोधन).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (वर्ष 1956 का तृतीय) की धारा 26 की उप–धारा (I) तथा खंड (ई) एवं (जी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नवत विनियम, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताओं के विषय में एवं उच्च शिक्षा में मानदण्डों के अनुरक्षण हेतु उपाय विनियम, 2010 के सं"ाोधन हेतु सृजित कर रहा है, नामतः–

2. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तनः

2.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानदण्डों के अनुरक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

2.2 वे ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं संस्थान पर लागू होंगे जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है तथा इसके साथ ही ऐसे प्रत्येक संस्थान पर, संघटक अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित उन पर लागू होंगे जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुभाग 2 की धारा (एफ) के अन्तर्गत एवं इस अधिनियम 3 के अन्तर्गत प्रत्येक मानित विश्वविद्यालय के परामर्श सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

2.3 ये विनियम तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय विनियम, 2010 (प्रधान विनियम 2010) में निम्न संशोधन किये गये हैं:–

यूजीसी मुख्य विनियम 2010 की निम्न धाराओं में मौजूदा प्रावधान	यूजीसी मुख्य विनियम 2010 की निम्न धाराओं में किये गये संशोधन
3.0.0 सेवाओं में भर्ती किया जाना एवं अर्हताएँ 3.1.0 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया जाना–यह बात उस विज्ञापन पर जो कि अखिल भारतीय स्तर पर किया गया है तथा नियमित	**3.0.0 सेवाओं में भर्ती किया जाना एवं अर्हताएँ** 3.1.0 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया जाना–यह बात उस विज्ञापन पर जो कि अखिल भारतीय स्तर पर किया गया है तथा नियमित

	रूप से गठित चयन समिति द्वारा किए गए चयन पर निर्भर रहेगा–साथ ही इन नियमनों के अधीनस्थ होगा, जो नियमन उस सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/नियमों में समाविष्ट किए जाने हैं। इस प्रकार की समितियों का गठन उसी रूप में किया जाना चाहिए जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन नियमनों में निर्धारित किया गया है।		रूप से गठित चयन समिति द्वारा किए गए चयन पर निर्भर रहेगा–साथ ही इन नियमनों के अधीनस्थ होगा, जो नियमन उस सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/नियमों में समाविष्ट किए जाने हैं। इस प्रकार की समितियों का गठन उसी रूप में किया जाना चाहिए जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन नियमनों में निर्धारित किया गया है।
3.2.0	इन सभी पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही मानी जाएँगी जिन्हें इन नियमनों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है–इन पदों का नाम है– सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर, प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूल के निदेशक, सहायक लाइब्रेरियनों, उप–लाइब्रेरियनों, लाइब्रेरियनों के लिए	3.2.0	इन सभी पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही मानी जाएँगी जिन्हें इन नियमनों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है–इन पदों का नाम है– सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर, प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूल के निदेशक, सहायक लाइब्रेरियनों, उप–लाइब्रेरियनों, लाइब्रेरियनों के लिए
3.3.0	एक अच्छा अकादमिक रिकार्ड, 55 प्रतिशत अंक (अथवा समकक्ष ग्रेड जिसका अनुसरण, किसी भी बिन्दु पैमाने की प्रणाली के लिए हो रहा हो) स्नातकोत्तर स्तर पर और राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) अथवा किसी एक मान्यता पात्र परीक्षा में योग्यता (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/सेट परीक्षा) सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों के लिए रहेंगे।	3.3.0	एक अच्छा अकादमिक रिकार्ड, 55 प्रतिशत अंक (अथवा समकक्ष ग्रेड जिसका अनुसरण, किसी भी बिन्दु पैमाने की प्रणाली के लिए हो रहा हो) स्नातकोत्तर स्तर पर और राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) अथवा किसी एक मान्यता पात्र परीक्षा में योग्यता (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/सेट परीक्षा) सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों के लिए रहेंगे।
3.3.1	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए, नेट/स्लेट/सेट ही पात्रता के लिये न्यूनतम अर्हताएँ मानी जाएँगी। बशर्ते कि, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें या तो पीएच0डी0 डिग्री प्रदान की जा चुकी है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार जो भी मानकों को बनाया गया है तथा पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने के लिए हैं) जो कि 2009 के नियमनों के अनुसार हैं, उनको नेट/स्लेट/सेट की उन पात्रता शर्तों से छूट होगी जो शर्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इसके समकक्ष पदों पर नियुक्तियों/भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं।	3.3.1	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए, नेट/स्लेट/सेट ही पात्रता के लिये न्यूनतम अर्हताएँ मानी जाएँगी। बशर्ते ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें या तो पीएच0डी0 डिग्री प्रदान की जा चुकी है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार जो भी मानकों को बनाया गया है तथा पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने के लिए हैं) जो कि 2009 अथवा बाद के विनियम जिन्हें यदि यूजीसी द्वारा अधिसूचित किया गया है के नियमनों के अनुसार हैं, उनको नेट/स्लेट/सेट की उन पात्रता शर्तों से छूट होगी जो शर्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इसके समकक्ष पदों पर नियुक्तियों/भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं। तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी: (क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो; (ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो; (ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

3.3.2 ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उन समस्त विषयों में नेट/स्लेट/सेट परीक्षा—अनिवार्य नहीं होगी—जिन विषयों में नेट/स्लेट/सेट की प्रत्यायित परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।

3.4.0 ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर नियुक्त हैं और जो विभिन्न उद्योगों अथवा शोध संस्थानों से हैं ऐसे शिक्षकों के लिए नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर सहायक प्रोफेसरों, सहायक लाइब्रेरियनों, सहायक निदेशकों जो सब शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद क्षेत्र से हैं—उनके लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहाँ पर एक समकक्ष ग्रेड जो कि किसी पॉइन्ट स्केल में हो—उसमें) अंक अनिवार्य होंगे।

3.4.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "पॉइन्ट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है—वे अनुमत होंगी—जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी—और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

3.5.0 ऐसे पीएच0डी0 धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए—55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

3.6.0 ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पर जो सापेक्ष समतुल्य माना जा रहा हो—वह समस्त प्रक्रिया पात्रता से युक्त मानी जाएगी।

3.7.0 प्रोफेसरों की नियुक्ति एवं इन पदों पर प्रोन्नति के लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदेशात्मक होगी।

3.8.0 ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्हें सीधे तौर से सह प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाना है, उनके लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदेशात्मक होगी।

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;

(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।

उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम—कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

3.3.2 ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उन समस्त विषयों में नेट/स्लेट/सेट परीक्षा—अनिवार्य नहीं होगी—जिन विषयों में नेट/स्लेट/सेट की प्रत्यायित परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।

3.4.0 ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर नियुक्त हैं और जो विभिन्न उद्योगों अथवा शोध संस्थानों से हैं ऐसे शिक्षकों के लिए नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर सहायक प्रोफेसरों, सहायक लाइब्रेरियनों, सहायक निदेशकों जो सब शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद क्षेत्र से हैं—उनके लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहाँ पर एक समकक्ष ग्रेड जो कि किसी पॉइन्ट स्केल में हो—उसमें) अंक अनिवार्य होंगे।

3.4.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक् रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "पॉइन्ट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है—वे अनुमत होंगी—जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी—और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

3.5.0 ऐसे पीएच0डी0 धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए—55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

3.6.0 ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पर जो सापेक्ष समतुल्य माना जा रहा हो—वह समस्त प्रक्रिया पात्रता से युक्त मानी जाएगी।

3.7.0 प्रोफेसरों की नियुक्ति एवं इन पदों पर प्रोन्नति के लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदे''ात्मक होगी।

3.8.0 ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्हें सीधे तौर से सह प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाना है, उनके लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदेशात्मक होगी।

3.9.0 अपनी एम.फिल. अथवा/पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त करने के लिए जो समयावधि अभ्यर्थी द्वारा लगायी गयी है, वह समस्त अवधि शैक्षिक पदों पर उनकी नियुक्तियों के लिए अध्यापन/शोध अनुभव के रूप में प्रस्तुत दावे के रूप में पेश नहीं की जा सकती।

3.9.0 अपनी एम.फिल. अथवा/पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त करने के लिए जो समयावधि अभ्यर्थी द्वारा लगायी गयी है, वह समस्त अवधि शैक्षिक पदों पर उनकी नियुक्तियों के लिए अध्यापन/शोध अनुभव के रूप में प्रस्तुत दावे के रूप में पेश नहीं की जा सकती।	
4.4.0 सहायक प्रोफेसर **4.4.1 कलाएँ, मानविकी, विज्ञान, समाज विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, भाषाएँ, विधि, पत्रकारिता एवं जन–संचार** (i) किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो–तदनुसार एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो–किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो–अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कोई समतुल्य डिग्री हो। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है–अथवा सी.एस.आइ.आर. द्वारा–अथवा इस के समतुल्य सफल किये गये परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि। (iii) उपरोक्त धारा 4.4.1 की उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है –इस सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन–2009 के अनुरूप पीएच0डी0 डिग्री प्रदान हुई है (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए है)–ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी–ऐसी शर्तें जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है।	**4.4.0 सहायक प्रोफेसर** **4.4.1 कलाएँ, मानविकी, विज्ञान, समाज विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, भाषाएँ, विधि, पत्रकारिता एवं जन–संचार** (i) किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो–तदनुसार एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो–किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो–अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कोई समतुल्य डिग्री हो। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है–अथवा सी.एस.आइ.आर. द्वारा–अथवा इस के समतुल्य सफल किये गये परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि। (iii) उपरोक्त धारा 4.4.1 की उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है –इस सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन–2009 के अनुरूप पीएच0डी0 डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है। (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए है)–ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी– जो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है। **तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल. /पीएचडी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता भार्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:** **(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो;** **(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;** **(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित**

(iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/स्लेट/सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं—उनके लिए नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।	**हुआ हो;** **(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;** **(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।** (iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/स्लेट/सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं—उनके लिए नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।
4.4.2 संगीत, अभिनय कलाएँ, दृश्य कलाएँ एवं पारम्परिक भारतीय कला स्वरूप जैसे मूर्तिकला आदि। **4.4.2.1 संगीत एवं नृत्य विद्या** **1. सहायक प्रोफेसर** (i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड—जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो वहाँ पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो।) उनके स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री स्तर पर—उनके अपने सापेक्ष विषय में हो—अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से एक समतुल्य डिग्री हो। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों ने यू.जी.सी., सी.एस.आइ.आर. द्वारा संचालित जो व्याख्याताओं के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोग द्वारा संचालित/प्रत्यायित इसी की समतुल्य परीक्षा है—उसको सफलतापूर्वक पास कर लिया हो। इस अनुच्छेद 4.4.2.1 के अंतर्गत सम्मिलित उप–धाराएँ (i) एवं (ii) के बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पीएच0डी0 है अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है तथा जो प्रक्रिया यू0जी0सी0 नियमन, 2009 (पीएच0डी0 डिग्री के न्यूनतम मानक एवं विधि) के अनुसार है, ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की उस न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी—जो शर्तें विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हुई हैं।	**4.4.2 संगीत, अभिनय कलाएँ, दृश्य कलाएँ एवं पारम्परिक भारतीय कला स्वरूप जैसे मूर्तिकला आदि।** **4.4.2.1 संगीत एवं नृत्य विद्या** **2. सहायक प्रोफेसर** (i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड—जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो वहाँ पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो।) उनके स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री स्तर पर—उनके अपने सापेक्ष विषय में हो—अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से एक समतुल्य डिग्री हो। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों ने यू.जी.सी., सी.एस.आइ.आर. द्वारा संचालित जो व्याख्याताओं के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोग द्वारा संचालित/प्रत्यायित इसी की समतुल्य परीक्षा है—उसको सफलतापूर्वक पास कर लिया हो। इस अनुच्छेद 4.4.2.1 के अंतर्गत सम्मिलित उप–धाराएँ (i) एवं (ii) के बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पीएच0डी0 है अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है तथा जो प्रक्रिया यू0जी0सी0 नियमन, 2009 (पीएच0डी0 डिग्री के न्यूनतम मानक एवं विधि) के अनुसार है, ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की उस न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी—जो शर्तें विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हुई हैं। **तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता**

(iii) कुछ विषय जिनमें नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता है–उन विषयों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों की अनिवार्यता नेट/स्लेट/सेट में नहीं होगी। **अथवा** (i) एक पारम्परिक एवं व्यावसायिक कलाविद् जिसने अपने सम्बद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय तौर पर व्यावसायिक उपलब्धि की है–और जिसके द्वारा किया गया हो– (अ) उसने सुप्रसिद्ध/प्रतिष्ठित पारम्परिक गुरुजनों के शिष्य के रूप में अध्ययन किया हो–तथा अपना विषय विशेष की व्याख्या करने का सम्पूर्ण ज्ञान है : (ब) दूरदर्शन/आकाशवाणी का वह उच्च स्तरीय कलाकार हो, तथा (स) उसमें अपने विशिष्ट विषय के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या करने की योग्यता हो तथा उस विषय में सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन सचित्र माध्यम द्वारा करने का पर्याप्त ज्ञान हो।	**भार्तों की अनिवार्यतासे छूट प्राप्त होगीः** **(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो;** **(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;** **(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;** **(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;** **(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।** (iii) कुछ विषय जिनमें नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता है–उन विषयों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों की अनिवार्यता नेट/स्लेट/सेट में नहीं होगी। **अथवा** (i) एक पारम्परिक एवं व्यावसायिक कलाविद् जिसने अपने सम्बद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय तौर पर व्यावसायिक उपलब्धि की है–और जिसके द्वारा किया गया हो– (अ) उसने सुप्रसिद्ध/प्रतिष्ठित पारम्परिक गुरुजनों के शिष्य के रूप में अध्ययन किया हो–तथा अपना विषय विशेष की व्याख्या करने का सम्पूर्ण ज्ञान है : (ब) दूरदर्शन/आकाशवाणी का वह उच्च स्तरीय कलाकार हो, तथा (स) उसमें अपने विशिष्ट विषय के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या करने की योग्यता हो तथा उस विषय में सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन सचित्र माध्यम द्वारा करने का पर्याप्त ज्ञान हो।
4.4.2..2 नाटक संबंधी विषयवस्तु **1. सहायक प्रोफेसर** (i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–कम से कम स्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत अंक हों (तथा एक पॉइन्ट स्केल के–जहाँ पर कोई ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो इसमें ही एक समतुल्य ग्रेड।) तथा स्नातकोत्तर स्तर उस सापेक्ष विषय में किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री। (ii) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास की गई हो, जिस परीक्षा को यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित किया जाता है अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित	**4.4.2..2 नाटक संबंधी विषयवस्तु** **1. सहायक प्रोफेसर** (i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–कम से कम स्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत अंक हों (तथा एक पॉइन्ट स्केल के–जहाँ पर कोई ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो इसमें ही एक समतुल्य ग्रेड।) तथा स्नातकोत्तर स्तर उस सापेक्ष विषय में किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री। (ii) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास की गई हो, जिस परीक्षा को यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित किया जाता है अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित

समान स्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया गया हो। वैसे भी, ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच0डी0 धारक हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 मिल रही है, जो प्रक्रिया यू0जी0सी नियमन, 2009 के अनुसार है—(पीएच0डी0 डिग्री को प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं विधि) वे अभ्यर्थी उस अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे—जो अनिवार्यता विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा उनकी समकक्ष स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए नेट/स्लेट/सेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से सम्बन्धित की थी।

(iii) उपरोक्त समस्त के प्रति, बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे समस्त विषय, जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता हैं—उन कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट में अनिवार्य नहीं होंगे।

अथवा

(iv) एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार जिसकी अत्यन्त उत्कृष्ट प्रशंसनीय उपलब्धियाँ अपने विषय विशेष में हैं—जो या तो निम्नवत हो अथवा उसके पास हो—

1. एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार, जिसके पास प्रथम

समान स्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया गया हो। वैसे भी, ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच0डी0 धारक हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 मिल रही है, जो प्रक्रिया यू0जी0सी नियमन, 2009 के अनुसार है—(पीएच0डी0 डिग्री को प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं विधि) वे अभ्यर्थी उस अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे—जो अनिवार्यता विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा उनकी समकक्ष स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए नेट/स्लेट/सेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से सम्बन्धित की थी।

तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल. /पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:

स(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो;

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;

(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।

उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम—कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम—कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(iii) उपरोक्त समस्त के प्रति, बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे समस्त विषय, जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता हैं—उन कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट में अनिवार्य नहीं होंगे।

अथवा

(iv) एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार जिसकी अत्यन्त उत्कृष्ट प्रशंसनीय उपलब्धियाँ अपने विषय विशेष में हैं—जो या तो निम्नवत हो अथवा उसके पास हो—

1. एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार, जिसके पास प्रथम

श्रेणी की डिग्री/डिप्लोमा–जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अथवा भारतवर्ष या विदेश में स्थित इसी प्रकार के अनुमोदित संस्थान से हो– 2. क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय रंगमंचीय स्तर पर अभिनन्दित पाँच वर्ष का निरन्तर निष्पादन–जो कि साक्ष्य द्वारा समर्थित हो। 3. उसमें वह योग्यता विद्यमान हो कि अपने संबद्ध विषय की तार्किक विवेचना की व्याख्या प्रस्तुत कर सके–उसमें पर्याप्त जानकारी हो जिससे वह अपने संबद्ध विषय में उदाहरणों की सहायता से सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन कर सके।	श्रेणी की डिग्री/डिप्लोमा–जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अथवा भारतवर्ष या विदेश में स्थित इसी प्रकार के अनुमोदित संस्थान से हो– 2. क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय रंगमंचीय स्तर पर अभिनन्दित पाँच वर्ष का निरन्तर निष्पादन–जो कि साक्ष्य द्वारा समर्थित हो। 3. उसमें वह योग्यता विद्यमान हो कि अपने संबद्ध विषय की तार्किक विवेचना की व्याख्या प्रस्तुत कर सके–उसमें पर्याप्त जानकारी हो जिससे वह अपने संबद्ध विषय में उदाहरणों की सहायता से सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन कर सके।
4.4.2.3 दृश्य (ललित) कला विषयवस्तु **1. सहायक प्रोफेसर** (i) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड (अथवा जिस स्थिति में ग्रेड प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो – वहाँ समतुल्य ग्रेड जो उस पॉइन्ट –स्केल में हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो, जो कि संबद्ध विषय में हो, अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त समस्तरीय डिग्री हो। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किया गया हो, जो परीक्षा, यू.जी.सी., सी.एस. आई.आर. द्वारा प्राध्यापकों के लिए होता है, अथवा यू. जी.सी. द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही समरूप कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस, धारा 4.4.2.3 में जो उपधाराओं के (i) एवं (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, उनके अतिरिक्त भी, ऐसे अभ्यर्थी जो या तो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें यह प्रदान की गई है और जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2009 (न्यूनतम मानक एवं प्रणाली जो कि पीएच.डी.प्रदान करने के लिए हैं) वे लोग भी उन न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे, जो शर्तें, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा समतुल्य स्थितियों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हैं।	**4.4.2.3 दृश्य (ललित) कला विषयवस्तु** **1. सहायक प्रोफेसर** (i) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड (अथवा जिस स्थिति में ग्रेड प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो – वहाँ समतुल्य ग्रेड जो उस पॉइन्ट –स्केल में हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो, जो कि संबद्ध विषय में हो, अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त समस्तरीय डिग्री हो। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किया गया हो, जो परीक्षा, यू.जी.सी., सी.एस. आई.आर. द्वारा प्राध्यापकों के लिए होता है, अथवा यू. जी.सी. द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही समरूप कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस, धारा 4.4.2.3 में जो उपधाराओं के (i) एवं (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, उनके अतिरिक्त भी, ऐसे अभ्यर्थी जो या तो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें यह प्रदान की गई है और जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2009 (न्यूनतम मानक एवं प्रणाली जो कि पीएच.डी.प्रदान करने के लिए हैं) वे लोग भी उन न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे, जो शर्तें, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा समतुल्य स्थितियों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हैं। **तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल. /पीएच0डी0 हेतु कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नैट/सैट/स्लैट की न्यूनतम पात्रता की भार्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:** **(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो;** **(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;** **(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;**

(iii) उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, नेट/स्लैट/सैट परीक्षा ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाले विषयों में अनिवार्य रूप से नहीं होगी जिन विषयों में नेट/स्लैट/सैट को संचालित नहीं किया जा रहा है। **अथवा** (i) वह एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार हो जिसकी अपने संबद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि हो, तथा जिसके पास होने चाहिए— 1. भारतवर्ष/विदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से दृश्य (ललित)कला विषयवस्तु में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा 2. नियमित रूप से क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ/कार्यशालाएँ आयोजित करने का 5 वर्ष का अनुभव हो—जो साक्ष्यों द्वारा समर्थित हो एवं, 3. अपने विशिष्ट विषयवस्तु की तार्किक यथास्थिति की व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए तथा उस विषय में सिद्धांतों के अध्यापन में उदाहरणों द्वारा सहायता प्रदान करने की योग्यता हो।	**(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;** **(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।** **उपर्युक्त (क) से (ड.) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।** (iii) उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, नेट/स्लैट/सैट परीक्षा ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाले विषयों में अनिवार्य रूप से नहीं होगी जिन विषयों में नेट/स्लैट/सैट को संचालित नहीं किया जा रहा है। **अथवा** (i) वह एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार हो जिसकी अपने संबद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि हो, तथा जिसके पास होने चाहिए— **1.** भारतवर्ष/विदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से दृश्य (ललित)कला विषयवस्तु में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा **2.** नियमित रूप से क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ/कार्यशालाएँ आयोजित करने का 5 वर्ष का अनुभव हो—जो साक्ष्यों द्वारा समर्थित हो एवं, **3.** अपने विशिष्ट विषयवस्तु की तार्किक यथास्थिति की व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए तथा उस विषय में सिद्धांतों के अध्यापन में उदाहरणों द्वारा सहायता प्रदान करने की योग्यता हो।

4.5.3 विश्वविद्यालयों में सहायक लाइब्रेरियन /महाविद्यालय में लाइब्रेरियन	**4.5.3 विश्वविद्यालयों में सहायक लाइब्रेरियन /महाविद्यालय में लाइब्रेरियन**
i लाइब्रेरी साइंस/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, अथवा एक समकक्ष व्यावसायिक डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) तथा सुसंगत तौर से श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें लाइब्रेरी के कम्प्यूटरीकरण की जानकारी भी हो।	**i** लाइब्रेरी साइंस/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, अथवा एक समकक्ष व्यावसायिक डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) तथा सुसंगत तौर से श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें लाइब्रेरी के कम्प्यूटरीकरण की जानकारी भी हो।
ii राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, जो कि इस उद्देश्य से यू.जी.सी. द्वारा अथवा किसी अन्य ऐसी संस्था द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित है—उस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना	**ii** राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, जो कि इस उद्देश्य से यू.जी.सी. द्वारा अथवा किसी अन्य ऐसी संस्था द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित है—उस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना
iii वैसे, जो भी ऐसे प्रत्याशी हैं जो पीएच0डी0 प्राप्त हैं अथवा जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए हैं) नियमनों 2009 के अनुसार यह मिली है, ऐसे प्रत्याशियों को न्यूनतम पात्रता शर्त की अनिवार्यता से छूट होगी—जो शर्त नेट/स्लेट/सेट के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा)/शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के महाविद्यालय में निदेशक के पदों पर भर्ती	**iii** वैसे, जो भी ऐसे प्रत्याशी हैं जो पीएच0डी0 प्राप्त हैं अथवा जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए हैं) नियमनों 2009 के अनुसार अथवा बाद वाले नियमनों के अनुसार यदि वे यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु अधिसूचित किये गये हैं।

<table>
<tr><td></td><td>एवं नियुक्ति के लिए निर्धारित हैं।</td><td></td><td>तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/ विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता भार्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगीः

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएच0डी0 उपाधि प्रदान की गई हो;
(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;
(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;
(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;
(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।
उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।</td></tr>
<tr><td>4.6.3</td><td>विश्वविद्यालय में सहायक–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/महाविद्यालय में निदेशक–शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद</td><td>4.6.3</td><td>विश्वविद्यालय में सहायक–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/महाविद्यालय में निदेशक–शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद</td></tr>
<tr><td>i</td><td>शारीरिक शिक्षा में अथवा खेलकूद विज्ञान में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) जिसके साथ ही सुसंगत श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड।</td><td>i</td><td>शारीरिक शिक्षा में अथवा खेलकूद विज्ञान में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) जिसके साथ ही सुसंगत श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड।</td></tr>
<tr><td>ii</td><td>यह अभिलेख मौजूद हों कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का अन्तर–विश्वविद्यालय/अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में अथवा राज्य एवं/अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व रहा हो।</td><td>ii</td><td>यह अभिलेख मौजूद हों कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का अन्तर–विश्वविद्यालय/अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में अथवा राज्य एवं/अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व रहा हो।</td></tr>
<tr><td>iii</td><td>राष्ट्रीय स्तर का कोई परीक्षण जो इस उद्देश्य से यू0जी0सी द्वारा अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा जो कि यू0जी0सी0 द्वारा अनुमोदित हो–संचालित किया गया हो–जिसमें कि अर्हता प्राप्त की हो।</td><td>iii</td><td>राष्ट्रीय स्तर का कोई परीक्षण जो इस उद्देश्य से यू0जी0सी0 द्वारा अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा जो कि यू0जी0सी0 द्वारा अनुमोदित हो–संचालित किया गया हो–जिसमें कि अर्हता प्राप्त की हो।</td></tr>
<tr><td>iv</td><td>इन नियमनों के अनुसार जो शारीरिक क्षमता परीक्षण संचालित हुए थे–उनमें सफल हुए हों।</td><td>iv</td><td>इन नियमनों के अनुसार जो शारीरिक क्षमता परीक्षण संचालित हुए थे–उनमें सफल हुए हों।</td></tr>
<tr><td>v</td><td>वैसे, ऐसे प्रत्याशी, जो कि या तो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है, जो कि यू0जी0सी0 नियमन, 2009 के अनुसार हैं (न्यूनतम मानक एवं</td><td>v</td><td>वैसे, ऐसे प्रत्याशी, जो कि या तो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है, जो कि यू0जी0सी0 नियमन, 2009 के अनुसार हैं (न्यूनतम मानक एवं</td></tr>
</table>

पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने की प्रणाली) ऐसे सभी प्रत्याशियों को नेट/स्लेट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी—जो शर्तें विश्वविद्यालय सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा/महाविद्यालय निदेशक—शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद) की भर्ती एवं नियुक्ति के लिए हैं।	पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने की प्रणाली) ऐसे सभी प्रत्याशियों को नेट/स्लेट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी—जो शर्तें विश्वविद्यालय सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा/महाविद्यालय निदेशक—शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद) की भर्ती एवं नियुक्ति के लिए हैं। **तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता भार्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगीः** **(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएच0डी0 उपाधि प्रदान की गई हो;** **(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;** **(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;** **(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;** **(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम—कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।** **उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम—कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।**

4. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ़ की नियुक्तियों एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय 2010 (प्रधान विनियम) के अनुलग्नक III की मौजूदा तालिकाएँ एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ़ की नियुक्ति एवं पदोन्नति से संबद्ध परिकलन प्राप्तांकों संबंधी संशोधन 2013 (द्वितीय संशोधन) संशोधित होगा तथा यह उन संशोधित I से IX तालिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित होगा जो इन तृतीय संशोधित विनियमों के साथ संलग्न हैं।

[विज्ञापन—III/4/असा./78(137)]

प्रो0 जसपाल सिंह सन्धू, सचिव

परिशिष्ट—तीनः तालिका एक

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक आचार्य, सह—आचार्य, और आचार्य के लिए करियर प्रगति योजना (सीएएस) पदोन्नति हेतु अकादमिक प्रदर्शन संकेतांक (एपीआई) तथा सह—आचार्य और आचार्य की सीधी भर्ती हेतु प्रस्तावित अंक

शिक्षकों के विभिन्न स्तरों के लिए प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य भार और अधिमान दिया जाए

	प्रति सप्ताह प्रत्यक्ष शिक्षण घंटे	अधिमान
सहायक आचार्य	18+6*	100
सह—आचार्य	16+6*	90
आचार्य	14+6*	80

शिक्षक के स्व–आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित किया जाता है (क) शिक्षण संबंधित क्रियाकलाप कार्यक्षेत्र की जानकारी (ख) परीक्षा और मूल्यांकन में भागीदारी (ग)नवोन्मेशी शिक्षण, नये पाठ्यक्रमों के प्रति योगदान आदि और (घ) छात्रों का फीडबैक। इस श्रेणी के शिक्षकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग–अलग हैं। स्व–आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए। इसे छानबीन सह मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

श्रेणी एकः शिक्षण, ज्ञानार्जन और मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलाप

श्रेणी	क्रियाकलाप की प्रकृति	सहायक आचार्य		सह–आचार्य		आचार्य	
		अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक
एक	क. व्याख्यान– कक्षा शिक्षण (वि.अ.आ. के मानकों से अधिशेष व्याख्यानों सहित)	60	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	50	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	45	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10
	ख. परीक्षा ड्यूटी (प्रश्न पत्र तैयार करना, पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन) आवंटन अनुसार	20	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10
	ग. नवोन्मेशी शिक्षण– ज्ञानार्जन प्रणालियां, विषय वस्तु/पाठ्यक्रमों आदि को अद्यतन करना	10	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10
	घ. छात्रों का फीडबैक (जिन छात्रों की प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% उपस्थिति है वही फीडबैक देने के पात्र हैं)	10	उत्कृष्ट 10 बहुत अच्छा 8 अच्छा 6 औसत 4 औसत से कम 0	10	उत्कृष्ट 10 बहुत अच्छा 8 अच्छा 6 औसत 4 औसत से कम 0	10	उत्कृष्ट 10 बहुत अच्छा 8 अच्छा 6 औसत 4 औसत से कम 0

*नोटः 1. प्रति सप्ताह 18/16/14 घंटे में व्याख्यान/प्रैक्टिकल्स/प्रोजेक्ट पर्यवेक्षण शामिल हैं। दो घंटे के प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट पर्यवेक्षण को एक घंटे के व्याख्यान के बराबर समझा जाए। जो शिक्षक एक बार में पांच अथवा अधिक पीएचडी छात्रों के शोध का पर्यवेक्षण करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष शिक्षण घंटों में प्रति सप्ताह दो घंटे की कमी की अनुमति दी जाए।

2. प्रति सप्ताह 6 घंटों में शैक्षिक कार्य, उपचारात्मक कक्षाएं, संगोष्ठियां, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, नवोन्मेश और पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने में व्यतीत हुए घंटे शामिल हैं।

3. पर्यवेक्षण, प्रश्न पत्रों को तैयार करने, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने और परिणामों की तालिका बनाने में व्यतीत घंटे निर्धारित प्रत्यक्ष शिक्षण घंटों से अतिरिक्त हैं और ये प्रत्येक सप्ताह 40 घंटों के समग्र शिक्षण कार्य भार का अभिन्न अंग हैं।

4. शिक्षण की विशेष श्रेणी हेतु व्याख्यानों के आवंटन को वि.अ.आ. मानकों के अनुसार जोड़ा जाए। विश्वविद्यालय न्यूनतम कट–ऑफ निर्धारित कर सकता है, जैसे 75ः जिसके नीचे इन उप–श्रेणियों में कोई भी अंक नहीं दिया जा सकता।

श्रेणी दोः व्यावसायिक विकास, सह–पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलाप

शिक्षक के स्व–आकलन पर आधारित, श्रेणी दो एपीआई अंकों को व्यावसायिक विकास, सह–पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलापों और संबंधित योगदानों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। पदोन्नति की पात्रता हेतु शिक्षकों द्वारा आवश्यक न्यूनतम एपीआई को तालिका II– ए में निर्धारित किया गया है। मदों और अंकों की एक सूची नीचे दी गई है। स्व–आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक आचार्य से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक आचार्य से सह–आचार्य और सह–आचार्य से आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु तथा सह–आचार्य और आचार्य के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

नीचे दी गई नमूना तालिका में क्रियाकलापों और एपीआई अंकों के समूह दिये गये हैं। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

श्रेणी दो	क्रियाकलाप की प्रकृति	अधिकतम एपीआई अंक	वास्तविक अंक
क. (i) (ii) (iii)	छात्र संबंधी सह–पाठ्यक्रम, विस्तारण और क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप विषय संबंधी सह–पाठ्यक्रम क्रियाकलाप (यथा क्षेत्र कार्य, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठी और अन्य आयोजन, करियर परामर्श आदि) अन्य सह–पाठ्यक्रम गतिविधियां (सांस्कृतिक, खेलकूद, रा.से.यो., एनसीसी आदि) विस्तारण और प्रसार क्रियाकलाप (सार्वजनिक/प्रसिद्ध व्याख्यान/चर्चा/संगोष्ठियां आदि)	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷ 10
ख. (i) (ii)	कारपोरेट जीवन के प्रति योगदान और शैक्षिक और प्रशासनिक समितियों तथा उत्तरदायित्वों में भागीदारी के माध्यम से विभाग और संस्था का प्रबंधन प्रशासनिक उत्तरदायित्व (इसमें डीन/प्राचार्य/सभापति/संयोजक/प्रभारी शिक्षक/अन्य समान ड्यूटी जिनके निस्तारण हेतु नियमित कार्यालय आने की आवश्यकता होती है, शामिल हैं) अध्ययन, शैक्षिक और प्रशासनिक समितियों के बोर्ड में भागीदारी	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷ 10
ग.	व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप (यथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों, लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, औद्योगिक अनुभव, चर्चा में भाग लेना, पुनश्चर्या/संकाय विकास पाठ्यक्रमों में व्याख्यान देना, संघों की सदस्यता, प्रसार, और सामान्य लेख तथा अन्य कोई योगदान)	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷ 10

श्रेणी–तीनः शोध और शैक्षिक योगदान

शिक्षक के स्व–आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को शोध और शैक्षिक योगदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इस श्रेणी के शिक्षकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग–अलग हैं। स्व–आकलन अंक सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन–सह–मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक आचार्य से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक आचार्य से सह–आचार्य और सह–आचार्य से आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु तथा सह–आचार्य और आचार्य के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

श्रेणी	क्रियाकलाप	विज्ञान/इंजीनियरिंग/कृषि/चिकित्सा/पशु विज्ञान	भाषा/मानविकी/कला/सामाजिक विज्ञान/पुस्तकालय/शारीरिक शिक्षा/प्रबंधन के संकाय	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक हेतु अधिकतम अंक*
तीन (क)	शोध पत्रों का प्रकाशनः	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित(Refereed) पत्रिकाएं	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित पत्रिकाएं	15 प्रति प्रकाशन
		वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं	10 प्रति प्रकाशन
तीन (ख)	पत्रिका लेखों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय)	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें	30 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विषय पुस्तकें अथवा राज्य/केन्द्र सरकार के प्रकाशन	वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विषय पुस्तकें अथवा राज्य/केन्द्र सरकार के प्रकाशन	20 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित अन्य	वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित अन्य	15 प्रति पुस्तक एकल

		स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषय पुस्तकें	स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषय पुस्तकें	लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में अध्याय	वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में अध्याय	अंतर्राष्ट्रीय–10 प्रति अध्याय राष्ट्रीय– 5 प्रति अध्याय

तीन(ग)	शोध परियोजनाएं			
तीन(ग) (एक)	प्रायोजित परियोजनाएं	(क) 30.0 लाख रू. से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	5.0 लाख रू. से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	20 प्रति परियोजना
		(ख) 5.0 लाख रू. से 30.0 लाख रू. तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	3.0 लाख रू. से 5.0 लाख रू. तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	15 प्रति परियोजना
		(ग) 1.0 लाख रूपए से 5.0 लाख रूपए तक वाली लघु परियोजनाएं	1.0 लाख रूपए से 3.0 लाख रू. तक वाली लघु परियोजनाएं	10 प्रति परियोजना
तीन(ग) (दो)	परामर्शी परियोजनाएं	न्यूनतम 10.0 लाख रूपए की राशि को संघटित करना	न्यूनतम 2.0 लाख रूपए की राशि को संघटित करना	10 क्रमशः प्रत्येक 10.0 लाख रू. और 2.0 लाख रूपए हेतु
तीन(ग) (तीन)	परियोजना परिणाम / निष्कर्श	पेटेंट / प्रौद्योगिकी हस्तांतरण / उत्पाद / प्रक्रिया	केन्द्र / राज्य सरकार के निकायों के प्रमुख नीति दस्तावेज तैयार करना	30 प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय / 20 प्रत्येक राष्ट्रीय स्तर के उत्पादन अथवा पेटेंट अथवा प्रमुख नीति दस्तावेज हेतु
तीन(घ)	शोध मार्गदर्शन			
तीन(घ) (एक)	एम.फिल	उपाधि प्रदान की गई	उपाधि प्रदान की गई	5 प्रति उम्मीदवार
तीन(घ) (दो)	पीएचडी	उपाधि प्रदान की गई	उपाधि प्रदान की गई	15 प्रति उम्मीदवार
		शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया	शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया	10 प्रति उम्मीदवार
तीन(ड)	अध्येतावृति, पुरस्कार और सम्मेलनों / संगोष्ठियों में दिए गए आमंत्रण व्याख्यान			
तीन(ड) (एक)	अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार / अध्येतावृति		अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार / अध्येतावृति	15 प्रति पुरस्कार / 15 प्रति अध्येतावृति
	राष्ट्रीय पुरस्कार / अध्येतावृति		राष्ट्रीय पुरस्कार / अध्येतावृति	10 प्रति पुरस्कार / 10 प्रति अध्येतावृति
	राज्य / विश्वविद्यालय स्तरीय पुरस्कार		राज्य / विश्वविद्यालय स्तरीय पुरस्कार	5 प्रति पुरस्कार
तीन(ड) (दो)	आमंत्रण व्याख्यान / पत्र	अंतर्राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय	7 प्रति व्याख्यान / 5 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राष्ट्रीय स्तरीय	राष्ट्रीय स्तरीय	5 प्रति व्याख्यान / 3 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राज्य / विश्वविद्यालय स्तरीय	राज्य / विश्वविद्यालय स्तरीय	3 प्रति व्याख्यान / 2 प्रति प्रस्तुत पत्र

इस उप–श्रेणी के अंतर्गत अंकों को किसी भी आकलन अवधि हेतु श्रेणी तीन के लिए निर्धारित न्यूनतम के 20ः तक सीमित कर दिया जाएगा।		
तीन(च)	ई–लर्निंग परिदान प्रक्रिया /सामग्री का विकास	10 प्रत्येक इकाई

* जहां कहीं भी किसी विशेष विषय से प्रासंगिक हो, संदर्भित (Refereed) पत्रिकाओं में पत्र हेतु एपीआई अंकों को निम्न प्रकार जोड़ा जाएगाः जो (एक) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र– 5 अंकों द्वारा (दो)1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 10 अंकों द्वारा (तीन) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 15 अंकों द्वारा (चार) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 20 अंकों द्वारा (पांच) 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र– 25 अंकों द्वारा। संयुक्त प्रकाशनों हेतु एपीआई की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की प्रासंगिक श्रेणी हेतु कुल अंकों के, प्रथम और प्रमुख / यही लेखक / पर्यवेक्षक / मार्गदर्शक कुल अंकों के 70% को समान रूप से साझा करेंगे और ''ाेष 30% ''ाेष अन्य लेखकों द्वारा समान रूप से साझा किए जाएंगे।

परिशिष्ट—तीन तालिका—दो (क)

विश्वविद्यालय विभागों और महाविद्यालयों में करियर प्रगति योजना (सीएएस) के अन्तर्गत शिक्षकों की पदोन्नति हेतु परिशिष्ट—तीन तालिका एक में दिए गए न्यूनतम एपीआई को लागू किया जाए और विशेषज्ञ आकलन हेतु अधिमान

श्रेणी	क्रियाकलाप	सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 1 से चरण 2)	सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 2 से चरण 3)	सहायक आचार्य (चरण 3) से सह—आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 4)	सह—आचार्य (चरण 4) से आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 5)	आचार्य (चरण 5) से आचार्य (चरण 6)
एक	शिक्षण—ज्ञानार्जन, मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलाप	80/वर्ष	80/ वर्ष	75/ वर्ष	70/ वर्ष	70/ वर्ष
दो	व्यावसायिक विकास और विस्तारण क्रियाकलाप—न्यूनतम अंकों का आंकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	100/आकलन अवधि
तीन	शोध और शैक्षिक योगदान— न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	20/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	75/आकलन अवधि	100/आकलन अवधि	400/आकलन अवधि
दो . तीन	श्रेणी दो और तीन के अंतर्गत न्यूनतम कुल एपीआई अंक*	90/आकलन अवधि	120/आकलन अवधि	150/आकलन अवधि	180/आकलन अवधि	600/आकलन अवधि
चार	विशेषज्ञ आकलन प्रणाली	छानबीन—सह—आकलन समिति	छानबीन—सह—आकलन समिति	चयन समिति	चयन समिति	विशेषज्ञ समिति
पांच	विशेषज्ञ आकलन में अधिमान अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल अधिमान¾ 100। पदोन्नति हेतु न्यूनतम 50 की आवश्यक हैं)	अलग से कोई अंक नहीं।छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	30% शोध योगदान 50% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अनुभव का आकलन 20% साक्षात्कार में प्रदर्शन	50% शोध योगदान 30% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अनुभव का आकलन 20% साक्षात्कार में प्रदर्शन	50% शोध योगदान 50% प्रदर्शन मूल्यांकन और संप्रेक्षण प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रत्यय पत्र

*** शिक्षक श्रेणी दो—तीन के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए श्रेणी दो अथवा श्रेणी तीन किसी से भी अंकों का शेष प्राप्त कर सकते हैं।**

परिशिष्ट—तीन तालिका—दो (ख)

विश्वविद्यालय विभागों/महाविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु एपीआई के लिए न्यूनतम अंक और विनियम में वर्णित अन्य विनिर्दिष्ट पात्रता योग्यताओं के साथ अधिमानों पर चयन समितियों में विचार किया जाना

	सहायक आचार्य (चरण 1)	सह—आचार्य (चरण 4)	आचार्य (चरण 5)
न्यूनतम एपीआई अंक	इन विनियमों में यथा वर्णित न्यूनतम योग्यता	एपीआई की श्रेणी दो और तीन से 300 अंकों के कुल एपीआई अंकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)	एपीआई की श्रेणी दो और तीन से 400 अंकों के कुल एपीआई अंकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)
चयन समिति मानदण्ड/अधिमान (कुल अधिमान ¾ 100)	(क) शैक्षिक रिकार्ड और शोध प्रदर्शन (50%) (ख) विषय की जानकारी और शिक्षण कौशल का आकलन (30%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)	(क) शैक्षिक पृष्ठभूमि (20%) (ख) एपीआई अंक और प्रकाशनों की गुणवत्ता पर आधारित शोध प्रदर्शन (40%) (ग) विषय की जानकारी और शिक्षण कौशल का आकलन (20%) (घ) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)	(क) शैक्षिक पृष्ठभूमि (20%) (ख) एपीआई अंक और प्रकाशनों की गुणवत्ता पर आधारित शोध प्रदर्शन (40%) (ग) विषय की जानकारी और शिक्षण कौशल का आकलन (20%) (घ) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)

परिशिष्ट–तीन तालिका–तीन

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और सेवा संबंधी अपेक्षाएं

क्रम संख्या	सीएएस के माध्यम से शिक्षकों की पदोन्नति	सेवा आवश्यकताएं	न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और छानबीन/चयन मानदण्ड
1	सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग चरण 1 से चरण 2	चरण 1 में सहायक आचार्य और पीएचडी के साथ चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंनें एम.फिल/एलएलएम, एम. टेक, एम.वी.एससी., एम.डी. जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने पीएचडी/एमफिल/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बिना छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(एक) तालिका दो(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक (दो) 2/3 सप्ताह की अवधि का एक प्रबोधन और एक पुनश्चर्या/शोध प्रणाली पाठ्यक्रम (तीन) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
2	सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग चरण 2 से चरण 3	चरण 2 में पांच वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक आचार्य	(एक) तालिका दो (क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक (दो) पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों, प्रविधि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, शिक्षण–ज्ञानार्जन–मूल्यांकन तकनीक वृत्तिों, सरल कौशल विकास कायक्रमों और संकाय विकास कायक्रमों की श्रेणियों में से 2/3 सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यक्रम/वृत्ति (तीन) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
3	सहायक आचार्य(चरण 3) से सह–आचार्य (चरण 4)	चरण 3 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक आचार्य	(एक) तालिका दो(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक (दो) सहायक आचार्य के तौर पर संपूर्ण अवधि (बारह वर्ष) में कम से कम तीन प्रकाशन। तथापि, महाविद्यालय के शिक्षकों के मामले में एम.फिल धारकों को एक प्रकाशन और पीएचडी धारकों को दो प्रकाशनों की छूट प्रदान की जा सकती है। (तीन) प्रविधि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, शिक्षण–ज्ञानार्जन–मूल्यांकन तकनीक वृत्तिों, सरल कौशल विकास वृत्तिों और संकाय विकास वृत्तिों की श्रेणियों में से कम से कम एक सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यक्रम /वृत्ति (चार) विनियम और तालिका दो (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया
4	सह–आचार्य(चरण 4) से आचार्य (चरण 5)	चरण 4 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले सह–आचार्य	(एक) तालिका दो(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक। न्यूनतम एपीआई अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षक दो आकलन अवधियों (चरण 2 और 3 में) को जोड़ सकते हैं, यदि आवश्यक हो। (दो) शिक्षक के चरण 3 में आने के बाद से कम से कम पांच प्रकाशन। (तीन) विनियम और तालिका दो (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया
5	आचार्य(चरण 5) से आचार्य (चरण 6)	दस वर्ष की पूरी सेवा वाले आचार्य (केवल विश्वविद्यालय)	(एक) तालिका दो(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार आकलन अवधि हेतु न्यूनतम सकल

			एपीआई अंक। (दो) अतिरिक्त क्रेडेंशियल को निम्न के द्वारा प्रमाणित किया जाना है (क) उच्च स्तर के पोस्टडॉक्टोरल शोध उत्पाद (ख) पुरस्कार/सम्मान/प्रमाणन/उत्पादों पर पेटेंट और आईपीआर तथा विकसित प्रक्रियाएं/ प्राप्त तकनीक हस्तांतरण और (तीन) डी.एससी., डी.लिट्.,एलएल. डी., आदि जैसी अतिरिक्त शोध उपाधियां (तीन) इस विनियम और तालिका दो (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन वि"ोषज्ञ समिति द्वारा पुनरीक्षण प्रक्रिया

परिशिष्ट—तीनः तालिका चार

विश्वविद्यालयों में सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा/उप निदेशक शारीरिक शिक्षा और महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा के लिए वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) पदोन्नति हेतु तथा उप निदेशक और निदेशक शारीरिक शिक्षा की सीधी भर्ती हेतु अकादमिक प्रदर्शन संकेतांक (एपीआई)
शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के विभिन्न स्तरों के लिए प्रत्यक्ष कार्य भार और अधिमान दिया जाए

	प्रति सप्ताह प्रत्यक्ष कार्य घंटे	अधिमान
सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा	40	100
उप निदेशक शारीरिक शिक्षा	36+4*	90
निदेशक शारीरिक शिक्षा	32+8*	80

शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के स्व—आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित किया जाता है (क) व्याख्यान सह अभ्यास आधारित एथलीट/खेल कक्षाएं, अनुशिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी क्रियाकलाप (ख) खेलकूद और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा प्रबंधन संबंधी क्रियाकलाप (ग) खेल अवसंरचना और विस्तारण सेवाओं आदि का उन्नयन और (घ) छात्रों का फीडबैक। इस श्रेणी के शारीरिक शिक्षा कार्मिकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग—अलग हैं। स्व—आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापन किए जाने की कसौटी पर आधारित होने चाहिए। इसे छानबीन सह मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। विश्वविद्यालय कियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

* प्रशासनिक उत्तरदायित्वों, नवोन्मेश, सुविधाओं का उन्नयन, सेवा का विस्तार आदि के संबंध में उपयोग किए गए घंटे

श्रेणी एकः शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुशिक्षण, खिलाड़ी विकास और खेल प्रबंधन से जुड़े क्रियाकलाप

क्रियाकलाप की प्रकृति	सहायक निदेशक/महाविद्यालय निदेशक		उप निदेशक		निदेशक	
	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक
क. आवंटित घंटों के अनुसार व्याख्यान सह अभ्यास आधारित एथलीट/खेल कक्षाएं, संगोष्ठियां करना/प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना/खिलाड़ी विकास/प्रशिक्षण वृत्ति (50 अंक) खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और छात्रों के बीच खेल उत्कृष्टता का सर्वंधन	70	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20	60	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20	50	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20

करना (10 अंक) खेल के मैदानों का विकास और रख–रखाव, अन्य खेल सुविधाओं की खरीद और रख–रखाव (10 अंक)						
ख. खिलाडियों हेतु शारीरिक शिक्षा और खेल वृत्ति का प्रबंधन (आयोजना, निष्पादन और शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में नीतियों का मूल्यांकन) (10 अंक) अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/ राज्य/ अंतर–विश्वविद्यालय/अंतर जोन स्तरों पर खेलकूद और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना (10 अंक)	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10
ग. शारीरिक शिक्षा और खेलों में वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का उन्नयन (10 अंक) अवकाश के दिनों में संस्थाओं और संगठनों में सेवाएं, खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण देना (10 अंक)	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10
घ. छात्रों का फीडबैक (जिन छात्रों ने खेल क्रियाकलापों में भाग लिया है वही फीडबैक देने हेतु पात्र हैं)	10	उत्कृष्ट 10 बहुत अच्छा 8 अच्छा 6 औसत 4 औसत से कम 0	10	उत्कृष्ट 10 बहुत अच्छा 8 अच्छा 6 औसत 4 औसत से कम 0	10	उत्कृष्ट 10 बहुत अच्छा 8 अच्छा 6 औसत 4 औसत से कम 0

श्रेणी दो: व्यावसायिक विकास, सह–पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलाप

शारीरिक शिक्षा संवर्ग के स्व–आकलन पर आधारित, श्रेणी दो एपीआई अंकों को सह–पाठ्यक्रम, विस्तारण क्रियाकलापों और व्यावसायिक विकास से संबंधित योगदानों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। पदोन्नति की पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम एपीआई 15 है। मदों और अंकों की एक सूची नीचे दी गई है। स्व–आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा/महाविद्यालय निदेशक से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा से उप निदेशक शारीरिक शिक्षा तथा उप निदेशक शारीरिक शिक्षा से निदेशक शारीरिक शिक्षा पद पर पदोन्नति हेतु तथा उप निदेशक शारीरिक शिक्षा और निदेशक शारीरिक शिक्षा के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

नीचे दी गई नमूना तालिका में क्रियाकलापों और एपीआई अंकों के समूह दिये गये हैं। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

क्रियाकलाप की प्रकृति	**अधिकतम एपीआई अंक**	**वास्तविक अंक**
(क)छात्र संबंधी सह–पाठ्यक्रम, विस्तारण और क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप (एक) विषय संबंधी सह–पाठ्यक्रम क्रियाकलाप (यथा क्षेत्र कार्य, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठी और अन्य आयोजन, वृत्ति संबंधी परामर्श आदि) (दो) अन्य सह–पाठ्यक्रम क्रियाकलाप (सांस्कृतिक, खेलकूद, रा.से.यो., एनसीसी आदि) (तीन) विस्तारण और प्रसार क्रियाकलाप(सार्वजनिक/प्रसिद्ध	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10

व्याख्यान/चर्चाएं/संगोष्ठियां आदि)		
(ख)कारपोरेट जीवन के प्रति योगदान और खेल और प्रशासनिक समितियों तथा उत्तरदायित्वों में भागीदारी के माध्यम से खेल इकाईयों और संस्था का प्रबंधन (एक) प्रशासनिक उत्तरदायित्व (इसमें प्राचार्य/निदेशक/संयोजक/अन्य समान ड्यूटी जिनके निस्तारण हेतु नियमित कार्यालय आने की आवश्यकता होती है, शामिल हैं) (दो) अध्ययन, शैक्षिक और प्रशासनिक समितियों के बोर्डों में भागीदारी	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10
(ग)व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप (यथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों, लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, शिविरों और आयोजनों, चर्चा में भाग लेना, पुनष्चर्या/संकाय विकास पाठ्यक्रमों में व्याख्यान देना, संघों की सदस्यता, प्रसार, और सामान्य लेख तथा अन्य कोई योगदान)	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10

श्रेणी—तीनः शोध और शैक्षिक योगदान

स्व—आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को शोध और खेल योगदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इस श्रेणी में जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग—अलग हैं। स्व—आकलन अंक सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह—मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक निदेशक से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक निदेशक से उप निदेशक तथा उप निदेशक से निदेशक पद पर पदोन्नति हेतु तथा उप निदेशक और निदेशक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

श्रेणी	क्रियाकलाप	शारीरिक शिक्षा संकाय	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के निदेशक शारीरिक शिक्षा हेतु अधिकतम अंक*
तीन(क)	शोध पत्रों का प्रकाशनः	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित(Refereed) पत्रिकाएं	15 प्रति प्रकाशन
		वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं	10 प्रति प्रकाशन
तीन(ख)	पत्रिका लेखों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय)	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें	30 प्रति पुस्तक एक लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विषय पुस्तकें अथवा राज्य/केन्द्र सरकार के प्रकाशन	20 प्रति पुस्तक एक लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषय पुस्तकें	15 प्रति पुस्तक एक लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा चिन्हित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में अध्याय	अंतर्राष्ट्रीय—10 प्रति अध्याय राष्ट्रीय— 5 प्रति अध्याय
तीन (ग)	शोध परियोजनाएं		
तीन(ग) (एक)	प्रायोजित परियोजनाएं	(क) 5.0 लाख रू. से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	20 प्रति परियोजना
		(ख) 3.0 लाख रू. से 5.0 लाख रू. तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	15 प्रति परियोजना
		(ग) 1.0 लाख रू. से 3.0 लाख रू. तक वाली लघु परियोजनाएं	10 प्रति परियोजना
तीन(ग) (दो)	परामर्श हेतु परियोजनाएं	न्यूनतम 20.0 लाख रू. की राशि को संघटित करना	10 प्रत्येक 2.0 लाख रू. हेतु
तीन(ग) (तीन)	परियोजना के परिणाम/निष्कर्ष	केन्द्र/राज्य सरकार के निकायों के प्रमुख नीति दस्तावेज तैयार करना	30 प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय/20 प्रत्येक राष्ट्रीय नीति दस्तावेज हेतु
तीन(घ)	शोध मार्गदर्शन		
तीन(घ) (एक)	एम.फिल	उपाधि प्रदान की गई	5 प्रति उम्मीदवार

तीन(घ) (दो)	पीएचडी	उपाधि प्रदान की गई	15 प्रति उम्मीदवार
		शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया	10 प्रति उम्मीदवार
तीन(ड.)	सम्मेलनों/संगोष्ठियों में प्रदान की गई अध्येतावृतियां, पुरस्कार और आमंत्रण व्याख्यान/प्रस्तुत किए गए पत्र		
तीन(ड.) (एक)	पुरस्कार/अध्येतावृति	सरकारी/प्रतिष्ठित संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृति	15 प्रति पुरस्कार/15 प्रति अध्येतावृति
	पुरस्कार/अध्येतावृति	सरकारी/प्रतिष्ठित संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृति	10 प्रति पुरस्कार/10 प्रति अध्येतावृति
	पुरस्कार	सरकारी/प्रतिष्ठित संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृति	5 प्रति पुरस्कार
तीन(ड.) (दो)	आमंत्रण व्याख्यान/प्रस्तुत किए गए पत्र	अंतर्राष्ट्रीय	7 प्रति व्याख्यान/ 5 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राष्ट्रीय स्तरीय	5 प्रति व्याख्यान/ 3 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राज्य/विश्वविद्यालय स्तरीय	3 प्रति व्याख्यान/ 2 प्रति प्रस्तुत पत्र
	इस उप–श्रेणी के अंतर्गत अंकों को किसी भी आकलन अवधि हेतु श्रेणी तीन के लिए निर्धारित न्यूनतम के 20 तक सीमित कर दिया जाएगा।		
तीन(ड)(तीन)	ई–लर्निंग परिदान प्रक्रिया /सामग्री का विकास		10 प्रत्येक इकाई

* जहां कहीं भी प्रासंगिक हो, संदर्भित (Refereed) पत्रिकाओं में पत्र हेतु एपीआई अंकों निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा:(एक) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र– 5 अंकों द्वारा (दो)1 और 2 के बीच प्रभाव कारक (Impact) वाले पत्र– 10 अंकों द्वारा (तीन) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक (Impact) वाले पत्र– 15 अंकों द्वारा (चार) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक (Impact) वाले पत्र– 20 अंकों द्वारा (पांच) 10 से अधिक प्रभाव कारक (Impact) वाले पत्र– 25 अंकों द्वारा। संयुक्त प्रकाशनों हेतु एपीआई की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की प्रासंगिक श्रेणी हेतु कुल अंकों के, प्रथम और प्रमुख/संबद्ध लेखक/पर्यवेक्षक/शिक्षक के मार्गदर्शक कुल अंकों के 70% को समान रूप से साझा करेंगे और शेष 30% बाकी अन्य लेखकों द्वारा समान रूप से साझा किए जाएंगे।

परिशिष्ट–तीन तालिका–पांच (क)

विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सहायक/महाविद्यालय निदेशक और उप निदेशक शारीरिक शिक्षा की वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) की पदोन्नति हेतु परिशिष्ट–तीन तालिका एक में दिए गए न्यूनतम एपीआई को लागू किया जाए, और चयन समितियों में विशेशज्ञ आकलन हेतु अधिमान

श्रेणी	क्रियाकलाप	सहायक/महाविद्यालय निदेशक (चरण 1 से चरण 2)	सहायक/महाविद्यालय निदेशक (चरण 2 से चरण 3)	सहायक/महाविद्यालय निदेशक (चरण 3) से उप/महाविद्यालय निदेशक (चरण 4)	उप निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 4) से निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 5)
एक	शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग, खिलाड़ी विकास और खेल प्रबंधन क्रियाकलाप	80/वर्ष	80/वर्ष	75/वर्ष	70/वर्ष
दो	व्यावसायिक विकास और विस्तारण क्रियाकलाप–न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि
तीन	शोध और शैक्षिक योगदान– न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	20/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	75/आकलन अवधि	100/आकलन अवधि

दो . तीन	श्रेणी दो और तीन के अंतर्गत न्यूनतम कुल एपीआई अंक*	90 / आकलन अवधि	120 / आकलन अवधि	150 / आकलन अवधि	180 / आकलन अवधि
चार	विशेषज्ञ आकलन प्रणाली	छानबीन सह आकलन समिति	छानबीन सह आकलन समिति	चयन समिति	चयन समिति
पांच	विशेषज्ञ आकलन में अधिमान अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल अधिमानत्र 100। न्यूनतम 50 आवश्यक)	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	30% शोध योगदान 50% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अनुभव का आकलन 20% साक्षात्कार प्रदर्शन	50% शोध योगदान 30% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अनुभव का आकलन 20% साक्षात्कार प्रदर्शन

*** श्रेणी दो तीन के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए श्रेणी दो अथवा श्रेणी तीन किसी से भी अंकों का शेष प्राप्त कर सकते हैं।**

परिशिष्ट—तीन तालिका—पांच (ख)

विश्वविद्यालय विभागों / महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु एपीआई के लिए न्यूनतम अंक और विनियम में वर्णित अन्य विनिर्दिष्ट पात्रता योग्यताओं के साथ अधिमानों पर चयन समितियों में विचार किया जाना

	सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 1)	**उप निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 4)**	**निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 5)**
न्यूनतम एपीआई अंक	इन विनियमों में यथा वर्णित न्यूनतम योग्यता	एपीआई की श्रेणी दो और तीन से 300 अंकों के कुल एपीआई अंकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)	एपीआई की श्रेणी दो और तीन से 400 अंकों के कुल एपीआई अंकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)
चयन समिति मानदण्ड / अधिमान (कुल अधिमानत्र 100)	(क) जीती गई प्रतियोगिता का रिकार्ड (30%) (ख) खेल और एथलीट कौशल (40%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%)	(क) शोध पत्र (3) मूल्यांकन (40%) (ख) संगठनात्मक कौशल / खेलों की आयोजना (30%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%)	(क) शोध पत्र (5) मूल्यांकन (50%) (ख) संगठनात्मक सतत् रूप से निरीक्षण की जाने वाली योजना (25%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (25%)

परिशिष्ट—तीन तालिका—छह

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा संवर्गों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और सेवा संबंधी अपेक्षाएं

क्रम संख्या	**सीएएस के माध्यम से शारीरिक शिक्षा संवर्गों की पदोन्नति**	**सेवा आवश्यकताएं (मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा यथा निर्धारित)**	**न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन आवश्यकताएं और छानबीन / चयन मानदण्ड**
1	सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा / महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा से सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ मान) / महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा	चरण 1 में सहायक नि.शा.शि. / महाविद्यालय नि.शा.शि. और पीएचडी के साथ चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंनें एम.फिल के साथ पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने पीएचडी / एमफिल के बिना छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(एक) तालिका पांच(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक (दो) 3 / 4 सप्ताह की अवधि का एक प्रबोधन और एक पुनश्चर्या / शोध प्रणाली पाठ्यक्रम (तीन) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया

	(वरिष्ठ मान) (चरण 1 से चरण 2)		
2	सहायक नि.शा.शि. (वरिष्ठ मान)/महाविद्यालय नि.शा.शि.(वरिष्ठ मान) से उप नि.शा.शि./सहायक नि.शा.शि.(सेलेक्शन ग्रेड)/महाविद्यालय नि.शा.शि.(सेलेक्शन ग्रेड) (चरण 2 से चरण 3)	चरण 2 में पांच वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक नि.शा.शि. (वरिष्ठ मान)/महाविद्यालय नि.शा.शि.(वरिष्ठ मान)	(एक) तालिका दो(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक (दो) पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों, प्रविधि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, शिक्षण–ज्ञानार्जन–मूल्यांकन तकनीक वृत्तियों, सरल कौशल विकास वृत्तियों और संकाय विकास वृत्तियों की श्रेणियों में से 2/3 सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यक्रम/वृत्ति (तीन) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
3	सहायक नि.शा.शि. (सेलेक्शन ग्रेड)/महाविद्यालय नि.शा.शि.(चयन ग्रेड) से उप नि.शा.शि./ महाविद्यालय नि.शा.शि. (चयन ग्रेड) (चरण 3 से चरण 4)	चरण 3 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक नि.शा.शि.(चयन ग्रेड)/महाविद्यालय नि.शा.शि.(चयन ग्रेड)	(एक) तालिका पांच(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक (दो) सहायक/महाविद्यालय नि.शा.शि. के तौर पर संपूर्ण अवधि (बारह वर्ष) में कम से कम तीन प्रकाशन। तथापि, महाविद्यालय नि.शा.शि. के मामले में एम.फिल धारकों को एक प्रकाशन और पीएचडी धारकों को दो प्रकाशनों की छूट प्रदान की जा सकती है। (तीन) टीमों/खिलाडियों को तैयार करने का प्रमाण (चार) विनियम और तालिका पांच (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया
4	विश्वविद्यालय नि.शा.शि. (चरण 5) (केवल विश्वविद्यालयों हेतु)	विश्वविद्यालयों में चरण 4 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले उप नि.शा.शि.	(एक) तालिका पांच(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक। न्यूनतम एपीआई अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षक दो आकलन अवधियों (चरण 2 और 3 में) को जोड़ सकते हैं, यदि आवश्यक हो। (दो) कार्मिक के चरण 3 में आने के बाद से कम से कम पांच प्रकाशन। (तीन) टीमों/खिलाडियों को तैयार करने का प्रमाण। (तीन) विनियम और तालिका पांच (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया

नोटः शिक्षकों हेतु सीएएस के लिए तालिका दो(क) हेतु उपलब्ध विवरणात्मक नोट इस संवर्ग हेतु विनिर्दिष्ट एपीआई अंकों के अनुसार शारीरिक निदेशक संवर्गों पर भी लागू है।

परिशिष्ट–तीनः तालिका सात

विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/उप पुस्तकालयध्यक्ष के लिए/और महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष के लिए वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) पदोन्नति हेतु तथा विश्वविद्यालयों में उप पुस्तकालयध्यक्षों की सीधी भर्ती हेतु अकादमिक प्रदर्शन संकेतांक (एपीआई)

पुस्तकालयध्यक्षों के विभिन्न स्तरों के लिए प्रत्यक्ष कार्य भार और अधिमान दिया जाए

	प्रति सप्ताह प्रत्यक्ष कार्य घंटे	अधिमान
सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष	40	100
उप पुस्तकालयध्यक्ष	36+4*	90
पुस्तकालयध्यक्ष	32+8*	80

पुस्तकालयध्यक्ष संवर्ग के स्व–आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित किया जाता है (क) पुस्तकालय संसाधनों का आयोजन और पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिर्पोटों, विकास, आयोजना और ई–संसाधनों का प्रबंधन उपयोगकर्ता जागरूकता और निर्देश वृत्ति; (ख) पुस्तकालय सेवाओं के उन्नयन हेतु आईसीटी और अन्य नई तकनीकों का उपयोग और (ग) अतिरिक्त सेवाएं जैसे अवकाश के दिनों में पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना, शेल्फ ऑर्डर का रख–रखाव, पुस्तकालय उपयोग पुस्तिका, भवन और बाहरी सदस्यता मानकों के माध्यम से बाहरी लोगों का संस्थागत पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना। इस श्रेणी

के पुस्तकालय कार्मिकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग—अलग हैं। स्व—आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए। इसे छानबीन सह मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

*** प्रशासनिक उत्तरदायित्वों, नवोन्मेश, सुविधाओं का उन्नयन, सेवा का विस्तार आदि के संबंध में उपयोग किए गए घंटे**

श्रेणी एकः खरीद, व्यवस्था और पुस्तकालय सेवाओं के माध्यम से ज्ञान और सूचना का परिदान

क्रियाकलाप की प्रकृति	सहायक निदेशक		उप निदेशक		निदेशक	
	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक
क. पुस्तकालय संसाधानों का आयोजन और पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिर्पोटों का रख—रखाव, पुस्तकालय पाठक—सेवाओं का प्रावधान, शोधार्थियों के साहित्य खोज सेवाएं और रिर्पोटों का विश्लेषण, रिर्पोटों, पुस्तिकाओं और संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी के साथ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विभागों के लिये सहायता का प्रावधान, क्रियाकलाप संबंधी जानकारी के साथ संस्थानिक वेबसाइट को अद्यतन करने और संस्थानिक समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन करने हेतु सहायता (40 अंक) ई—संसाधनों का विकास, व्यवस्था और प्रबंधन के साथ—साथ इंटरनेट पर उन तक पहुंच/इंटरनेट, पुस्तकालय संसाधनों का डिजिटलीकरण, सूचना का ई—परिदान आदि (15 अंक) उपयोगकर्ता जागरूकता और निर्देशन वृत्ति (प्रबोधन व्याख्यान, ओपेक, ज्ञान संसाधन, पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन करने जैसे उपयोगकर्ता प्रोत्साहन वृत्ति, अन्य नवीनतम पारस्परिक ज्ञानार्जन संसाधन आदि) (15 अंक)	70	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20	60	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20	55	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20
ख. पुस्तकालय सेवाओं का उन्नयन करने के लिए आईसीटी और नई तकनीकों जैसे कैटलॉग का ऑटोमेशन, ज्ञानार्जन संसाधनों की खरीद प्रणाली, सदस्यता रिकॉर्ड साहित परिचालन कार्यवाही, क्रमवार अंशदान प्रणाली,	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10

संदर्भ और सूचना सेवाएं, पुस्तकालय सुरक्षा (तकनीक आधारित तरीके जैसे आरएफआईडी और सीसीटीवी), पुस्तकालय प्रबंधन साधनों का विकास (साफ्टवेयर), इन्ट्रानेट प्रबंधन						
ग. अतिरिक्त सेवाएं जैसे अवकाश के दिनों में पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना, शेल्फ ऑर्डर का रख–रखाव, पुस्तकालय उपयोग पुस्तिका, भवन और बाहरी सदस्यता मानकों के माध्यम से बाहरी लोगों का संस्थागत पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10

श्रेणी दोः व्यावसायिक विकास, सह–पाठ्यक्रम और विस्तारण कियाकलाप

पुस्तकालयध्यक्ष संवर्ग के स्व–आकलन पर आधारित, श्रेणी दो एपीआई अंकों को सह–पाठ्यक्रम, विस्तारण कियाकलापों और व्यावसायिक विकास से संबंधित योगदानों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। पदोन्नति की पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम एपीआई 15 है। मदों और अंकों की एक सूची नीचे दी गई है। स्व–आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक पुस्तकालयध्यक्ष से उप–पुस्तकालयध्यक्ष तथा उप–पुस्तकालयध्यक्ष से पुस्तकालयध्यक्ष पद पर पदोन्नति हेतु तथा उप पुस्तकालयध्यक्ष और पुस्तकालयध्यक्ष के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।
नीचे दी गई नमूना तालिका में कियाकलापों और एपीआई अंकों के समूह दिये गये हैं। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

कियाकलाप की प्रकृति	**अधिकतम एपीआई अंक**	**वास्तविक अंक**
(क) छात्र संबंधी सह–पाठ्यक्रम, विस्तारण और क्षेत्र आधारित कियाकलाप (सांस्कृतिक आदान–प्रदान और पुस्तकालय सेवावृत्ति) (बाह्य और अंतर्संस्थानिक वृत्ति के विभिन्न स्तर), विस्तारण, विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से पुस्तकालय–साहित्यिक कार्य	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10
(ख) कॉर्पोरेट जीवन के प्रति योगदान और पुस्तकालय और प्रशासनिक समितियों तथा उत्तरदायित्वों में भागीदारी के माध्यम से पुस्तकालय इकाईयों और संस्था का प्रबंधन	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10
(ग) व्यावसायिक विकास कियाकलाप (यथा–संगोष्ठियों/सम्मेलनों, लघु अवधि के ई–पुस्तकालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और आयोजनों, चर्चा में भाग लेना, व्याख्यान, संघों की सदस्यता, प्रसार, और सामान्य लेख, जो नीचे श्रेणी तीन में शामिल न हो)	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10

श्रेणी–तीनः शोध और शैक्षिक योगदान

स्व–आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को शोध और खेल योगदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इस श्रेणी में जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग–अलग हैं। स्व–आकलन अंक सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक पुस्तकालयध्यक्ष से उप पुस्तकालयध्यक्ष तथा उप–पुस्तकालयध्यक्ष से पुस्तकालयध्यक्ष पद पर पदोन्नति हेतु तथा उप–पुस्तकालयध्यक्ष और पुस्तकालयध्यक्ष के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

श्रेणी	**कियाकलाप**	**विश्वविद्यालय/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष**	**अधिकतम अंक***
तीन(क)	शोध पत्रों का प्रकाशनः	वि.अ.आ. द्वारा यथा–अधिसूचित संदर्भित पत्रिकाएं	15 प्रति प्रकाशन

		वि.अ.आ. द्वारा यथा–अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं	10 प्रति प्रकाशन
तीन(ख)	पत्रिका लेखों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय)	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें	30 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा–चिन्हित राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विशय पुस्तकें अथवा राज्य/केन्द्र सरकार के प्रकाशन	20 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा–चिन्हित अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विशय पुस्तकें	15 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु
		वि.अ.आ. द्वारा यथा–चिन्हित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में अध्याय	अंतर्राष्ट्रीय–10 प्रति अध्याय राष्ट्रीय– 5 प्रति अध्याय
तीन (ग)	शोध परियोजनाएं		
तीन(ग) (एक)	प्रायोजित परियोजनाएं	(क) 5.0 लाख रू. से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	20 प्रति परियोजना
		(ख) 3.0 लाख रू. से 5.0 लाख रू. तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	15 प्रति परियोजना
		(ग) 1.0 लाख रू. से 3.0 लाख रू. तक वाली लघु परियोजनाएं	10 प्रति परियोजना
तीन(ग) (दो)	परामर्श हेतु परियोजनाएं	न्यूनतम 20.0 लाख रू. की राशि को संघटित करना	10 प्रत्येक 2.0 लाख रू. हेतु
तीन(ग) (तीन)	परियोजना परिणाम/निष्कर्ष	केन्द्र/राज्य सरकार के निकायों के प्रमुख नीति दस्तावेज तैयार करना	30 प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय/20 प्रत्येक राष्ट्रीय नीति दस्तावेज हेतु
तीन(घ)	शोध मार्गदर्शन		
तीन(घ) (एक)	एम.फिल	उपाधि प्रदान की गई	5 प्रति उम्मीदवार
तीन(घ) (दो)	पीएचडी	उपाधि प्रदान की गई	15 प्रति उम्मीदवार
		शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया	10 प्रति उम्मीदवार
तीन(ड.)	अध्येतावृति, पुरस्कार और सम्मेलनों/संगोष्ठियों में दिए गए आमंत्रण व्याख्यान/प्रस्तुत किए गए पत्र		
तीन(ड.) (एक)	पुरस्कार/अध्येतावृति	सरकारी/प्रतिष्ठित संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृति	15 प्रति पुरस्कार/15 प्रति अध्येतावृति
	पुरस्कार/अध्येतावृति	सरकारी/प्रतिष्ठित संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृति	10 प्रति पुरस्कार/10 प्रति अध्येतावृति
	पुरस्कार	सरकारी/प्रतिष्ठित संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृति	5 प्रति पुरस्कार
तीन(ड.) (दो)	आमंत्रण व्याख्यान/प्रस्तुत पत्र	अंतर्राष्ट्रीय	7 प्रति व्याख्यान/ 5 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राष्ट्रीय स्तरीय	5 प्रति व्याख्यान/ 3 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राज्य/विश्वविद्यालय स्तरीय	3 प्रति व्याख्यान/ 2 प्रति प्रस्तुत पत्र
	इस उप–श्रेणी के अंतर्गत अंकों को किसी भी आकलन अवधि हेतु श्रेणी तीन के लिए निर्धारित न्यूनतम के 20 तक सीमित कर दिया जाएगा।		
तीन (ड)(तीन)	ई–परिदान प्रक्रिया /सामग्री का विकास		

* जहां कहीं भी प्रासंगिक हो, संदर्भित पत्रिकाओं में पत्र हेतु एपीआई अंकों निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा:(एक) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र– 5 अंकों द्वारा (दो)1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 10 अंकों द्वारा (तीन) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 15 अंकों द्वारा (चार) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 20 अंकों द्वारा रू(पांच) 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र– 25 अंकों द्वारा। संयुक्त प्रकाशनों हेतु एपीआई की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की प्रासंगिक श्रेणी हेतु कुल अंकों के, प्रथम और प्रमुख/यही लेखक/पर्यवेक्षक/शिक्षक के मार्गदर्षक कुल अंकों के 70% को बराबर रूप से साझा करेंगे और शेष 30% बाकी अन्य लेखकों द्वारा बराबर रूप से साझा किए जाएंगे।

परिशिष्ट–तीन तालिका–आठ (क)

विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष और उप–पुस्तकालयध्यक्ष की वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) पदोन्नति हेतु न्यूनतम एपीआई और चयन समितियों में विशेषज्ञ आकलन हेतु अधिमान

श्रेणी	क्रियाकलाप	सहायक / महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 1 से चरण 2)	सहायक / महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 2 से चरण 3)	सहायक / महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 3) से उप / महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 4)	उप पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 4) से पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 5)
एक	खरीद, व्यवस्था और पुस्तकालय सेवाओं के माध्यम से ज्ञान और सूचना का परिदान	80 / वर्ष	80 / वर्ष	75 / वर्ष	70 / वर्ष
दो	व्यावसायिक विकास और विस्तारण कियाकलाप–न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	50 / आकलन अवधि	50 / आकलन अवधि	50 / आकलन अवधि	50 / आकलन अवधि
तीन	शोध और शैक्षिक योगदान– न्यूनतम आवश्यक अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	20 / आकलन अवधि	50 / आकलन अवधि	75 / आकलन अवधि	100 / आकलन अवधि
दो . तीन	श्रेणी दो और तीन के अंतर्गत न्यूनतम कुल एपीआई अंक*	90 / आकलन अवधि	120 / आकलन अवधि	150 / आकलन अवधि	180 / आकलन अवधि
चार	विशेषज्ञ आकलन प्रणाली	छानबीन सह आकलन समिति	छानबीन सह आकलन समिति	चयन समिति	चयन समिति
पांच	विशेषज्ञ आकलन में अधिमान अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल अधिमान¾ 100। न्यूनतम 50 अंक अनिवार्य)	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	30% पुस्तकालय संबंधी शोध पत्रों का मूल्यांकन 50% पुस्तकालय स्वचालन संबंधी वि"ाय क्षेत्र के ज्ञान और संगठनात्मक कौशल का आकलन 20: साक्षात्कार प्रदर्शन	50% पुस्तकालय प्रकाशन कार्य 30% नवोन्मेशी पुस्तकालय सेवा और डिजिटल पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था का आकलन 20: साक्षात्कार प्रदर्शन

*** श्रेणी दो तीन के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए श्रेणी दो अथवा श्रेणी तीन किसी से भी अंकों का शेष प्राप्त कर सकते हैं।**

परिशिष्ट—तीन तालिका—आठ (ख)

विश्वविद्यालय विभागों/महाविद्यालयों में पुस्तकालयध्यक्ष के पदों की सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एपीआई और अन्य मानक तथा विनियम में वर्णित अन्य विनिर्दिष्ट पात्रता योग्यताओं के साथ अधिमानों पर चयन समितियों में विचार किया जाना

न्यूनतम मानक/मानदण्ड	सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 1)	विश्वविद्यालयों में उप पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 4)	पुस्तकालयध्यक्ष (केवल विश्वविद्यालय) (चरण 5)
न्यूनतम एपीआई अंक (शोध और अकादमिक योगदान—श्रेणी तीन)	विनियमों में यथा—वर्णित न्यूनतम योग्यता	एपीआई की श्रेणी दो और तीन से 300 अंकों के कुल एपीआई अंकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)	एपीआई की श्रेणी दो और तीन से 400 अंकों के कुल एपीआई अंकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)
चयन समिति मानदण्ड/अधिमान (कुल अधिमानत्र 100)	(क) एक व्याख्यान प्रदर्शन द्वारा शिक्षण/कंप्यूटर और संपर्क कौशल (50%) (ख) पुस्तकालय प्रबंधन कौशल (20%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%)	(क) पुस्तकालय संबंधी शोध/विषय पत्र (3) मूल्यांकन (50%) (ख) पुस्तकालय ऑटोमेशन कौशल और संगठनात्मक योजनाएं (20%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%)	(क) पुस्तकालय शोध पत्र (5) मूल्यांकन (60%) (ख) नवोन्मेशी पुस्तकालय सेवाओं का संगठनात्मक ट्रैक रिकॉर्ड और विजन योजना (20%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (25%)

परिशिष्ट—तीन तालिका—नौ

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और सेवा संबंधी अपेक्षाएं

कम संख्या	सीएएस के माध्यम से पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों की पदोन्नति	सेवा आवश्यकताएं (मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा यथा—निर्धारित)	न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन आवश्यकताएं और छानबीन /चयन मानदण्ड
1	सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष से सहायक पुस्तकालयध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (वरिष्ठ मान) (चरण 1 से चरण 2)	चरण 1 में सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष और पीएचडी के साथ चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंनें एम.फिल के साथ पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने पीएचडी/एमफिल के बिना छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(एक) परिशिष्ट तीन की तालिका आठ(क) में विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों और महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों हेतु दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम एपीआई अंक (दो) 3/4 सप्ताह की अवधि का एक प्रबोधन और एक पुनष्चर्या पाठ्यक्रम (तीन) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
2	सहायक पुस्तकालयध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) से सहायक पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड)/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड) (चरण 2 से चरण 3)	चरण 2 में पांच वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक पुस्तकालयध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)	(एक) परिशिष्ट तीन की तालिका आठ(क) में विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों और महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों हेतु दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम एपीआई अंक (दो) साथ ही, आकलन अवधि के दौरान न्यूनतम 3 से 4 सप्ताह अवधि के दो पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो। (तीन) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
3	सहायक पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड)/महाविद्यालय	चरण 3 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड)/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चयन	(एक) परिशिष्ट तीन की तालिका आठ(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का

	पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड) से उप पुस्तकालयध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड) (चरण 3 से चरण 4)	ग्रेड)	उपयोग कर न्यूनतम एपीआई अंक। बारह वर्ष में कम से कम तीन प्रकाशन। महाविद्यालयों में एम. फिल धारकों को एक प्रकाशन और पीएचडी धारकों को दो प्रकाशनों की छूट प्रदान की जा सकती है। (तीन) साथ ही, पुस्तकालय ऑटोमेशन/अकादमिक प्रलेखीकरण हेतु विश्लेषणात्मक साधन विकास की श्रेणियों में एक पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण (चार) विनियम और तालिका आठ (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया

4	विश्वविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 5) (केवल विश्वविद्यालयों हेतु)	विश्वविद्यालयों में चरण 4 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले उप–पुस्तकालयध्यक्ष	(एक) तालिका आठ(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक। न्यूनतम एपीआई अंक प्राप्त करने के लिए पुस्तकालयध्यक्ष दो आकलन अवधियों (चरण 3 और 4 में) को जोड़ सकते हैं, यदि आवश्यक हो। (दो) कार्मिक के चरण 3 में आने के बाद से कम से कम पांच प्रकाशन। (तीन) नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं और प्रकाशित कार्य की आयोजना का प्रमाण। (तीन) विनियम और तालिका आठ (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया

नोटः शिक्षकों हेतु सीएएस के लिए तालिका दो(क) हेतु उपलब्ध विवरणात्मक नोट इस संवर्ग हेतु विनिर्दिष्ट एपीआई अंकों के अनुसार पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों के पर भी लागू है।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2016

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION ON MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION) (3RD AMENDMENT), REGULATIONS, 2016.

No.F.1-2/2016 (PS/Amendment).—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby frames the following Regulations to amend the University Grants Commission on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education, Regulations, 2010, namely: -

2. Short title, application and commencement:

2.1 These Regulations may be called the University Grants Commission on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education (3rd Amendment), Regulations, 2016.

2.2 They shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every institution including a constituent or an affiliated college recognized by the Commission, in consultation with the university concerned under Clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and every institution deemed to be a university under Section 3 of the said Act.

2.3 They shall come into force with immediate effect.

3. In the University Grants Commission on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher Education, Regulations, 2010 (Principal Regulation 2010) the following amendments are made: -

Existing provisions of the following clauses of the Principal UGC Regulations 2010	**Amendments made in the following clauses of Principal UGC Regulations 2010**
3.0.0. Recruitment and Qualifications **3.1.0** The direct recruitment to the posts of Assistant Professors, Associate Professors and Professors in the Universities and Colleges shall be on the basis of merit through all India advertisement and selections by the duly constituted Selection Committees as per the provisions made under these Regulations to be incorporated under the Statutes/Ordinances of the concerned university. The composition of such committees should be as prescribed by the UGC in these Regulations. **3.2.0** The minimum qualifications required for the post of Assistant Professors, Associate Professors, Professors, Principals, Assistant Directors of Physical Education and Sports, Deputy Directors of Physical Education and Sports, Directors of Physical Education and Sports, Assistant Librarians, Deputy Librarians, Librarians will be those as prescribed by the UGC in these Regulations. **3.3.0** The minimum requirements of a good academic record, 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the master's level and qualifying in the National Eligibility Test (NET), or an accredited test (State Level Eligibility Test - SLET/SET), shall remain for the appointment of Assistant Professors. **3.3.1**. NET/SLET/SET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Assistant Professors in Universities / Colleges / Institutions : *Provided* however, that candidates, who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions.	**3.0.0. Recruitment and Qualifications** **3.1.0** The direct recruitment to the posts of Assistant Professors, Associate Professors and Professors in the Universities and Colleges shall be on the basis of merit through all India advertisement and selections by the duly constituted Selection Committees as per the provisions made under these Regulations to be incorporated under the Statutes/Ordinances of the concerned university. The composition of such committees should be as prescribed by the UGC in these Regulations. **3.2.0** The minimum qualifications required for the post of Assistant Professors, Associate Professors, Professors, Principals, Assistant Directors of Physical Education and Sports, Deputy Directors of Physical Education and Sports, Directors of Physical Education and Sports, Assistant Librarians, Deputy Librarians, Librarians will be those as prescribed by the UGC in these Regulations. **3.3.0** The minimum requirements of a good academic record, 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the master's level and qualifying in the National Eligibility Test (NET), or an accredited test (State Level Eligibility Test - SLET/SET), shall remain for the appointment of Assistant Professors. **3.3.1**. NET/SLET/SET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Assistant Professors in Universities/Colleges/ Institutions : *Provided* however, that candidates, who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions. **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ By laws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** (a) **Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** (b) **Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** (c) **Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** (d) **The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** (e) **Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.** **(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-**

	Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)”
3.3.2 NET/SLET/SET shall not be required for such Masters Degree Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET accredited test is not conducted.	**3.3.2** NET/SLET/SET shall not be required for such Masters Degree Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET accredited test is not conducted.
3.4.0 A minimum of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) will be required at the Master’s level for those recruited as teachers at any level from industries and research institutions and at the entry level of Assistant Professors, Assistant Librarians, Assistant Directors of Physical Education and Sports.	**3.4.0** A minimum of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) will be required at the Master’s level for those recruited as teachers at any level from industries and research institutions and at the entry level of Assistant Professors, Assistant Librarians, Assistant Directors of Physical Education and Sports.
3.4.1 A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master’s level for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe /Differently-abled (Physically and visually differently-abled) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.	**3.4.1** A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master’s level for the Scheduled Caste /Scheduled Tribe /Differently-abled (Physically and visually differently-abled) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.
3.5.0 A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master’s Degree prior to 19 September, 1991.	**3.5.0** A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master’s Degree prior to 19 September, 1991.
3.6.0 Relevant grade which is regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed by a recognized university shall also be considered eligible.	**3.6.0** Relevant grade which is regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed by a recognized university shall also be considered eligible.
3.7.0 The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for the appointment of Professors and for promotion as Professors.	**3.7.0** The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for the appointment of Professors and for promotion as Professors.
3.8.0 The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for all candidates to be appointed as Associate Professor through direct recruitment.	**3.8.0** The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for all candidates to be appointed as Associate Professor through direct recruitment.
3.9.0. The period of time taken by candidates to acquire M.Phil. and/or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching/ research experience to be claimed for appointment to the teaching positions.	**3.9.0.** The period of time taken by candidates to acquire M.Phil. and/or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching/ research experience to be claimed for appointment to the teaching positions.
4.4.0 ASSISTANT PROFESSOR **4.4.1. Arts, Humanities, Sciences, Social Sciences, Commerce, Education, Languages, Law, Journalism and Mass Communication.** i. Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master’s Degree level in a relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.	**4.4.0 ASSISTANT PROFESSOR** **4.4.1. Arts, Humanities, Sciences, Social Sciences, Commerce, Education, Languages, Law, Journalism and Mass Communication.** i. Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master’s Degree level in a relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.
ii. Besides fulfilling the above qualifications, the	ii. Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) for

candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET. iii. Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.1, candidates, who are, or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities /Colleges / Institutions. iv. NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted.	Lecturer/Assistant Professor conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET. iii. Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.1, candidates, who are, or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities /Colleges / Institutions. **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ By laws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** **(a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** **(b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** **(c) Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** **(d) The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** **(e) Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.** **(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)"** (iv). NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted.
4.4.2. MUSIC, PERFORMING ARTS, VISUAL ARTS AND OTHER TRADITIONAL INDIAN ART FORMS LIKE SCULPTURE, ETC. 4.4.2.1. MUSIC AND DANCE DISCIPLINE 1. ASSISTANT PROFESSOR: i. Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University. ii. Besides fulfilling the above qualifications, candidates must have cleared the National Eligibility Test (NET) for lecturers conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC. Notwithstanding anything	**4.4.2. MUSIC, PERFORMING ARTS, VISUAL ARTS AND OTHER TRADITIONAL INDIAN ART FORMS LIKE SCULPTURE, ETC.** 4.4.2.1. MUSIC AND DANCE DISCIPLINE 1. ASSISTANT PROFESSOR: i. Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University. ii. Besides fulfilling the above qualifications, candidates must have cleared the National Eligibility Test (NET) for lecturers/Assistant Professor conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC. Notwithstanding anything contained in the sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.2.1,

contained in the sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.2.1, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges /Institutions. iii. NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted. **OR** i. A traditional and a professional artist with highly commendable professional in the concerned subject, who should have: (a) Studied under noted/reputed traditional masters and has thorough knowledge to explain the subject concerned; (b) A high grade artist of AIR/TV; and (c) Ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in that discipline.	candidates, who are, or have been awarded Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges /Institutions. **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ Bylaws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** **(a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** **(b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** **(c) Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** **(d) The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** **(e) Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.** **(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)"** iii. NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted. **OR** i. A traditional and a professional artist with highly commendable professional achievement in the concerned subject, who should have: (a) Studied under noted/reputed traditional masters and has thorough knowledge to explain the subject concerned; (b) A high grade artist of AIR/TV; and (c) Ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in that discipline.
4.4.2.2. DRAMA DISCIPLINE: 1. ASSISTANT PROFESSOR: i. Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University. ii. Besides fulfilling the above qualifications, candidates must have cleared the National Eligibility Test (NET)	**4.4.2.2. DRAMA DISCIPLINE:** 1. ASSISTANT PROFESSOR: i. Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University. ii. Besides fulfilling the above qualifications, candidates must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC.

conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC. However, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions. iii. Without prejudice to the above, NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted. **OR** iv. A traditional and a professional artist with highly commendable professional achievement in the concerned subject, who should be or have: 1. A professional artist with first class degree/diploma from National School of Drama or any other such approved Institution in India or abroad; 2. Five years of regular acclaimed performance in regional/ national/ international stage with evidence; and 3. Ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in said discipline.	However, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions. **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ Bylaws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of “NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** (a) **Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** (b) **Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** (c) **Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** (d) **The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** (e) **Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.** **(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)”** iii. Without prejudice to the above, NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted. **OR** iv. A traditional and a professional artist with highly commendable professional achievement in the concerned subject, who should be or have: 1. A professional artist with first class degree/diploma from National School of Drama or any other such approved Institution in India or abroad; 2. Five years of regular acclaimed performance in regional/ national/international stage with evidence; and 3. Ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in said discipline.
4.4.2.3. VISUAL (FINE) ARTS DISCIPLINE 1. ASSISTANT PROFESSOR: i. Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master’s degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University. ii. Besides fulfilling the above qualifications, candidates	**4.4.2.3. VISUAL (FINE) ARTS DISCIPLINE** **1**. ASSISTANT PROFESSOR**:** i. Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master’s degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University. ii. Besides fulfilling the above qualifications, candidates must

must have cleared the National Eligibility Test (NET) for lecturers conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC. Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.2.3, candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. Degree, in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions.	have cleared the National Eligibility Test (NET) for lecturers/Assistant Professor conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC. Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.2.3, candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. Degree, in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions. **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ By laws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** **(a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** **(b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** **(c) Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** **(d) The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** **(e) Open Ph.D. viva voce of the candidate had been conducted.** **(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)"**
iii. Without prejudice to the above, NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted. **OR** i. A Professional artist with highly commendable professional achievement in the concerned subject, who should have: 1. First class Diploma in Visual (Fine) arts discipline from the recognized Institution of India/Abroad; 2. Five years of experience of holding regular regional/National exhibitions Workshops with evidence; and 3. Ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in that discipline.	iii. Without prejudice to the above, NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted. **OR** i. A Professional artist with highly commendable professional achievement in the concerned subject, who should have: 1. First class Diploma in Visual (Fine) arts discipline from the recognized Institution of India/Abroad; 2. Five years of experience of holding regular regional/National exhibitions/Workshops with evidence; and 3. Ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in that discipline.

4.5.3 UNIVERSITY ASSISTANT LIBRARIAN / COLLEGE LIBRARIAN i. A Master's Degree in Library Science / Information Science / Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and a consistently good academic record with knowledge of computerization of library. ii. Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. iii. However, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of University Assistant Director of Physical Education/ College Director of Physical Education & Sports.	**4.5.3 UNIVERSITY ASSISTANT LIBRARIAN / COLLEGE LIBRARIAN** i. A Master's Degree in Library Science/Information Science/Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and a consistently good academic record with knowledge of computerization of library. ii. Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. iii. However, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of **University Assistant Librarian/College Librarian** **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ By laws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** **(a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** **(b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** **(c) Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** **(d) The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** **(e) Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.** **(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)"**
4.6.3. University Assistant Director of Physical Education / College Director of Physical Education and Sports i. A Master's Degree in Physical Education or Master's Degree in Sports Science with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) with a consistently good academic record. ii. Record of having represented the university / college at the inter-university /inter-collegiate competitions or the State and/ or national championships. iii. Qualifying in the national level test conducted for the	**4.6.3. University Assistant Director of Physical Education / College Director of Physical Education and Sports** i. A Master's Degree in Physical Education or Master's Degree in Sports Science with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) with a consistently good academic record. ii. Record of having represented the university / college at the inter-university /inter-collegiate competitions or the State and/ or national championships. iii. Qualifying in the national level test conducted for the

purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. iv. Passed the physical fitness test conducted in accordance with these Regulations. v. However, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of University Assistant Director of Physical Education / College Director of Physical Education & Sports.	purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. iv. Passed the physical fitness test conducted in accordance with these Regulations. v. However, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC,shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of University Assistant Director of Physical Education/College Director Physical Education & Sports. **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ By laws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** **(a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** **(b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** **(c) Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** **(d) The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** **(e) Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.** **(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)"**

4. The existing Tables I to IX under **Appendix-III** of the University Grants Commission Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education, 2010 (Principal Regulations) and its amendment, 2013 (2nd Amendment) regarding computation of API Score for appointment and promotion of teachers and other academic staff in the Universities/Colleges/Institutions shall stand amended and be substituted by the revised Tables I to IX appended to these 3rd Amendment Regulations.

Prof. JASPAL SINGH SANDHU, Secy.
[ADVT. III/4/Exty./78(138)]

APPENDIX – III: TABLE I

ACADEMIC PERFORMANCE INDICATORS (API) FOR CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTIONS FOR ASSISTANT PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR, AND PROFESSOR AND FOR DIRECT RECRUITMENT OF ASSOCIATE PROFESSOR AND PROFESSOR IN UNIVERSITIES AND COLLEGES. Direct Teaching work load and weightage to be given to different levels of Teachers

	Direct Teaching Hours per week	Weightage
Assistant Professor	18+6*	100
Associate Professor	16+6*	90
Professor	14+6*	80

Based on the teacher's self-assessment, API scores are proposed for (a) teaching related activities; domain knowledge; (b) participation in examination and evaluation; (c) contribution to innovative teaching, new courses etc. and (d) student feedback. The minimum API score required by teachers from this category is different for different levels of promotion. The self assessment score should be based on objectively verifiable criteria. It shall be finalized by the screening cum evaluation / selection committee. Universities may detail the activities, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API scores required under this category.

CATEGORY I: TEACHING, LEARNING AND EVALUATION RELATED ACTIVITIES

Category	**Nature of Activity**	**Assistant Professor**		**Associate Professor**		**Professor**	
		Max. Score	Actual Score	Max. Score	Actual Score	Max. Score	Actual Score
I	a. Lectures - Classroom Teaching (including Lectures in excess of UGC norms)	60	Actual hours spent per academic year ÷10	50	Actual hours spent per academic year ÷10	45	Actual hours spent per academic year ÷10
	b. Examinations duties (question paper setting, Invigilation, evaluation of answer scripts) as per allotment	20	Actual hours spent per academic year ÷10	15	Actual hours spent per academic year ÷10	10	Actual hours spent per academic year ÷10
	c. Innovative Teaching - learning methodologies, updating of subject contents / courses etc.	10	Actual hours spent per academic year ÷10	15	Actual hours spent per academic year ÷10	15	Actual hours spent per academic year ÷10
	d. Students Feedback (Students who have put in at least 75% attendance per course are eligible to give feed back)	10	Outstanding 10 Very Good 8 Good 6 Average 4 Below Average 0	10	Outstanding 10 Very Good 8 Good 6 Average 4 Below Average 0	10	Outstanding 10 Very Good 8 Good 6 Average 4 Below Average 0

***Note: 1**. 18/16/14 hours per week include the Lectures / Practicals / Project Supervision. Two hours of Practicals / project supervision be treated as equivalent to one hour of lecture. Those teachers who supervise the research of five or more Ph.D. students at a time may be allowed a reduction of Two hours per week in direct teaching hours.

2. 6 hours per week include the hours spent on tutorials, remedial classes, seminars, administrative responsibilities, innovation and updating of course contents.

3. Hours spent on examination duties such as invigilation, question paper setting, valuation of answer scripts and tabulation of results are over and above the prescribed direct teaching hours and are an integral part of overall teaching work load of 40 hours per week.

4. Lectures allocation to add up to the UGC norm for particular category of teacher. University may prescribe minimum cut-off, say 75%, below which no scores may be assigned in these sub-categories

CATEGORY II: PROFESSIONAL DEVELOPMENT, CO-CURRICULAR AND EXTENSION ACTIVITIES

Based on the teacher's self-assessment, Category II API scores are proposed for Professional development, co-curricular and extension activities; and related contributions. The minimum API required by teachers for eligibility for promotion is fixed Table II A. A list of items and scores is given below. The self-assessment score should be based on objectively verifiable criteria and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Professor to higher grades and selection committee for the promotion of Assistant Professor to Associate Professor and Associate Professor to Professor and for direct recruitment of Associate Professor and Professor.

The model table below gives groups of activities and API scores. Universities may detail the activities or, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API score required under this category.

Category II	Nature of Activity	Maximum API Score	Actual score
a.	Student related co-curricular, extension and field based activities. (i) Discipline related co-curricular activities (e.g. field work, study visit, student seminar and other events, career counseling etc.) (ii) Other co-curricular activities (Cultural, Sports, NSS, NCC etc.) (iii) Extension and dissemination activities (public /popular lectures/talks/seminars etc.)	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10
b.	Contribution to Corporate life and management of the department and institution through participation in academic and administrative committees and responsibilities. (i). Administrative responsibility (including as Dean / Principal/Chairperson/ Convener / Teacher-in-charge/similar other duties that require regular office hrs for its discharge) (ii). Participation in Board of Studies, Academic and Administrative Committees.	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10
c.	Professional Development activities (such as participation in seminars, conferences, short term training courses, industrial experience, talks, lectures in refresher / faculty development courses, membership of associations, dissemination and general articles and any other contribution)	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10

CATEGORY-III: RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS

Based on the teacher's self-assessment, API scores are proposed for research and academic contributions. The minimum API scores required for teachers from this category are different for different levels of promotion in universities and colleges. The self-assessment score shall be based on verifiable criteria and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Professor to higher grades and Selection Committee for the promotion of Assistant Professor to Associate Professor and Associate Professor to Professor and for direct recruitment of Associate Professor and Professor.

Category	Activity	Sciences / Engineering / Agriculture / Medical / Veterinary Sciences	Faculties of Languages / Humanities / Arts / Social Sciences / Library / Physical education / Management	Maximum score for University / College teacher*
III (A)	Research Papers published in:	Refereed Journals as notified by the UGC	Refereed Journals as notified by the UGC	15 per Publication
		Other Reputed Journals as notified by the UGC	Other Reputed Journals as notified by the UGC	10 per Publication
III (B)	Publications other than journal articles (books, chapters in books)	Text/Reference Books by International Publishers as notified by the UGC	Text/Reference Books by International Publishers as notified by the UGC	30 per Book for Single Author
		Subject Books by National level publishers as identified by the UGC or State / Central Govt. Publications	Subject Books by National level publishers as identified by the UGC or State / Central Govt. Publications	20 per Book for Single Author
		Subject Books by Other local publishers as identified by the UGC	Subject Books by Other local publishers as identified by the UGC	15 per Book for Single Author
		Chapters in Books published by National and International level publishers as identified by the UGC	Chapters in Books published by National and International level publishers identified by the UGC	International –10 per Chapter National – 5 per Ch
III (C)	RESEARCH PROJECTS			
III (C) (i)	Sponsored Projects	(a) Major Projects with grants above Rs. 30.0 lakhs	Major Projects with grants above Rs. 5.0 lakhs	20 per Project
		(b) Major Projects with grants above Rs. 5.0 lakhs up to Rs. 30.0 lakhs	Major Projects with grants above Rs. 3.0 lakhs up to Rs. 5.0 lakhs	15 per Project
		(c) Minor Projects with grants above Rs. 1.00 lakh up to Rs. 5 lakhs	Minor Projects with grants above Rs. 1.0 lakh up to Rs. 3 lakhs	10 per Project

III (C) (ii)	Consultancy Projects	Amount mobilized with a minimum of Rs.10.00 lakhs	Amount mobilized with a minimum of Rs. 2.0 lakhs	10 for every Rs.10.0 lakhs and Rs.2.0 lakhs, respectively
III (C) (iii)	Projects Outcome / Outputs	Patent / Technology transfer / Product / Process	Major Policy document of Central / State Govt. Bodies prepared	30 for each International / 20 for each for national level output or patent or major policy document

III (D)	RESEARCH GUIDANCE			
III(D)(i)	M.Phil.	Degree awarded	Degree awarded	5 per candidate
III(D) (ii)	Ph.D.	Degree awarded	Degree awarded	15 per candidate
		Thesis submitted	Thesis submitted	10 per candidate
III E	Fellowships, Awards and Invited lectures delivered in conferences / seminars			
III(E) (i)	International Award/Fellowship		International Award / Fellowship	15 per Award / 15 per Fellowship
	National Award/Fellowship		National Award/Fellowship	10 per Award / 10 per Fellowship
	State/University level Award		State/University level Award	5 Per Award
III(E) (ii)	Invited lectures / papers	International	International	7 per lecture / 5 per paper presented
		National level	National level	5 per lecture / 3 per paper presented
		State/University level	State/University level	3 per lecture / 2 per paper presented
	The score under this sub-category shall be restricted to 20% of the minimum fixed for Category III for any assessment period			
III(F)	Development of e-learning delivery process/material			10 per module

* Wherever relevant to any specific discipline, the API score for paper in refereed journal would be augmented as follows: (i) paper with impact factor less than 1 - by 5 points; (ii) papers with impact factor between 1 and 2 by 10 points; (iii) papers with impact factor between 2 and 5 by 15 points; (iv) papers with impact factor between 5 and 10 by 20 points: (v) papers with impact factor above 10 by 25 points. The API for joint publications shall be calculated in the following manner: Of the total score for the relevant category of publication by the concerned teacher, the First and Principal / corresponding author /supervisor / mentor would share equally 70% of the total points and the remaining 30% would be shared equally by all other authors.

APPENDIX - III TABLE - II (A)

MINIMUM APIS AS PROVIDED IN APPENDIX - III TABLE I TO BE APPLIED FOR THE PROMOTION OF TEACHERS UNDER CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) IN UNIVERSITY DEPARTMENTS AND COLLEGES, AND WEIGHTAGES FOR EXPERT ASSESSMENT

Category	**Activity**	**Assistant Professor / equivalent cadres: (Stage 1 to Stage 2)**	**Assistant Professor / equivalent cadres: (Stage 2 to Stage 3)**	**Assistant Professor (Stage 3) to Assoc. Professor/equivalent cadres (Stage 4)**	**Associate Professor (Stage 4) to Professor /equivalent cadres (Stage 5)**	**Professor (Stage 5) to Professor (Stage 6)**
I	Teaching-learning, Evaluation Related Activities	80/Year	80/year	75/year	70/year	70/year
II	Professional Development and Extension activities - Minimum score required to be assessed	50 / Assessment period	50 / Assessment period	50 / Assessment period	50 / Assessment period	100 / Assessment period

	cumulatively					
III	Research and Academic Contributions- Minimum Score required - to be assessed cumulatively	20 / Assessment period	50 / Assessment period)	75 / Assessment period	100 / Assessment period	400 / Assessment period
II + III	Minimum total API score under Categories II and III*	90 / Assessment period	120 / Assessment period)	150 / Assessment period	180 / Assessment period	600 / Assessment period
IV	Expert Assessment System	Screening cum evaluation committee	Screening cum evaluation committee	Selection Committee	Selection Committee	Expert Committee
V	Percentage Distribution of Weightage Points in the Expert Assessment (Total weightage = 100. Minimum required for promotion is 50)	No separate points. Screening committee to verify API scores	No separate points. Screening Committee to verify API scores	30% - Research Contribution 50% - Assessment of domain knowledge & teaching practices. 20% - Interview performance	50% - Research Contribution. 30% - Assessment of domain knowledge & teaching practices. 20 % - Interview performance	50% - Research Contribution. 50%- Performance evaluation and other credential by referral procedure

* Teachers may score the balance of points from either Category II or Category III to achieve the minimum score required under Category II + III.

APPENDIX - III TABLE - II(B)

Minimum Scores for APIs for direct recruitment of teachers in university departments / Colleges and weightages in Selection Committees to be considered along with other specified eligibility qualifications stipulated in the Regulation.

	Assistant Professor (Stage 1)	Associate Professor (Stage 4)	Professor (Stage 5)
Minimum API Scores	Minimum Qualification as stipulated in these regulations	Consolidated API score requirement of 300 points from categories II & III of APIs (cumulative)	Consolidated API score requirement of 400 points from categories II & III of APIs (cumulative)
Selection Committee criteria / weightages (Total Weightages = 100)	(a) Academic Record and Research Performance (50%) (b) Assessment of Domain Knowledge & Teaching Skills (30%) (c) Interview performance (20%)	(a) Academic Background (20%) (b) Research performance based on API score and quality of publications (40%) (c) Assessment of Domain Knowledge and Teaching Skills (20%) (d) Interview performance: (20%)	(a) Academic Background (20%) (b) Research performance based on API score and quality of publications (40%). (c) Assessment of Domain knowledge and Teaching Skills (20%). (d) Interview performance:(20%)

APPENDIX-III - TABLE: III

MINIMUM ACADEMIC PERFORMANCE AND SERVICE REQUIREMENTS FOR PROMOTION OF TEACHERS IN UNIVERSITIES AND COLLEGES

S.No.	Promotion of Teachers through CAS	Service requirement	Minimum Academic Performance Requirements and Screening/Selection Criteria
1	Assistant Professor/ equivalent cadres from Stage 1 to Stage 2	Assistant Professor in Stage 1 and completed four years of service with Ph.D. or five years of service who are with M.Phil / PG Degree in Professional Courses such as LLM, M.Tech, M.V.Sc., M.D., or six years of service who are without Ph.D/ M.Phil / PG Degree in Professional courses	(i) Minimum cumulative API scores using PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table II (A). (ii) One Orientation and one Refresher / Research Methodology Course of 2/3 weeks duration. (i) Screening cum Verification process for recommending promotion.
2.	Assistant Professor/ equivalent cadres from Stage 2 to Stage 3	Assistant Professor with completed service of five years in Stage 2.	(i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table II(A) (ii) One course / programme from among the categories of refresher courses, methodology workshops, Training, Teaching-Learning-Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of 2/3 week duration. (iii) Screening cum Verification process for recommending promotion.
3.	Assistant Professor (Stage 3) to Associate Professor (Stage 4)	Assistant Professors with three years of completed service in Stage 3.	(i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table II (A). (ii) At least three publications in the entire period as Assistant Professor (twelve years). However, in the case of College teachers, an exemption of one publication may be given to M. Phil. holders and an exemption of two publications may be given to Ph. D. holders. (iii) One course / programme from among the categories of methodology workshops, Training, Teaching-Learning - Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration. (iv) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Tables II(A).
4.	Associate Professor (Stage 4) to Professor (Stage 5)	Associate Professor with three years of completed service in Stage 4.	(i)Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table II (A). Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii)A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in stage 3. (iii) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Tables II (A).
5.	Professor (Stage 5) to Professor (Stage 6).	Professor with ten years of completed service (universities only)	(i) Minimum cumulative API scores for the assessment period as per the norms provided in Table II (A). (ii) Additional credentials are to be evidenced by: (a) post-doctoral research outputs of high standard; (b) awards / honours / recognitions / patents and IPR on products and processes developed / technology transfer achieved; and (c) Additional research degrees like D.Sc., D.Litt., LL.D., etc.,) (iii) A review process by an Expert Committee as stipulated in this regulation and in Tables II (A)..

APPENDIX- III TABLE VII

ACADEMIC PERFORMANCE INDICATORS (API) FOR CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTIONS OF ASSISTANT LIBRARIAN /DEPUTY LIBRARIAN IN UNIVERSITIES / FOR COLLEGE LIBRARIAN AND FOR DIRECT RECRUITMENT OF DEPUTY LIBRARIAN IN UNIVERSITIES.

Direct Work load and weightage to be given to different levels of Librarians

	Direct working hours per week	Weightage
Assistant Librarian/College Librarian	40	100
Deputy Librarian	36+4*	90
Librarian	32+8*	80

Based on the Librarian Cadre's self-assessment, API scores are proposed for (a) Library resources organisation and maintenance of books, journals, reports, Development, organisation and management of e-resources; User awareness and instruction programmes, (b) ICT and other new technologies' application for upgradation of library services and (c) Additional services such as extending library facilities on holidays, shelf order maintenance, library user manual, building and extending institutional library facilities to outsiders through external membership norms. The minimum API score required by Library Personnel from this category is different for different levels of promotion. The self assessment score should be based on objectively verifiable criteria. It shall be finalized by the screening cum evaluation / selection committee. Universities may detail the activities, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API scores required under this category.

*** Hours spent on administrative responsibilities, innovation, upgradation of services, extension services etc.**

CATEGORY I: Procurement, organisation, and delivery of knowledge and information through Library services

Nature of Activity	**Assistant Director**		**Deputy Director**		**Director**	
	Max. Score	**Actual Score**	**Max. Score**	**Actual Score**	**Max. Score**	**Actual Score**
(a) Library resources organisation and maintenance of books, journals, reports; Provision of library reader- services, literature retrieval services to researchers and analysis of reports; Provision of assistance to the departments of University/College with the required inputs for preparing reports, manuals and related documents; Assistance towards updating institutional website with activity related information and for bringing out institutional Newsletters, etc. (40 Points) Development, organisation and management of e-resources including their accessibility over Intranet / Internet, digitization of library resources, e-delivery of information, etc (15 Points) User awareness and instruction programmes (Orientation lectures, users' training in the use of library services as e-resources, OPAC; knowledge resources user promotion programmes like organizing book exhibitions, other interactive latest learning resources, etc. (15 Points)	70	Actual hours spent per academic year _÷ **20**	60	Actual hours spent per academic year _÷ **20**	55	Actual hours spent per academic year _÷ **20**
(b) ICT and other new technologies' application for upgradation of library services such as automation of catalogue, learning resources procurement functions, circulation operations including membership records, serial subscription system, reference and information services, library security (technology based methods such as RFID,	15	Actual hours spent per academic year _÷ **10**	15	Actual hours spent per academic year _÷ **10**	15	Actual hours spent per academic year _÷ **10**

CCTV), development of library management tools (software), Intranet management						
(c).Additional services such as extending library facilities on holidays, shelf order maintenance, library user manual, building and extending institutional library facilities to outsiders through external membership norms	15	Actual hours spent per academic year _÷ **10**	15	Actual hours spent per academic year _÷ **10**	10	Actual hours spent per academic year _÷ **10**

CATEGORY II: PROFESSIONAL DEVELOPMENT, CO-CURRICULAR AND EXTENSION ACTIVITIES

Based on the Librarian Cadre's self-assessment, category II API scores are proposed for co-curricular and extension activities; and Professional development related contributions. The minimum API required for eligibility for promotion is 15. A list of items and scores is given below. The self-assessment score should be based on objectively verifiable criteria and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Librarian / College Librarian to higher grades and selection committee for the promotion of Assistant Librarian to Deputy Librarian and Deputy Librarian to Librarian and for direct recruitment of Deputy Librarian and Librarian.

The model table below gives groups of activities and API scores. Universities may detail the activities or, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API score required under this category.

Nature of Activity	**Maximum API Score**	**Actual score**
a) Student related co-curricular, extension and field based activities (such Cultural exchange and Library service Programmes (various level of extramural and intramural programmes); extension, library-literary work through different channels.	15	Actual hours spent per academic year ÷ **10**
b) Contribution to Corporate life and management of the library units and institution through participation in library and administrative committees and responsibilities.	15	Actual hours spent per academic year ÷ **10**
c) Professional Development activities (such as participation in seminars, conferences, short term, e- library training courses, workshops and events, talks, lectures, membership of associations, dissemination and general articles, not covered in Category III below)	15	Actual hours spent per academic year ÷ **10**

CATEGORY-III: RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS

Based on the self-assessment, API scores are proposed for research and library contributions. The minimum API scores required from this category are different for different levels of promotion in universities/colleges. The self-assessment score shall be based on verifiable criteria and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Librarian / College Librarian to higher grades and Selection Committee for the promotion of Assistant Librarian to Deputy Librarian and Deputy Librarian to Librarian and for direct recruitment of Deputy Librarian and Librarian.

Category	Activity	University/College Librarians	Max.score *
III (A)	Research Publications in	Refereed Journals as notified by the UGC	15 per Publication
		Other Reputed Journals as notified by the UGC	10 per Publication
III (B)	Publications other than journal articles (books, chapters in books)	Text/Reference Books by International Publishers as notified by UGC	30 per Book for Single Author
		Subject Books by National publishers as identified by the UGC or State / Central Govt. Publications	20 per Book for Single Author
		Subject Books by local publishers as identified by the UGC	15 per Book for Single Author
		Chapters in Books published by National and International level publishers identified by the UGC	International –10 per Chapter National – 5 per Chapter

III (C)	RESEARCH PROJECTS		
III (C) (i)	Sponsored Projects	Major Projects with grants above Rs. 5.0 lakhs	20 per Project
		Major Projects with grants above Rs.3.0 lakhs up to Rs.5.0 lakhs	15 per Project
		Minor Projects with grants above Rs. 1.0 lakh up to Rs.3 lakhs	10 per Project
III (C)(ii)	Consultancy Projects	Amount mobilized with a minimum of Rs. 2.0 lakhs	10 for every Rs.2.0 lakhs
III (C)(iii)	Projects Outcome / Outputs	Major Policy document of Central / State Govt. Bodies prepared	30 for each International / 20 for each for national policy document
III (D)	RESEARCH GUIDANCE		
III(D)(i)	M.Phil.	Degree awarded	5 per candidate
III(D)(ii)	Ph.D.	Degree awarded	15 per candidate
		Thesis submitted	10 per candidate
III E	Awards / Fellowships/Invited lectures delivered / papers presented in conferences / seminars		
III(E) (i)	Award / Fellowship	International Award/Fellowship from Govt./Reputed Organisation	15 per Award / 15 per Fellowship
	Award / Fellowship	International Award/Fellowship from Govt./Reputed Organisation	10 per Award / 10 per Fellowship
	Award	International Award/Fellowship from Govt./Reputed Organisation	5 Per Award
III(E) (ii)	Invited lectures / papers presented	International	7 per lecture / 5 per paper presented
		National level	5 per lecture / 3 per paper presented
		State/University level	3 per lecture / 2 per paper presented
	The score under this sub-category shall be restricted to 20% of the minimum fixed for Category III for any assessment period		
III(E) (iii)	Development of e-delivery process/material		10 per module

* Wherever relevant, the API score for paper in refereed journal would be augmented as follows: (i) paper with impact factor less than 1 - by 5 points; (ii) papers with impact factor between 1 and 2 by 10 points; (iii) papers with impact factor between 2 and 5 by 15 points; (iv) papers with impact factor between 5 and 10 by 20 points: (v) papers with impact factor above 10 by 25 points. The API for joint publications/books shall be calculated in the following manner: Of the total score for the relevant category of publication by the concerned teacher, the First and Principal / corresponding author /supervisor / mentor of the teacher would share equally 70% of the total points and the remaining 30% would be shared equally by all other authors.

APPENDIX - III TABLE - VIII (A)

MINIMUM APIs FOR THE CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTION OF ASSISTANT/COLLEGE LIBRARIAN AND DEPUTY LIBRARIAN AND WEIGHTAGES FOR EXPERT ASSESSMENT IN SELECTION COMMITTEES, IN UNIVERSITIES AND COLLEGES,

Category	Activity	Assistant / College Librarian (Stage 1 to Stage 2)	Assistant / College Librarian (Stage 2 to Stage 3)	Assistant/College Librarian (Stage 3) to Deputy/College Librarian (Stage 4)	Deputy Librarian (Stage 4) to Librarian (Stage 5)
I	Procurement, organisation, and delivery of knowledge and information through Library services	80/Year	80/year	75/year	70/year
II	Professional Development and Extension activities - Minimum score required to be assessed	50/ Assessment period	50 / Assessment period	50 / Assessment period	50 / Assessment period

	cumulatively				
III	Research and Academic Contributions – Minimum Score required - to be assessed cumulatively	20 / Assessment period	50 / Assessment period)	75 / Assessment period	100 / Assessment period
II + III	Minimum total API score under Categories II and III*	90 / Assessment period	120 / Assessment period)	150 / Assessment period	180 / Assessment period
	Expert Assessment System	Screening cum evaluation committee	Screening cum evaluation committee	Selection Committee	Selection Committee
V	Percentage Distribution of Weightage Points in the Expert Assessment (Total weightage = 100. Minimum required 50))	No separate points. Screening committee to verify API scores	No separate points. Screening committee to verify API scores	30% - Library related research papers evaluation 50% - Assessment of domain knowledge on Library automation and Organisational skills 20 % - Interview performance	50% Library publication work 30% Assessment of innovative Library service and organisation of digital library services 20% Interview performance

*** One may score the balance points from either Category II or Category III to achieve the minimum score required under Category II+ III.**

APPENDIX - III TABLE – VIII (B)

Minimum APIs and Other Norms for the Direct Recruitment of Librarian Positions in University Departments/Colleges and weightages in Selection Committees to be considered along with other specified eligibility qualifications stipulated in the Regulation.

Minimum Norm / Criteria	Assistant University Librarian / College Librarian (Stage 1)	Deputy Librarian in universities (Stage 4)	Librarian (university only) (Stage 5)
API score (Research and Academic Contribution - Category III)	Minimum Qualification as stipulated in the regulations	Consolidated API score requirement of 300 points from categories II & III of APIs (cumulative)	Consolidated API score requirement of 400 points from categories II & III of APIs (cumulative)
Selection Committee criteria/weightages (Total weightage = 100)	(a) Teaching / computer and communication skills by a Lecture demonstration (50%) (b) Record of Library management skills (20%) (c) Interview performance(30%)	(a) Library related Research / Theme papers (3 Nos) Evaluation: (50%) (b) Library automation skills and Organisational Plans (20%) (c) Interview performance (30%)	(a) Library Research papers (Five) evaluation (60%) (b) organisational track record of innovation library service and vision plan (20%) (c) Interview performance (20%)

APPENDIX-III - TABLE IX

MINIMUM ACADEMIC PERFORMANCE AND SERVICE REQUIREMENTS FOR PROMOTION OF LIBRARIAN CADRES IN UNIVERSITIES AND COLLEGES

Sl.No.	Promotion of Librarian Cadres through CAS	Service (as prescribed by the MHRD Notification) requirement	Minimum Academic Performance Requirements and Screening/Selection Criteria
1	Assistant Librarian/ College Librarian to Assistant Librarian (Senior Scale) /	Assistant Librarian/ College Librarian completed four years of service in Stage 1	(i) Minimum API scores using PBAS scoring proforma developed by the university as per the norms provided in Table VIII (A) of Appendix III for Librarian cadres in universities and for college

	College Librarian (Senior Scale) (Stage 1 to Stage 2)	with Ph.D. or five years of service with M.Phil. or six years of service without Ph.D./ M.Phil	Librarian cadres. (II)One Orientation and one Refresher Course of 3/4 weeks duration (i) Screening cum Verification process for recommending promotion.
2.	Assistant Librarian (senior scale) / College Librarian (senior scale) to Assistant Librarian (selection grade) / College Librarian (selection grade) (Stage 2 to Stage 3)	Assistant Librarian (senior scale) / College Librarian (senior scale) with completed service of five years in Stage 2	(i) Minimum API scores using the PBAS scoring proforma developed by University as per the norms provided in Table VIII (A) of Appendix III for Librarian Cadres in universities and for college librarian cadres. (ii)Additionally, two refresher courses,for a minimum period of 3 to 4 week duration to have been undergone during the assessment period. (iii) Screening cum Verification process for recommending promotion.
3.	Assistant Librarian (Selection Grade) / College Librarian (Selection Grade) to Deputy Librarian / College Librarian(Selection Grade)(Stage 3 to Stage 4)	Deputy Librarian / Assistant Librarian (Selection Grade) / College Librarian (Selection Grade) with three years of completed service in Stage 3.	(i) Minimum API scores using the PBAS scoring proforma developed by university as per the norms provided in Table VIII (A) of Appendix III. Three publications over twelve years. In Colleges, an exemption of one publication will be given to M. Phil holders and two publications to Ph. D. Holders. (ii) Additionally one course/training under the categories of Library automation / Analytical tool Development for academic documentation. (iii) A selection committee process as stipulated in the Regulation and in Table VIII (A)
4.	University Librarian (Stage 5) (For universities only)	Deputy Librarian in universities with three years of completed service in Stage 4.	(i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table VIII (A). Librarians may combine two assessment periods (in Stages 3 and 4) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in stage 3 (iii) Evidence of innovative library service and organisation of published work. (iv) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Table VIII (A)

Note: The explanatory note provided for Table IIA for CAS for teachers is also applicable for the Librarian cadres as per the API score specified for this cadre.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.